रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266577
CG-DL-E-01102025-266577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/ आश्विन 7, 1947
No. 284] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ ASVINA 7, 1947

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025

इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमावली, 2026

फा. संख्या 01-01/2025-ESE(Rectt).—

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	
(1)	प्रतिभागी सेवाएं	
(2)	नियमावली	
	1-2	सामान्य जानकारी
	3	रिक्तियां तथा आरक्षण
	4	राष्ट्रीयता
	5	आयु
	6	शैक्षणिक योग्यता
	7	शुल्क
	8	सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परिवचन

	9	पात्रता की शर्तों को पूरा करना
	9(क)	यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) तथा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) :
	10	प्रवेश प्रमाण-पत्र
	11	निरर्हता, विवर्जन, अनुशासनिक कार्यवाही, आपराधिक मुकदमा
	12	परीक्षा की योजना
	13	परिणामों की घोषणा, सेवा/पद का आबंटन
	14	पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अर्हता अंक
	15-16	परीक्षा परिणामों की सूचना
	17-18	चिकित्सा जांच
	19	दिव्यांगताओं की श्रेणियों/उप-श्रेणियों का विवरण
	20	विवाह के आधार पर अपात्रता
	21	हिंदी भाषा का ज्ञान
	22	सेवाओं/पदों के संबंध में संक्षिप्त विवरण
	23	अंकों का पूर्णांकन एवं टाई ब्रेकिंग सिद्धांत

(3)	परिशिष्ट एवं अनुलग्नक	
	परिशिष्ट I	परीक्षा की योजना
	परिशिष्ट II	उम्मीदवारों की शारीरिक जांच से संबंधित विनियमन
	परिशिष्ट III	इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिन सेवाओं/पदों के लिए भर्ती की जा रही है, उनसे संबंधित संक्षिप्त विवरण
	परिशिष्ट IV-VII	पीडब्ल्यूबीडी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त, स्क्राइब की सुविधाओं हेतु प्रमाण-पत्रों/परिवचन का प्रारूप
	परिशिष्ट I	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए चिह्नित उपर्युक्त सेवाओं/पदों की सूची तथा शारीरिक अपेक्षाएं और कार्यात्मक वर्गीकरण
	परिशिष्ट II	चिकित्सा जांच के लिए उम्मीदवारों हेतु अन्य अतिरिक्त अनुदेश
	परिशिष्ट III	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधी फॉर्म (फॉर्म V-VII)

नोट : उपर्युक्त विषय-सूची संगत जानकारी सुलभ करने हेतु उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ठीक ढंग से संलग्न जानकारी के लिए नियमों तथा परिशिष्टों और उनके अनुलग्नकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें

निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियां भरने के लिए, वर्ष 2026 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगी इंजीनियरी सेवा परीक्षा की नियमावली संबंधित मंत्रालय/विभाग की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

प्रतिभागी सेवाएं

वर्ग I-सिविल इंजीनियरी

समूह "क" सेवाएं/पद

(i) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा

(ii) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह "क" (सिविल इंजीनियरी पद)।

(iii) भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह "क" सेवा।

(iv) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)।

(v) एमईएस सर्वेयर संवर्ग में सहायक कार्यकारी इंजीनियर(क्यूएसएंडसी)।

(vi) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह "क")

(vii) भारतीय कौशल विकास सेवा

(viii) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (सिविल)

(ix) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – सिविल इंजीनियरी पद

वर्ग II - यांत्रिक इंजीनियरी

समूह क/ख सेवाएं/पद

(i) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह "क" में सहायक कार्यकारी इंजीनियर।

(ii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(iii) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II(यांत्रिक इंजीनियरी)।

(iv) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद) में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (वैद्युत एवं यांत्रिक)।

(v) भारतीय कौशल विकास सेवा।

(vi) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (यांत्रिक)

(vii) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भण्डार) – यांत्रिक इंजीनियरी पद

(viii) भारतीय उद्यम विकास सेवा/सहायक निदेशक ग्रेड-I (आईईडीएस) यांत्रिक ट्रेड

(ix) भारतीय उद्यम विकास सेवा/सहायक निदेशक ग्रेड-II (आईईडीएस) यांत्रिक ट्रेड

(x) ईएमई कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर समूह 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)

वर्ग III— वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप क/ख सेवाएं/पद

(i) केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)

(ii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

(iii) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा समूह 'क' (विद्युत इंजीनियरी पद)।

(iv) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II(वैद्युत)

(v) भारतीय कौशल विकास सेवा

(vi) भारतीय उद्यम विकास सेवा/सहायक निदेशक ग्रेड-I (आईईडीएस) वैद्युत ट्रेड

(vii) भारतीय उद्यम विकास सेवा/सहायक निदेशक ग्रेड-II (आईईडीएस) वैद्युत ट्रेड

(viii) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (वैद्युत)

(ix) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – वैद्युत इंजीनियरी पद

(x) ईएमई कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर समूह 'क'

वर्ग IV – इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

ग्रुप "क"/"ख" सेवाएं/पद

(i) भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क'।

(ii) भारतीय दूरसंचार सेवा सेवा समूह "क"

(iii)	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद)।
(iv)	रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II (इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी)।
(v)	भारतीय कौशल विकास सेवा
(vi)	कनिष्ठ टेलीकॉम अधिकारी समूह 'ख'
(vii)	भारतीय उद्यम विकास सेवा/ सहायक निदेशक ग्रेड-I (आईईडीएस) इलेक्ट्रॉनिकी ट्रेड
(viii)	भारतीय उद्यम विकास सेवा/ सहायक निदेशक ग्रेड-II (आईईडीएस) इलेक्ट्रॉनिकी ट्रेड
(ix)	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (सिग्नल एवं दूरसंचार)
(x)	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – एस एवं टी इंजीनियरी पद
(xi)	ईएमई कोर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर ग्रेड 'क' (इलैक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद)

सामान्य जानकारी

सभी उम्मीदवारों (महिला/पुरुष/ट्रांसजेंडर)) से अनुरोध है कि वे इन नियमों और इन नियमों के आधार पर तैयार किए गए संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ लें।

***सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) और सहायक कार्यकारी अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी पद) के लिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की पात्रता, यथासमय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगी।**

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में निर्धारित पद्धति से किया जाएगा। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित और अधिसूचित की जाएगी।

उम्मीदवार ऊपर दर्शाई गई सेवाओं/पदों की श्रेणियों जैसे कि सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्युत इंजीनियरी या इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरी के संबंध में किसी एक के लिए प्रतियोगी हो सकता है। विशेष ध्यान दें

(i) **:-** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियम 9 (क) (ii) के तहत नोट में निर्धारित वरीयता क्रम में उन सभी सेवाओं/पदों का उल्लेख करें जिनके लिए वे नियमों के अनुसार पात्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार किसी सेवा/पद की वरीयता क्रम नहीं लिखता है अथवा आवेदन-प्रपत्र में किन्ही सेवाओं/पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं/पदों के लिए उसकी कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में के आधार पर आबंटन नहीं किया जाएगा। सेवा आबंटन हेतु विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार को कम से कम एक वरीयता का चयन करना अनिवार्य है।

(ii) विभागीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जिन्हें [नियम 5(ख)] के अंतर्गत आयु-सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। ऐसे उम्मीदवार अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं।

(iii) नियम 6 के परंतुक के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त परंतुक में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं/पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों का आबंटन उम्मीदवारों के चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अध्यधीन योग्यता क्रम सूची में उनके स्थान, उनके द्वारा दी गई वरीयता और पदों की संख्या के आधार पर ही किया जाएगा।

रिक्तियां तथा आरक्षण

3. इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संभावित संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए परीक्षा नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

सरकार द्वारा यथानिर्धारित रिक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के श्रेणियों वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा।

राष्ट्रीयता

4. उम्मीदवार या तो:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ड.) भारत में स्थाई निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलत: भारतीय व्यक्ति है

बशर्ते कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ड.) से संबद्ध उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो; तथा यह कि जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जाएगा, जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

आयु

5. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु **1 जनवरी,2026** को 21 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी,**1996** से पहले और 1 जनवरी, **2005** के बाद न हुआ हो।

(ख) नीचे दिए गए कॉलम में निर्दिष्ट प्राधिकरणों में नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त सरकारी कर्मचारी यदि कॉलम-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा [सेवाओं/पद (पदों)] के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु जिसके लिए वह अन्यथा पात्र हैं, आवेदन करते हैं तो उनके लिए ऊपर आयु-सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

(i) वह उम्मीदवार जो संबद्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप से स्थायी पद पर हैं। उक्त विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी । तथापि, ऐसे नियुक्त परिवीक्षाधीन कार्मिक को यह रियायत दी जाएगी बशर्ते वह निम्नलिखित कॉलम 1 में उल्लिखित किन्हीं प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर पहले से ही लियन धारण करता/करती हो।

(ii) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में **1 जनवरी,2026** को कम से कम 3 वर्ष लगातार अस्थायी सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो।

कॉलम 1		**कॉलम 2**
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग		सी.ई.एस समूह 'क', सीईएण्डएमईएस समूह 'क'

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह "क"
संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग		भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क' भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' जेटीओ (जीसीएस समूह ख)
रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय		रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आवश्वासन सेवा(डीएक्यूएएस) समूह क
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग		भारतीय सर्वेक्षण विभाग सेवा समूह 'क'
सीमा सड़क संगठन		सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "क" ।
भारतीय नौसेना		भारतीय नौसेना आयुध सेवा । भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा ।
सैनिक इंजीनियरी सेवाएं		भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (आई.डी.एस.ई.) समूह "क" सैनिक इंजीनियरी सेवा(एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में ए.ई.ई.(क्यूएस एंड सी)
जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग		केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह-क सेवा
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण		सीपीईएस समूह क
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय		भारतीय कौशल विकास सेवा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		भारतीय उद्यम विकास सेवा
भारतीय भू-सर्वेक्षण		सहायक कार्यकारी इंजीनियर समूह 'क'
रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)		आईआरएमएस (सिविल) आईआरएमएस (यांत्रिक) आईआरएमएस (वैद्युत) आईआरएमएस (सिग्नल एवं दूरसंचार) आईआरएमएस (भंडार)
इलैक्ट्रॉनिकी एवं यांत्रिक इंजीनियरी, कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय		ईएमई कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर, समूह 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद) ईएमई कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर, समूह 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद) ईएमई कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर, समूह 'क' (इलेक्ट्रॉनिकी एं दूरसंचार इंजीनियरी पद)

नोट ---- यदि प्रशिक्षुता की अवधि के बाद रेलवे में किसी कार्यकारी पद पर नियुक्ति की जाती है तो उसे आयु में छूट के प्रयोजन के लिए रेलवे सेवा माना जाएगा।

(ग) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाएगी:-

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं।

(iii) शत्रु देश के साथ संघर्ष में अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान दिव्यांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(iv) जिन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों ने 1 जनवरी,2026 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य मुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है, या (2) अल्पकालिक सेवा से हुई शारीरिक दिव्यांगता, या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(v) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 2026 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक;

(vi) बेंचमार्क दिव्यांगता अर्थात् **अल्प दृष्टि**, बधिर तथा श्रवण बाधित, लोकोमोटर दिव्यांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमला पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक ।

टिप्पणी I : अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त उप-नियम 5 (ग) के अंतर्गत भी शामिल हैं अर्थात भूतपूर्व सैनिक या बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु-सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III : भूतपूर्व सैन्यकर्मियों को उपर्युक्त नियम 5(ग)(iv) तथा (v) के अधीन आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। यहां भूतपूर्व सैन्यकर्मी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारत संघ की नियमित सेना, नौसेना तथा वायु सेना में कंबेटेंट अथवा नॉन कंबेटेंट कर्मी के तौर पर किसी भी रैंक में सेवा की है और जो या तो अपने अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त कर लेने के उपरांत नियोजक द्वारा सेवानिवृत्त, कार्यमुक्त या सेवा मुक्त हुआ हो।

टिप्पणी IV : प्रत्येक सेवा के मामले में कार्यात्मक विवरण तथा शारीरिक अपेक्षाओं का उल्लेख इन नियमों के अंतर्गत अनुबंध-I में किया गया है। इस वर्गीकरण तथा अपेक्षाओं की पहचान और इनका निर्धारण, संबंधित संवर्ग नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा

33 और 34 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस परीक्षा के संदर्भ में बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांगता की केवल वही श्रेणियां लागू होंगी, जिनका उल्लेख अनुबंध-I में किया गया है। अतः, बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह इस परीक्षा हेतु आवेदन करने से पहले उक्त परिशिष्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

टिप्पणी V : उपर्युक्त नियम 5(ग)(vi) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो ।

टिप्पणी VI : किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा । उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी का पात्र तभी माना जाएगा यदि वे इस प्रयोजनार्थ पात्रता प्रमाणन के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी शर्तों को पूरा करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार इंजीनियरी सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षित श्रेणी का चयन कर लेने के बाद इस आरक्षित श्रेणी को किसी अन्य आरक्षित श्रेणी में तब्दील करने संबंधी अनुरोध, अर्थात अ.जा. को अ.ज.जा. करने या अ.ज.जा को अ.जा. करने या अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. करने या अ.जा./अ.ज.जा. को अ.पि.व. करने या अ.जा. को ईडब्लूएस करने, ईडब्ल्यूएस को अ.जा. करने, अ.ज. जा. को ईडब्लूएस करने, ईडब्ल्यूएस को अ.ज.जा. करने या अ.पि.व. को ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस को अ.पि.व. करने आदि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत, परीक्षा के प्रत्येक चरण में सामान्य मानदण्डों से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को अपनी श्रेणी को आरक्षित से अनारक्षित में तब्दील करने (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार) या अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/संवर्ग) के संबंध में दावा करने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य मानदण्डों पर अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के अंतर्गत किसी भी उप श्रेणी के उम्मीदवारों को दिव्यांगता संबंधी अपनी उप श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क दिव्यांगता/पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में नियमावली/नोटिस में निर्धारित प्रपत्र में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अंतिम तारीख तक मौजूद होने चाहिए। (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 15 जून, 2017 के अधिसूचना के अनुबंध-III में वर्णित निर्धारित प्रपत्र V से प्रपत्र VII (यथालागू) के प्रारूप में ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2026 का कोई भी उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदण्डों को

पूरा कर रहा हो और उसके पास वित्त वर्ष 2024-2025 की आय के आधार पर अपेक्षित आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र होना चाहिए जोकि 01.04.2025 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति के बाद) जारी हुआ हो परन्तु इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् 16 अक्तूबर, 2025 के बाद का न हो।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा- 2026 के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2024-25, 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान अपनी आय के आधार पर अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जोकि 01.04.2025 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति के बाद) जारी हुआ हो परन्तु इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् 16 अक्तूबर, 2025 के बाद का न हो।

हालांकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच अधिक से अधिक तीन महीने का अंतर रहा हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क दिव्यांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता (केवल **अल्प दृष्टि**, लोकोमोटर दिव्यांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन(ड्वार्फिज्म), तेजाबी हमला पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, श्रवण बाधित बेंचमार्क दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता के मामले में) से ग्रस्त है, ताकि उन्हें बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए किए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके सके, बशर्ते कि संबंधित उम्मीदवार नियम 19 के अनुसार इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए अन्यथा पात्र हो।

कृपया ध्यान दें : जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम (5) (ख) में उल्लिखित आयु संबंधी छूट देकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर लेने के बाद वह परीक्षा देने से पहले या बाद में सेवा से त्याग पत्र देता है या उसके विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है । किन्तु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो परीक्षा देने का पात्र बना रहेगा ।

जो उम्मीदवार विभाग को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाता है वह विभाग की आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगी परीक्षा करने में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया है।

उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी ।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रीकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिक पास वालों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और इसे विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है ।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुन्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी 1 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार

करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान में रखें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत जन्मतिथि, जिसे आयोग द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन से अभिलेख (रिकॉर्ड) में दर्ज कर लिया गया है, उसमें बाद में या आयोग की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी|

शैक्षणिक योग्यता

6. उम्मीदवार के पास —

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए; अथवा

(ख) इंजीनियरी की संस्था (भारत) की संस्था परीक्षा का भाग 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो; अथवा

(ग) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; अथवा

(घ) इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा भाग 2 और 3/ खंड 'क' और 'ख' उत्तीर्ण की हो; अथवा

(च) नवम्बर 1959 के बाद ली गई इलैक्ट्रानिकी और रेडियो इंजीनियरी की संस्था (लंदन) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

किंतु यह कि भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) एवं भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क' के पद के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो जैसे :—

भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) हेतु - वायरलैस संचार, इलैक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम.एम.सी. डिग्री या समकक्ष ।

भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क' हेतु - वायरलैस संचार, इलैक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम.एम.सी. डिग्री या समकक्ष या भौतिकी तथा रेडियो संचार या इलेक्ट्रानिकी या दूरसंचार के विशेष विषय के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री।

टिप्पणी 1 : रिट याचिका (सिविल) 3239/2013 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01.2023, शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 20-2/2019-टीसी(पार्ट) दिनांक 06. जून, 2023 के तहत यथासूचित, के दृष्टिगत जिन उम्मीदवारों ने 31.05.2013 के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (इंडिया) तथा ऐरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया में प्रवेश लेकर डिग्री/प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं, उनकी डिग्री/प्रमाण-पत्र इंजीनियरी सेवा परीक्षा,2026 के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवारों ने 31.05.2013 के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) में प्रवेश लेकर डिग्री/प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं, उनकी पात्रता रिट याचिका संख्या 3790/2013 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सरकार के निर्णय के अध्यधीन होगी।

टिप्पणी 2 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में

उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा उक्त प्रमाण आयोग को प्रस्तुत करने होंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक घोषित किए गए ऐसे सभी उम्मीदवारों को नियम 9(क) में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 3 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने ऐसी किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

टिप्पणी 4 : जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है तो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

शुल्क

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना होगा।

सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला परिवचन

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई रूप से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त या सार्वजनिक उद्यमों में सेवारत व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उन्हें इस आशय का परिवचन (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

पात्रता की शर्तों को पूरा करना

9. उम्मीदवार के आवेदन-पत्र और उसकी पात्रता को स्वीकार करने या परीक्षा में प्रवेश आदि के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णत: अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा । यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

9(क) यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) तथा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ):

9 (क) (i) इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑन-लाइन आवेदन करना होगा और अपेक्षित सूचना तथा जन्म-तिथि, श्रेणी [नामतः अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक], शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, सहयोगी दस्तावेज, समान आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र के साथ अथवा , में अपेक्षित सूचना/दस्तावेज, प्रस्तुत करने में विफल होने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

टिप्पणी : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र एक बार प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरांत, यूनिवर्सल पंजीकरण विवरण/मॉड्यूल में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी जोड़ने/हटाने/कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

9 (क) (ii) आयोग, व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक उम्मीदवारों को इंजीनियरी सेवा परीक्षा के प्रधान/चरण-II के परिणाम की घोषणा की तारीख के उपरांत एक विंडो प्रदान करेगा। जिसके अंतर्गत उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन करते समय विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता नहीं थी उन्हें अपने विवरण को अद्यतन करना होगा और समान आवेदन प्रपत्र मॉड्यूल में अपेक्षित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण अपलोड करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी : इस अवधि में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक पाए गए सभी उम्मीदवारों को पत्राचार/डाक पता, उच्चतर योग्यता, किसी अलग क्षेत्र में उपलब्धि, रोजगार विवरण/सेवा अनुभव, सेवा आबंटन, सेवा वरीयता को अद्यतन करने का विकल्प दिया जाएगा। इस विंडो पर अद्यतन किए गए विवरण को अंतिम माना जाएगा तथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त इन फील्डों में परिवर्तन करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रवेश प्रमाण-पत्र

10. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

निरर्हता, विवर्जन, अनुशासनिक कार्यवाही, आपराधिक मुकदमा

11 (1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा

या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ङ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ङ) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त पैरा 11(1) के खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

परीक्षा की योजना

12. इंजीनियरी सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी अर्थात् चरण-I: इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर); चरण-II: इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा (परंपरागत प्रकार के दो पेपर); और चरण-III: व्यक्तित्व परीक्षण। इंजीनियरी सेवा परीक्षा की योजना का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

चरण-I और चरण-II के प्रत्येक पेपर के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार आयोग के पास होगा। केवल चरण-I परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही परीक्षा के चरण-II में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार, केवल उन उम्मीदवारों को ही परीक्षा के चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) हेतु बुलाया जाएगा जो परीक्षा के चरण-I और चरण-II में अर्हता प्राप्त करते हैं। परीक्षा के चरण-I + चरण-II + चरण-III में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

किंतु यह कि यदि आयोग का विचार है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तब परीक्षा के चरण-I और चरण-II में चयन संबंधी मानकों में छूट देने के पश्चात् आयोग द्वारा परीक्षा के चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) हेतु इन समुदायों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

परिणामों की घोषणा, सेवा/पद का आबंटन

13. (i) साक्षात्कार के बाद, आयोग परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर बने योग्यता क्रम के अनुसार उम्मीदवारों के नाम सुव्यवस्थित करेगा। उसके बाद, आयोग अनारक्षित रिक्तियों पर उम्मीदवारों की संस्तुति करने के प्रयोजन से, परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में अर्हक अंक (जिसे इसके बाद सामान्य अर्हता मानक के तौर पर संदर्भित किया जाएगा) निर्धारित करेगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अनुशंसित करने के प्रयोजन से, परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक श्रेणियों के लिए भरे जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में आयोग सामान्य अर्हता मानकों में छूट दे सकता है।

परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के

उम्मीदवार और बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता अथवा चयन मानदंड में रियायत अथवा छूट का उपयोग नहीं किया है और जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हता मानदंड को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा के लिए उपयुक्त पाए गए हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

टिप्पणीः **बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के तहत आने वाले पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध स्क्राइब और प्रतिपूरक समय की सुविधा तथा मेडिकल फिटनेस के संबंध में ऐसे उम्मीदवारों की दिव्यांगता, जिससे वे पीडित हैं, को छूट/रियायत नहीं माना जाएगा ।**

(ii) सेवा का आबंटन करते समय, अनारक्षित रिक्तियों पर अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित किया जा सकता है, यदि ऐसी प्रक्रिया से उन्हें अपने वरीयता क्रम में बेहतर विकल्प वाली सेवा मिल जाती है।

(iii) आयोग, शेष अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी कमी को ध्यान में रखते हुए सामान्य अर्हता मानकों को और कम कर सकता है तथा उक्त उप नियम (ii) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रक्रिया से उत्पन्न आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के अधिशेष हो जाने पर आयोग, उप-नियम (iv) और (v) में निर्धारित प्रक्रिया से अनुशंसा कर सकता है।

(iv) (क) उम्मीदवारों की संस्तुति करते समय आयोग, सबसे पहले सभी श्रेणियों में रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखेगा। संस्तुत उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के उन उम्मीदवारों की संख्या घटा दी जाएगी, जो उप-नियम (i) के परन्तुक के अनुसार पात्रता अथवा चयन मानदंडों में किसी रियायत अथवा छूट का उपयोग किए बिना ही निर्धारित सामान्य अर्हक मानदंडों या अधिक से योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।

(iv) (ख) उप नियम (iv) (क) में निर्धारित पद्धति अपनाने में आरक्षित सूची से अनुशंसित किए जाने वाले पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों की संभावित रिक्तियों की संख्या को सुरक्षित रखने पर यथोचित विचार किया जाए तथा यदि आवश्यक हो तो उप नियम (IV) (क) के अनुसार कटौती करने के अतिरिक्त अनुशंसित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उपयुक्त रूप से कटौती की जाए।

(IV) (ग) आयोग, अनुशंसित उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची भी तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत योग्यता क्रम में आखिरी संस्तुत उम्मीदवार से नीचे के अनारक्षित, आरक्षित और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवार शामिल होंगे। इस सूची में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणी तथा पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उप-नियम (i) के परन्तुक के अनुसार तथा उप-नियम (iv) (ख) के आलोक में अनारक्षित रिक्ति(यों) के लिए अनुशंसा में कटौती करते हुए प्रथम दृष्टया अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया था।

(iv)(घ) समेकित आरक्षित सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणियों में से प्रत्येक की आरक्षित श्रेणी की संख्या उप-नियम(iv)(क) और (iv)(ख) के अनुसार, प्रथम दृष्टया उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय उम्मीदवारों की संख्या में क्रमश: कटौती किए गए उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी।

(iv)(ङ) आयोग द्वारा इस प्रकार तैयार की गई समेकित आरक्षित सूची को उप-नियम (v) के संबंध में सिफारिशों की प्रक्रिया पूरी होने तक गोपनीय रखा जाएगा।

(v) उप-नियम (iv) के प्रावधानों के अनुसार संस्तुत उम्मीदवार, सरकार द्वारा सेवाओं में आबंटित किए जाएंगे और जहां कतिपय पद फिर भी रिक्त रह जाते हैं वहां सरकार आयोग को इस आशय की मांग भेज सकती है कि वह आरक्षित सूची में से प्रत्येक श्रेणी में रिक्त रह गई रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से मांग की गई संख्या के बराबर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से संस्तुति करे।

नोट : आरक्षित सूची अन्य कारणों, जैसे कार्यभार ग्रहण करने के लिए उम्मीदवार का उपस्थित न होना, चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होना, सीमित सेवाओं के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य न होने के कारण छोड़ देने, इस्तीफा देने अथवा अन्य किसी कारणों से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची नहीं है।

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अर्हक अंक

14. बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, इस श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में आयोग द्वारा नियम 12 और 13 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों में अपने विवेकानुसार रियायत दी जा सकती है:

परीक्षा परिणाम की सूचना

15. आयोग इसका निर्णय स्वयं करेगा कि परीक्षा के परिणाम की सूचना प्रत्येक उम्मीदवार को किस रूप में और किस प्रकार दी जाए और परिणाम के संबंध में आयोग उम्मीदवारों के साथ कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16. इन नियमों के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा दिए गए योग्यताक्रम तथा सफल उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के समय विभिन्न सेवाओं/पदों के संबंध में दी गई वरीयता के आधार पर, उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

चिकित्सा जांच

17. परीक्षा के परिणामों के आधार पर आयोग द्वारा सफल घोषित किसी उम्मीदवार को किसी सेवा के अंतर्गत आबंटन और नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से तथा इस परीक्षा के दौरान पात्रता की दृष्टि से तथा किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज तथा चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट के संबध में, संबंधित सेवा में आबंटन/नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है। इस संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। सेवाओं/पदों के आबंटन के बाद ही संबंधित संवर्ग नियंत्रण/नियुक्ति प्राधिकारियों को साक्ष्यांकन फार्म प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

18. नियुक्ति हेतु उपयुक्त के रूप में उत्तीर्ण होने के लिए, उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद यदि किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसा उम्मीदवार जिसे सीमित सेवाओं के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य न होने के कारण छोड़ दिया गया हो और उसकी बारी आने तक कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं रहती तो उसे ऐसी कोई सेवा आबंटित नहीं की जा सकती है जिसके लिए वह योग्य नहीं है और जहां रिक्ति उपलब्ध है। परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को आबंटन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के चिकित्सा मानक, इंजीनियरी सेवा परीक्षा,2026 हेतु चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ होने से पहले संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग के विशिष्ट वेब पेज पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

उम्मीदवारों का ध्यान यहां प्रकाशित शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमों की ओर आकर्षित किया जाता है। इसमें देखा जा सकता है कि विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग शारीरिक मानदंड निर्धारित हैं। अत: उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन सेवाओं के विशेष संदर्भ में इन मानदंडों को ध्यान में रखें जिनके लिए वे प्रतियोगी हैं/संघ लोक सेवा आयोग को उन्होंने अपनी वरीयता सूचित की है।

"इंजीनियरी सेवा परीक्षा,2026 के आधार पर आयोग द्वारा **अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों** को चिकित्सा परीक्षण कराना होगा।"

उम्मीदवार कृपया यह भी नोट करें कि :

(i) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुशंसित किए जाने पर, प्रत्येक उम्मीदवार को संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग द्वारा यथानिर्धारित चिकित्सा परीक्षा करानी होगी, चाहे वह इस प्रकार के चिकित्सा परीक्षण में पहले उपस्थित हो चुका हो तथा पहले के परीक्षण के आधार पर उपयुक्त या अनुपयुक्त पाया गया हो। चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा और आबंटन के सभी प्रयोजनों हेतु बाध्य होगा;

(ii) उन्हें चिकित्सा बोर्ड को 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) की नकद राशि का भुगतान करना होगा;

(iii) चिकित्सकीय जांच के संबंध में की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा;

(iv) उम्मीदवार की चिकित्सकीय जांच होने का अर्थ या आशय यह नहीं है कि उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी : निराशा से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी चिकित्सकीय जांच करा लें।

नियुक्त किए जाने से पूर्व, जिन चिकित्सकीय परीक्षणों से उम्मीदवारों को गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और अपेक्षित मानक परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। निशक्त/भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों हेतु प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार मानकों में छूट दी जा सकती है।

दिव्यांगताओं की श्रेणियों/उप-श्रेणियों का विवरण

19. विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए चिन्हित अशक्तता की श्रेणियों/उप श्रेणियों का विवरण (कार्यात्मक वर्गीकरण तथा शारीरिक आवश्यकताएं):

"बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किए जाने हेतु 40 प्रतिशत (40%) अथवा इससे अधिक अशक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के मामले में, कार्यात्मक वर्गीकरण उन संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, जिनका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को अनुबंध-I में दिए अनुसार शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना होगा तथा अनुबंध-III में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।"

विवाह के आधार पर अपात्रता

20. जिस व्यक्ति ने —

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका पति/पत्नी पहले से जीवित है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

हिंदी भाषा का ज्ञान

21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में आने से पूर्व हिन्दी का कुछ ज्ञान उन विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायक होगा जिन्हें उम्मीदवार को सेवा में आने के बाद उत्तीर्ण करना होगा।

22. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के लिए भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट- III में दिया गया है।

अंकों का पूर्णांकन तथा टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत

23. अंकों के पूर्णांकन से संबंधित प्रावधान, जहां भी लागू हों तथा अंक संबंधी टाई मामलों के समाधान हेतु सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(क) **<u>अंकों का पूर्णांकन :</u>**

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

<u>(ख) टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत:</u>

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो इंजीनियरी विषय के तीनों पेपरों ("**चरण-I : पेपर-II-**सिविल इंजीनियरी/यांत्रिक इंजीनियरी/वैद्युत इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार इंजीनियरी") तथा **चरण-II : पेपर-I एवं II –** सिविल इंजीनियरी/ यांत्रिक इंजीनियरी/वैद्युत इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी") तथा व्यक्तित्व परीक्षण के अंकों को **मिलाकर** अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो इंजीनियरी विषय के तीनों पेपरों ("चरण-I : पेपर-II-सिविल इंजीनियरी/यांत्रिक इंजीनियरी/वैद्युत इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार इंजीनियरी") तथा **चरण-II : पेपर-I एवं II –** सिविल इंजीनियरी/ यांत्रिक इंजीनियरी/वैद्युत इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार इंजीनियरी") के कुल अंकों को मिलाकर अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) तथा (ii) में भी अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उनका समाधान आयोग के विवकानुसार किया जाएगा।

रोशनी सोहनी, वरिष्ठ उपमहानिदेशक (स्थापना)

परिशिष्ट – I

खंड-I

परीक्षा की योजना

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित की जाएगी:-

(i) चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर);

(ii) चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा (परंपरागत प्रकार के पेपर) और

(iii) चरण-III : व्यक्तित्व परीक्षण

2. इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (बहुविकल्पीय उत्तर वाले) और अधिकतम 500 अंक (पेपर-I – 200 अंक और पेपर-II – 300 अंक) होंगे। संबंधित वर्ष की प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा में आयोग द्वारा अर्हक घोषित उम्मीदवार ही उस वर्ष की प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए अन्यथा पात्र हों। प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित उम्मीदवारों के प्रारंभिक/ चरण-I परीक्षा में प्राप्तांकों को उनकी अंतिम योग्यता सूची निर्धारित करने के लिए गिना

जाएगा। प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित रिक्तियों का लगभग छ: से सात गुना होगी।

टिप्पण – I : प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि पेपर (पेपर-I) और इंजीनियरी विषय के विशिष्ट पेपर (पेपर-II) में न्यूनतम अर्हक अंकों के मानदंड के आधार पर इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा के लिए आयोग द्वारा अर्हक उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण – II : वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) होगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड होगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रश्न को छोड़ दिया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

3. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि यदि उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं पर ऐसी असंगत सामग्री/चिह्न /अंक आदि लिखे पाए जाते हैं, जो किसी प्रश्न/उत्तर से संबंधित नहीं हैं तथा/या जिनसे उम्मीदवार की पहचान प्रकट होने की संभावना है, तो उस स्थिति में आयोग, संबंधित उम्मीदवार को अन्यथा प्रदान किए जाने वाले कुल अंकों में से शास्ति के तौर पर कुछ अंकों की कटौती करेगा या इस आधार पर ऐसी उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेगा।

4.1 इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा में इंजीनियरी विषय के परंपरागत प्रकार के दो विशिष्ट पेपर होंगे जो तीन घंटे की अवधि के होंगे और अधिकतम अंक 600 (प्रत्येक पेपर के 300 अंक) होंगे।

4.2 चरण-III में व्यक्तित्व परीक्षण होगा जिसके लिए 200 अंक होंगे।

5.1 चरण-I : इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा और चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए बुलाया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग दुगुना होगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 200 अंक होंगे (कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं)।

5.2 चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) इंजीनियरी सेवा परीक्षा, चरण-II : (प्रधान/चरण-II) इंजीनियरी सेवा परीक्षा और चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित की जाएगी। परीक्षा में उनके रैंक और विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उनके द्वारा दी गई वरीयता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाएं आबंटित की जाएंगी।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर पत्रक भरने संबंधी प्रक्रिया सहित परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए दिनांक **26.09.2025** को आयोग की

वेबसाइट(www.upsc.gov.in) पर अपलोड किए गए परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट–III (भाग क और भाग ख) में उम्मीदवारों के लिए दिए गए विशेष अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

7. व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान, उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक तथा शारीरिक उर्जस्विता, व्यावहारिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8. परम्परागत प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएं। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

9. चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) और चरण-II : (प्रधान/चरण-II) का विस्तृत पाठ्यक्रम खंड-III में दिया गया है।

खंड-II

क. चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा

इस परीक्षा में दो पेपर होंगे।

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – I सिविल इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – II यांत्रिक इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – III वैद्युत इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-II (वैद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – IV इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200

प्रश्न पत्र-II (इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

(iii) विस्तृत पाठ्यक्रम खंड-III में दिया गया है।

ख. चरण-II : (प्रधान/चरण-II) परीक्षा

इस परीक्षा के दो पेपर होंगे।

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – I सिविल इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – II यांत्रिक इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – III वैद्युत इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (वैद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (वैद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – IV इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी		
प्रश्न पत्र-I (इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
प्रश्न पत्र-II (इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

ग. चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण) : 200 अंक

टिप्पणी 1 :- उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए लेखन सहायक (स्क्राइब) की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो अल्पदृष्टि से पीड़ित हैं उन्हें स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि ऐसे उम्मीदवारों ने इसकी इच्छा व्यक्त की हो। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अंतर्गत परिभाषित अन्य दिव्यांगता श्रेणियों के उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे परिशिष्ट IV में दिए गए प्रोफार्मा के आधार पर किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से असमर्थ है और उसे स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है जो उसकी ओर से परीक्षा में लिख सके।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VI पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा आती है तथा इनकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है।

टिप्पणी 2 :- उम्मीदवारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे या तो अपने स्क्राइब लाने का विकल्प चुनें या आयोग द्वारा स्क्राइब उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। स्क्राइब से संबंधित विवरण, (भले ही वह स्क्राइब उम्मीदवार स्वयं लाए या आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाए) परिशिष्ट V (40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा परिशिष्ट VII (40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई हो) में प्रदान किए गए प्रोफार्मा के आधार पर आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के समय मांगा जाएगा।

टिप्पणी 3 :- आयोग के स्क्राइब तथा उम्मीदवार के अपने स्क्राइब की अर्हता, इस परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्क्राइब की योग्यता, मैट्रिकुलेट या इससे अधिक होनी चाहिए।

टिप्पणी 4 :- बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के अल्पदृष्टि से पीड़ित उम्मीदवार परीक्षा में प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। अन्य दिव्यांगता श्रेणियों के उम्मीदवारों को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे परिशिष्ट IV में दिए गए प्रोफार्मा के आधार पर किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से असमर्थ है।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VI पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करने के अध्यधीन, प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा होती है।

टिप्पणी 5 :- स्क्राइब की पात्रता की शर्तें, परीक्षा भवन में उसका आचरण तथा जिस सीमा तक वह इंजीनियरी सेवा परीक्षा देने में बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के उम्मीदवार की मदद कर सकता है, इससे संबंधित मुद्दे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शासित होंगे। इनमें से सभी या किसी भी अनुदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित स्क्राइब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी।

2. आयोग को परीक्षा के किसी एक पेपर या सभी पेपरों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेकाधिकार है।

3. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. अपठनीय लिखावट होने पर लिखित प्रश्न-पत्रों के पूर्णांक के पांच प्रतिशत के बराबर तक अंक काट लिए जाएंगे।

5. परीक्षा के पारंपरिक प्रश्न-पत्रों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति, संक्षिप्त, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं सटीक रूप से की गई है।

6. प्रश्न-पत्रों में, जहां आवश्यक हो, एस.आई. (S.I.) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

टिप्पणी :- उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में, आवश्यकतानुसार, संदर्भ हेतु, मानक एसआई (SI) इकाइयों की सारणियां/चार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. उम्मीदवारों को पारंपरिक (निबंध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में कैलकुलेटर के आदान-प्रदान या अदला-बदली की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण-पुस्तिकाओं) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अत:, वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

8. उम्मीदवारों को उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

खंड-।।।

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि(प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा) के प्रश्न-पत्र का स्तर वैसा ही होगा जैसा कि इंजीनियरी/विज्ञान स्नातक से अपेक्षा की जाती है । अन्य विषयों के प्रश्न-पत्रों का स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा । किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि पेपर (प्रारंभिक/चरण-।, पेपर-। वस्तुनिष्ठ, सभी उम्मीदवारों के लिए समान)

1. सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबद्ध राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय । 2. इंजीनियरी अभिरूचि जिसमें तार्किक बुद्धि (लॉजिकल रीजनिंग) एवं विश्लेषणात्मक योग्यता शामिल हो। 3. इंजीनियरी गणित एवं संख्यांकन विश्लेषण । 4. अभिकल्पन, रेखाचित्र के सामान्य सिद्धांत, सुरक्षा का महत्व । 5. उत्पादन, निर्माण, अनुरक्षण एवं सेवा के मानदंड एवं गुणवत्ता व्यवहार। 6. ऊर्जा एवं पर्यावरण के मूलभूत तत्व: संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा अवकर्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रभाव का आकलन । 7. परियोजन प्रबंधन के मूलभूत तत्व । 8. सामग्री-विज्ञान एवं इंजीनियरी के मूलभूत तत्व । 9. इंजीनियरी में यंत्र आधारित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग यथा नेटवर्किंग, ई-गर्वनेंस तथा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा । 10. इंजीनियरी के प्रोफेशन में नीतिशास्त्र एवं उसका महत्व ।

टिप्पणी: सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि के पेपर में संगत विषयों का ज्ञान सम्मिलित होगा जिसकी विशेष अध्ययन के बिना इंजीनियरी के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है । उपर्युक्त सभी 10 विषयों से प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे । इस पेपर में प्रत्येक विषय के लिए कुल अंकों के 5 % से 15 % तक के अंक के प्रश्न होंगे ।

सिविल इंजीनियरी

प्रारभिक/चरण-I परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम I

पेपर-I

1. भवन निर्माण सामग्री :

पत्थर, चूना, शीशा, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सेरैमिक, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, बुनियादी एडमिक्स्चर, लकड़ी, ईंटें तथा एग्रीगेट (सम्मुचय): वर्गीकरण, गुणधर्म तथा चुनने के मापदंड।

सीमेंट: प्रकार, संरचना, गुण, प्रयोग, विशिष्टताएं तथा विभिन्न परीक्षण; चूना व सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट: गुण एवं विभिन्न परीक्षण; कंक्रीट अधिमिश्रणों का अभिकल्पन : अवयवों की मात्रा तथा मिश्र-अभिकल्पन विधि।

2. ठोस यांत्रिकी :

प्रत्यस्थापना नियतांक, प्रतिबल, द्विविम प्रतिबल, विकृति, द्विविम विकृति, प्रतिबल तथा विकृति का मोर वृत्त, भंगता संबंधी प्रत्यास्थता सिद्धांत, मुख्य प्रतिबल, बंकन, अपरूपण तथा ऐंठन।

3. संरचनात्मक विश्लेषण :

सामग्रियों के सामर्थ्य की मूल अवधारणाएं, प्रतिबलों तथा विकृतियों के प्रकार, बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल, बंकन तथा अपरूपण प्रतिबलों की अवधारणा; निर्धाय तथा अनिर्धाय ढांचों का विश्लेषण, कैंची, धरन, प्लेन फ्रेम; दोलन भार, प्रभाव-रेखा, यूनिट भार पद्धति एवं अन्य पद्धतियां; एकल डिग्री तथा एकाधिक डिग्री फ्रीडम प्रणाली का मुक्त तथा प्रणोदित कंपन; निलंबित केबल; कंप्यूटर आधारित डिजाइन की अवधारणाएं तथा प्रयोग।

4. इस्पात के ढांचों का अभिकल्पन :

कार्यशील प्रतिबल विधि के सिद्धांत, तान तथा संपीडन अंगों का अभिकल्पन, धरनों तथा धरन स्तंभ जोड़ों का अभिकल्पन, निर्मित खंड, गर्डर, औद्योगिक छतों, चरम भार अभिकल्पन के सिद्धांत।

5. कंक्रीट तथा चिनाई ढांचों का अभिकल्पन :

बंकन, अपरूपण, अक्षीय संपीडन और संयुक्त बल का सीमांत अवस्था अभिकल्पन; धरनों, स्लैबों, लिंटेल, नींवों, रिटेनिंग दीवारों, सीढ़ियों का अभिकल्पन; सामग्रियों तथा विधियों सहित पूर्व-प्रतिबलन कंक्रीट अभिकल्पन के सिद्धांत; ढांचों का भूकंपरोधी डिजाइन; चिनाई ढांचों का अभिकल्पन।

6. निर्माण पद्धति, आयोजना एवं प्रबंधन :

निर्माण- आयोजना, उपस्कर, स्थल निरीक्षण एवं प्रबंधन, जिसके अंतर्गत प्रबंधन के अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से आकलन और विविध प्रकार के कार्यों का नेटवर्क विश्लेषण शामिल है; विविध प्रकार के कार्यों की दर-सूची का विश्लेषण; निविदा प्रक्रिया एवं संविदा प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादकता, प्रचालन लागत; भूमि अधिग्रहण; श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण।

पेपर-II

1. तरल पदार्थों का प्रवाह, द्रवचलित मशीनें तथा जल विद्युत :

(क) तरल यांत्रिकी, मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह, नालिका प्रवाह :

तरल की विशेषताएं; विमीय विश्लेषण तथा मॉडलिंग; प्रवाह शुद्ध गतिकी तथा मापन सहित तरल गतिकी; प्रवाह जाल; विस्कासिता, सीमांत परत तथा नियंत्रण, विकर्ष(ड्रैग), उत्थापक, मुक्त पृष्ठ वाहिका के सिद्धांत, प्रवाह नियंत्रण, जलोच्छाल; प्रोत्कर्ष; नालिका नेटवर्क।

(ख) द्रवचलित मशीनें और जल विद्युत :

विविध पंप, वायु वेसल, द्रवचलित टर्बाइन-प्रकार, वर्गीकरण एवं कार्य-निष्पादन मानदंड; विद्युत गृह-वर्गीकरण और अभिन्यास, भंडारण, जल संचयन, आपूर्ति नियंत्रण।

2. जल-विज्ञान तथा जल संसाधन इंजीनियरी:

जल-विज्ञानी चक्र, भू-जल विज्ञान, कूप जल-विज्ञान तथा संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण; धाराएं और उनका प्रमापन(गॉजिंग); नदी अकारिकी(मॉर्फोलॉजी); बाढ़, सूखा और उनका प्रबंधन; जलाशयों की क्षमता।

जल संसाधन इंजीनियरी : जल के बहुउद्देशीय उपयोग; नदी क्षेत्र तथा उनकी क्षमता; सिंचाई की प्रणालियां, जल की मांग का आकलन; संसाधन- भंडारण तथा उसके लाभ, जलग्रसन, नहर और जल-निकास अभिकल्पन, भाराश्रित बांध, प्रपात, वियर, ऊर्जा क्षयकारक, बैरेज वितरण निर्माण कार्य (वर्क्स), पारगामी जल निकास निर्माण कार्य, हेड वर्क्स और अभिकल्पन; नहर अभिकल्पन, निर्माण और रख-रखाव की अवधारणाएं, नदी नियंत्रण, वर्षा का मापन तथा उसका विश्लेषण।

3. पर्यावरण इंजीनियरी :

(क) जल आपूर्ति इंजीनियरी :

स्रोत, आकलन, गुणवत्ता मानक तथा जल का परीक्षण और उसका उपचार; ग्रामीण, संस्थागत और औद्योगिक जल आपूर्ति; जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं, जल के प्रदूषण तत्व और उनके प्रभाव, जल की मांग का आकलन; पेयजल के मानक, जल शोधन संयंत्र, जल वितरण नेटवर्क।

(ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरी :

घरेलू अपशिष्ट जल की आयोजना एवं अभिकल्पन, मलजल (सीवेज) का एकत्रीकरण और उसका निपटान; नलकारी प्रणालियां। मलजल व्यवस्था प्रणाली के घटक तथा अभिन्यास; घरेलू अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली की आयोजना एवं अभिकल्पन; अवपंक (स्लज) प्रबंधन, जिसमें बहिस्रावों (एफ्लूएंट) का उपचार, निपटान तथा उपचारित बहिस्रावों का पुनर्प्रयोग शामिल है; संस्थागत तथा औद्योगिक मलजल प्रबंधन सहित बहिस्राव उपचार संयंत्र।

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :

ठोस अपशिष्ट के स्रोत और उनका वर्गीकरण, जिसमें इसकी प्रबंधन प्रणाली की आयोजना और अभिकल्पन शामिल है; निपटान प्रणाली, अपशिष्टों के लाभप्रद पहलू और सिविल इंजीनियरों द्वारा इनका प्रयोग।

(घ) वायु, ध्वनि प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान :

अवधारणाएं तथा सामान्य क्रिया पद्धति

4. तकनीकी इंजीनियरी तथा नींव इंजीनियरी :

(क) तकनीकी इंजीनियरी : मृदा अन्वेषण- आयोजना एवं विधि, मृदा की विशेषताएं, वर्गीकरण, विविध परीक्षण एवं अंत: सहसंबंध; विशिष्ट चुंबकशीलता और रिसन, संपीड्यता, संघनन तथा अपरूपण प्रतिरोध; मृदा दाब (अर्थ प्रेशर) सिद्धांत तथा मृदा में प्रतिबल वितरण, जियोसिंथेटिक्स के गुण और प्रयोग।

(ख) नींव इंजीनियरी : नींव के प्रकार एवं चयन मानदंड, वहन क्षमता, निषदन विश्लेषण, उथली तथा गहरी नींवों का अभिकल्पन तथा परीक्षण; ढाल स्थायित्व विश्लेषण, मृद तटबंध(अर्थेन एम्बैंकमेंट), बांध तथा मृदा प्रतिधारक ढांचे: प्रकार, विश्लेषण और अभिकल्पन, भू-आशोधन(ग्राउंड मॉडिफिकेशन) के सिद्धांत।

5. सर्वेक्षण एवं भू-विज्ञान :

(क) सर्वेक्षण : सर्वेक्षणों का वर्गीकरण, विविध पद्धतियां, दूरियों, ऊंचाई तथा दिशाओं के मापन के उपकरण और विश्लेषण; क्षेत्र संबंधी खगोल विज्ञान(फील्ड एस्ट्रॉनॉमी), ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम; मानचित्र बनाना; फोटोग्रामीटरी; दूरस्थ संवेदन (रिमोट सेंसिंग) संकल्पनाएं; पुलियाओं, नहरों, पुलों, रोड/रेलवे के संरेखण(एलाइनमेंट) तथा भवनों का सर्वेक्षण अभिन्यास, वक्रों की निशानबंदी(सेटिंग आउट ऑफ क्र्व)।

(ख) भू-विज्ञान : इंजीनियरी भू-विज्ञान और परियोजनाओं में उसके अनुप्रयोग का बुनियादी ज्ञान।

6. परिवहन इंजीनियरी :

राजमार्ग- आयोजना एवं निर्माण पद्धति, संरेखण तथा ज्यामितीय डिजाइन; यातायात सर्वेक्षण एवं नियंत्रण; फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट डिजाइन के सिद्धांत।

सुरंग निर्माण (टनलिंग)- संरेखण, निर्माण की विधि, मलबे(मक) का निपटान, जलनिकास, प्रकाश व्यवस्था तथा संवातायन (वेंटीलेशन)।

रेल प्रणालियां- शब्दावली, आयोजना, डिजाइन तथा रख-रखाव की पद्धतियां; पटरियों(ट्रैक) का आधुनिकीकरण।

बंदरगाह- शब्दावली, अभिन्यास और आयोजना।

विमानपत्तन- अभिन्यास, आयोजना एवं डिजाइन।

यांत्रिक इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम I

पेपर-I

1. द्रव्य यांत्रिकी :

द्रवों की बुनियादी अवधारणाएं और उनका गुणधर्म, मैनोमीट्री, द्रव स्थैतिकी, उत्प्लावकता, गति के समीकरण, बरनौली का समीकरण और उसके अनुप्रयोग, असंपीड्य तरलों का श्यान प्रवाह, स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह, पाइपों में से प्रवाह तथा पाइपों में दाबोच्चता हानि।

2. ऊष्मागतिकी और ऊष्मा अंतरण:

ऊष्मागतिकी प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं; विशुद्ध पदार्थ के गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का जीरोथ (शून्यकोटि), प्रथम तथा द्वितीय नियम; ऐन्ट्रॉपी; अप्रतिक्रम्यता तथा उपलब्धता; ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित ऊष्मागतिक चक्रों का विश्लेषण: रैंकिन, ऑटो, डीजल तथा डूअल चक्र; आदर्श तथा वास्तविक गैस; संपीड्यता गुणक; गैस मिश्रण।

ऊष्मा अंतरण के माध्यम, स्थिर तथा अस्थिर ऊष्मा प्रवाह, तापीय प्रतिरोध, फिन(पंख), मुक्त तथा प्रणोदित संवहन, संवहनी ऊष्मा अंतरण हेतु सहसंबंध, विकिरणी ऊष्मा अंतरण- विकिरण ऊष्मा अंतरण गुणांक; क्वथन तथा द्रवण, ऊष्मा विनियमित्र निष्पादन विश्लेषण(हीट एक्सचेंजर परफार्मेंस एनेलिसिस)।

3. आईसी इंजन, प्रशीतन और वातानुकूलन :

एसआई एवं सीआई इंजन, इंजन प्रणालियां और घटक, आईसी इंजनों के निष्पादन गुण और परीक्षण; ईंधन; उत्सर्जन एवं उत्सर्जन नियंत्रण। वाष्प-संपीडन प्रशीतन, प्रशीतक द्रव्य एवं कार्य चक्र(वर्किंग साइकल), संपीडित्र (कंप्रेसर), द्रवणित्र(कंडेंसर), वाष्पित्र(इवेपोरेटर) तथा प्रसरण उपकरण, अन्य प्रकार की प्रशीतन प्रणालियां जैसे वाष्प अवशोषण, वाष्प जेट, ताप विद्युत तथा वॉर्टेक्स ट्यूब प्रशीतन। साइकोमीट्रिक गुण एवं प्रक्रियाएं, सुखार्थ (कम्फर्ट) चार्ट, सुखार्थ एवं औद्योगिक वातानुकूलन, भार गणन एवं ताप पंप।

4. टर्बो मशीनरी :

प्रत्यागामी एवं घूर्णी पंप, पेल्टन चक्र, कैप्लन एवं फ्रांसिस टर्बाइन, वेग आरेख, आवेग तथा प्रितक्रया सिद्धांत, वाष्प तथा गैस टर्बाइन, प्रधार नोदन सिद्धांत- स्पंद जेट तथा निपीड जेट इंजन, प्रत्यागामी एवं घूर्णी संपीडित्र- सिद्धांत एवं अनुप्रयोग।

5. विद्युत संयंत्र इंजीनियरी :

रैंकिन एवं ब्रेटन चक्र पुनर्योजन(रीजेनरेशन) एवं पुनस्ताप(रीहीट), ईंधन एवं उनके गुणधर्म, फ्लू गैस विश्लेषण, बॉयलर, वाष्प टर्बाइन तथा विद्युत संयंत्र के अन्य घटक जैसे द्रवणित्र(कंडेंसर), वायु–निष्कासक, स्थिरवैद्युत प्रेसिपिटेटर तथा शीतन मीनार- इनके सिद्धांत, डिजाइन, प्रकार एवं अनुप्रयोग।

6. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत :

सौर विकिरण, सौर ताप ऊर्जा संग्रहण - फ्लैट प्लेट तथा फोकसिंग कलेक्टर- इनकी सामग्री तथा निष्पादन। सौर ताप ऊर्जा भंडारण, अनुप्रयोग –तापन, शीतन एवं विद्युत उत्पादन; सौर प्रकाश वोल्टीय रूपांतरण (सोलर फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन); वायु ऊर्जा का दोहन, बायोमास एवं ज्वारीय (टाइडल) ऊर्जा- विधि एवं अनुप्रयोग, ऊर्जा सेल के व्यावहारिक सिद्धांत।

पेपर - ।।

1. यांत्रिकी इंजीनियरी:

बल प्रणाली का विश्लेषण, घर्षण, केन्द्रक तथा गुरूत्व केन्द्र, गतिकी, प्रतिबल एवं विकृति–संयुक्त प्रतिबल एवं विकृति, बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल आरेख, बंकन प्रतिबल-प्रवणता तथा बंकन प्रतिबल का सिद्धांत, पतले तथा मोटे सिलेंडर/गोलीय

2. इंजीनियरी सामग्री:

मूलभूत क्रिस्टल विज्ञान, मिश्रधातु तथा फेज आरेख, ऊष्मा उपचार, लौहमय तथा अलौहमय धातु, अधात्विक सामग्री, नैनो सामग्री के मूलभूत तत्व, यांत्रिक गुणधर्म तथा परीक्षण, संक्षारण रोकथाम तथा नियंत्रण ।

3. यांत्रिकीकरण एवं मशीन :

शुद्वगतिकी के प्रकार, युगल, गतिशीलता, व्युत्क्रमण, शुद्वगतिकी विश्लेषण, समतलीय क्रियाविधि का वेग एवं त्वरण विश्लेषण, समरूप त्वरण एवं मंदक सहित कैम, चक्रजीय गति, दोलनी अनुगामी गैर-अवमंदित तथा अवमंदित एसडीओएफ प्रणाली का मुक्त एवं प्रणोदित कंपन, पारगमन प्रणाली, कंपन वियोजन, शाफ्ट गियर्स की क्रांतिक गति–दंत परिच्छेच्दिका की ज्यामिति, गियरन सिद्धांत, प्रतिकेन्द्रण परिछेच्दिका, व्यतिकरण, कुंडलिनी, सर्पिल एवं वर्मगियर, गियरमाला-सरल, संयुक्त एवं अधिचक्रिक; गतिक विश्लेषण-सर्पण (स्लाइडर)–क्रैंक क्रियाविधि, खरादन आघूर्ण अभिकलन, घूर्णी एवं प्रत्यागामी द्रव्यमान का संतुलन, घूर्णाक्षस्थायी-ऑटोमोबाइल, जहाज एवं एयरक्राफ्ट, अभिनियंत्रक पर घूर्णाक्षस्थायी बलयुग्म ।

4. मशीनी अवयव के अभिकल्प :

स्थैतिक एवं गतिक भार का अभिकल्प, भंगिता सिद्धांत, श्रांति सामर्थ्य और एस-एन आरेख, मशीनी अवयवों जैसे रिवेटेड, वेल्डेड तथा काबला जोड़, शाफ्ट, स्पर गियर, रोलिंग एवं स्लाडिंग संपर्क बेयरिंग, ब्रेक एवं क्लच, फ्लाई-व्हील के अभिकल्प के सिद्धांत ।

5. निर्माण, औद्योगिक तथा अनुरक्षण इंजीनियरी :

मेटल कास्टिंग–मेटल फॉर्मिंग, मेटल ज्वाइनिंग, मशीनीकरण तथा मशीन औजार प्रचालन, सीमा, अन्वायोजन (फिट) तथा सहिष्णुता, मापविज्ञान एवं निरीक्षण, कम्प्यूटर एकीकृत निर्माण, एफएमएस, उत्पादन, योजना तथा नियंत्रण, मालसूची नियंत्रण तथा संक्रिया अनुसंधान–सीपीएम-पीईआरटी, भंगिता अवधारणाएं तथा अभिलक्षणिक विश्वसनीयता, भंगिता विश्लेषण, मशीनी कंपन, डाटा अधिग्रहण, दोष संसूचन, कंपन अनुश्रवण, रोटर का क्षेत्र संतुलन, रव अनुश्रवण, निघर्षण तथा डेबरिस विश्लेषण, सिगनेचर विश्लेषण, अवस्था अनुश्रवण में एन डी टी प्रविधि ।

6. मेकाट्रानिकी तथा रोबोटिक्स:

माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकन्ट्रोलर, वास्तुकला, प्रोग्रामन, आई/ओ, कम्प्यूटर इंटरफेसिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सेन्सर एवं संचालक, दाबविद्युत त्वरणमापी, हॉल प्रभाव सेन्सर, आप्टिकल इनकोडर, वियोजक, इन्डक्टोसीन, वायुचालित एवं द्रवचालित संचालक, अतिप्रवण मोटर, नियंत्रण प्रणाली-भौतिकीय प्रणाली का गणितीय मॉडल, नियंत्रण संकेत,

नियंत्रणीयता तथा प्रेक्षणीयता, रोबोटिक्स, रोबोट वर्गीकरण, रोबोट विनिर्देशन, प्रतीकांकन (सांकेतिक), प्रत्यक्ष तथा प्रतीप शुद्वगतिकी, समांगी निर्देशांक और चार अक्षों का भुजा समीकरण, एससीएआरए रोबोट ।

वैद्युत इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II) का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम I

पेपर-I

1. इंजीनियरी गणित:

मैट्रिक्स सिद्धांत, आइगेन मान और आइगेन सदिश, रेखीय समीकरण प्रणाली, अरेखीय बीजीय समीकरणों और अवकल समीकरणों को हल करने की संख्यात्मक विधियां, अविकल परिकलक, आंशिक व्युत्पाद, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, रेखा, सतह तथा आयतन समाकल । फोरिये श्रेणी, रेखीय, अरेखीय और आंशिक अवकलज समीकरण, प्रारंभिक और परिमित मान समस्याएं, सम्मिश्र चर, टेलर और लारेन्ट की सीरीज, अवशेष सिद्धांत, प्रायिकता एवं सांख्यिकी मूलभूत सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, यादृच्छ चर, सामान्य और प्वासों वितरण, सहसंबंध और समाश्रयण विश्लेषण ।

2. विद्युत सामग्री:

विद्युत इंजीनियरी सामग्री, स्फटिक अवसंरचना और दोष, सिरामिक पदार्थ, रोधक पदार्थ, चुम्बकीय पदार्थ-मूल सिद्धांत, गुण और अनुप्रयोग; फेराइट लौह-चुंबकीय पदार्थ और घटक ; ठोस अवस्था भौतिकी के मूल सिद्धांत; चालक; प्रकाश संवाहकता; नेनो पदार्थों और अतिचालकों के मूल सिद्धांत ।

3. विद्युत परिपथ और क्षेत्र:

परिपथ तत्व, नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोड और मेश विश्लेषण, आदर्श विद्युत प्रवाह और वोल्टेज स्त्रोत, थेवेनिन, नोरटन का अध्यारोपण और अधिकतम विद्युत अंतरण सिद्धांत, डीसी और एसी नेटवर्क की क्षणिक अनुक्रिया, साइनाकार स्थायी अवस्था विश्लेषण, मूल फिल्टर संकल्पना, दो-पोर्ट नेटवर्क, त्रिफेजी परिपथ, चुम्बक युग्मित परिपथ, गॉस सिद्धांत, बिन्दु, रेखा, समतल और गोलीय आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र और विभव,, एम्पीयर और बायो सेवर्ट का नियम; प्रेरकत्व, परावैद्युत धारिता; मैक्सवेल का समीकरण ।

4. वैद्युत एवं इलैक्ट्रानिक मापन:

मापन के सिद्धांत, यथार्थता, परिशुद्धता और मानक; सेतु और विभवमापी; चल कुंडल, चल लौह, डायनेमोमीटर और प्रेरण प्रकार उपकरण; वोल्टेज, विद्युत प्रवाह, शक्ति, ऊर्जा और शक्ति कारक का मापन, उपकरण ट्रांसफार्मर, डिजीटल वोल्टमीटर और मल्टीमीटर, फेज़, समय और आवृति मापन, क्यू-मीटर, दोलनदर्शी, विभवमापीय रिकार्डर, दोष विश्लेषण, संवेदक, ट्रांसड्यूसर के मूल सिद्धांत, आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली के मूल सिद्धांत ।

5. कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धांत:

संख्या प्रणाली, बूलीय बीजगणित, अंक गणितीय कार्य, मूल वास्तुकला, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आई/ओ और मेमोरी आर्गेनाइजेशन, परिधीय युक्ति, डाटा निरूपण तथा संचालन प्रणाली के मूलतत्व तथा नेटवर्किंग, वास्तविक मेमोरी, फाइल प्रणाली, प्रोग्रामण भाषा के तत्व, प्ररूपी उदाहरण ।

6. इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग के मूलतत्व:

सेमी कन्डक्टर, डायोड्स तथा ट्रांसजिस्टर्स के मूलतत्व और उनकी विशेषताएं, जंक्शन तथा फील्ड इफेक्ट ट्रांसजिस्टर्स (बीजेटी, एफईटी तथा एमओएसएफईटीएस), विभिन्न प्रकार के ट्रांसजिस्टर्स एम्पलीफायर, समतुल्य परिपथ तथा आवृति अनुक्रिया, दोलित्र तथा अन्य परिपथ, फीडबैक एम्पलीफायर ।

पेपर - II

1. एनालॉग और डिजीटल इलेक्ट्रॉनिकी :

आपरेशनल एम्प्लीफायर-अभिलक्षण और अनुप्रयोग, संयोजनात्मक और आनुक्रमिक लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, मल्टी वाइब्रेटर, सेम्पल और होल्ड सर्किट, ए/डी और डी/ए कन्वरटर, फिल्टर सर्किट के आधारभूत तत्व और अनुप्रयोग, सामान्य

एक्टिव फिल्टर, माइक्रोप्रोसेसर के मूलभूत तत्व - अन्तरापृष्ठ और अनुप्रयोग, रेखीय एकीकृत सर्किटों के मूलभूत तत्व, एनालॉग संचार के मूलभूत तत्व, मॉडुलेशन और डिमॉडुलेशन, रव और बैंड चौड़ाई, ट्रान्समीटर और रिसीवर, रव अनुपात का संकेत, डिजीटल संचार के मूलभूत तत्व, नमूनाकरण, क्वांटिजिंग, कोडिंग, फ्रिक्वेंसी और टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, पावर लाइन करियर संचार प्रणालियां ।

2. प्रणालियां और संकेत प्रोसेसिंग:

सतत और असतत-काल संकेतों का निरूपण, शिफ्टिंग और स्केलिंग आपरेशन, रेखीय टाइम-इन्वेरियंट और कैजुअल प्रणालियां, सतत आवधिक संकेतों का फोरियर सीरीज़ प्रतिनिधित्व, सैम्पलिंग थ्योरम, फोरियर और लैप्लेस ट्रान्सफार्म, एफ एफ टी, रेखीय संवलन, असतत कोसाइन ट्रान्सफार्म, एफ आई आर फिल्टर, आई आई आर फिल्टर, द्वैरेखीय रूपान्तरण ।

3. नियंत्रण प्रणालियां :

फीडबैक के सिद्धांत, ट्रान्सफर कार्य, ब्लॉक आरेख और संकेत प्रवाह रेखाचित्र, स्थिर अवस्था त्रुटियां, रूपान्तर और उसके अनुप्रयोग, राउथ-हरविट्ज़ मानदण्ड, नाइक्विस्ट तकनीक, बॉड प्लॉट्स, मूल बिन्दुपथ, पश्चता, सीसा और सीसा-पश्चता प्रतिकरण, स्थायित्व विश्लेषण, क्षणिका और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स विश्लेषण, अवस्था स्थान मॉडल, अवस्था विचरण निरूपण, नियन्त्रण और अवलोकन, रेखीय अवस्था परिवर्तनशील फीडबैक, पीआईडी और औद्योगिक नियंत्रक।

4. वैद्युत मशीनें:

एकल फेज ट्रान्सफार्मर, त्रि-फेज ट्रान्सफार्मर - योजन, समान्तर आपरेशन, ऑटो- ट्रान्सफार्मर, ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत, डी सी मशीनें - प्रकार, वाइंडिंग, जेनेरेटर अभिलक्षण, आर्मेचर प्रतिक्रिया और दिक् परिवर्तन, मोटरों का स्टार्ट होना और गति नियंत्रण, अधिष्ठापन मोटर - सिद्धांत, प्रकार, निष्पादन अभिलक्षण, स्टार्ट होना और गति नियंत्रण, समगति मशीनें – निष्पादन, विनियमन, जेनेरेटरों का समान्तर आपरेशन, मोटर स्टार्ट होना, अभिलक्षण और अनुप्रयोग, सर्वो और स्टेप्पर मोटर ।

5. पावर प्रणाली:

मूलभूत विद्युत उत्पादन संकल्पनाएं, भाप, गैस और जल टर्बाइन, ट्रान्समिशन लाइन मॉडल और निष्पादन, केबल निष्पादन, इन्सुलेशन, कोरोना और रेडियो इन्टरफेरेंस, विद्युत कारक संशोधक, सममित संघटक, दोष विश्लेषण, संरक्षा प्रणालियों के सिद्धांत, ठोस अवस्था रिले के मूलभूत तत्व और डिजीटल संरक्षा, सर्किट ब्रेकर, रेडियल और रिंग - मुख्य वितरण प्रणालियां, विद्युत प्रणालियों के मैट्रिक्स निरूपण, भार प्रवाह विश्लेषण, वोल्टेज नियंत्रण और इकॉनोमिक आपरेशन, प्रणाली स्थायित्व संकल्पनाएं, स्विंग वक्र और समान मानदण्ड, एचवीडीसी ट्रान्समिशन और एफएसीटीएस संकल्पनाएं, विद्युत प्रणाली गतिकी की संकल्पनाएं, वितरित उत्पादन, सौर और वायु विद्युत, स्मार्ट ग्रिड संकल्पनाएं, पर्यावरणीय प्रभाव, विद्युत अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत ।

6. विद्युत इलेक्ट्रानिकी और चालन:

अर्द्धचालक विद्युत डायोड, ट्रान्जिस्टर, थाइरिस्टर, ट्रिएक्स, जीटीओ, एमओएसएफईटी और आईजीबीटी-स्थिर अभिलक्षण और ऑपरेशन के सिद्धांत, ट्रिगरिंग सर्किट, फेज नियंत्रण रेक्टीफायर्स, ब्रिज कन्वरर्टर्स – पूर्ण नियंत्रित एवं अर्ध नियंत्रित, चॉपर्स एवं इनवर्टर के सिद्धांत, समायोज्य गति डीसी और एसी चलनों की मूलभूत संकल्पनाएं, डीसी-एसी स्विच्ड मोड कन्वरर्टर्स, उच्च रिजोनेंट कन्वरर्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इन्डक्टर्स और ट्रान्सफार्मर्स, विद्युत आपूर्ति ।

शाखा/विषय : इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II) का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा के पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II का अलग-अलग पाठ्यक्रम I

पेपर-I

1. मूलभूत इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी:

अर्द्धचालकों के मूलभूत तत्व; डायोड; ट्रान्जिस्टर के मूलभूत तत्व और अभिलक्षण; विभिन्न प्रयोगों के लिए डायोड; जंक्शन एवं फील्ड प्रभाव ट्रान्जिस्टर (बीजेटी, जेएफईटी, एमओएसएफईटी); विभिन्न प्रकार के ट्रान्जिस्टर एम्प्लीफायर्स,

ओस्सीलेटर और अन्य सर्किट; एकीकृत सर्किटों के मूलभूत तत्व (आईसी); बायोपोलर, एमओएस और सीएमओएस आईसी; रेखीय आईसी के मूलभूत तत्व, आपरेशनल एम्प्लीफायर्स और उनके अनुप्रयोग–रेखीय /अरेखीय; आप्टीकल स्रोत/डिटेक्टर; ओप्टो इलेक्ट्रानिकी के मूलभूत तत्व और उसके अनुप्रयोग ।

2. मूलभूत विद्युत इंजीनियरी:

डीसी सर्किट–ओहम एवं किरकॉफ विधि, मेश और नोडल विश्लेषण, सर्किट थ्योरम; इलेक्ट्रो-मैगनिटिज्म, फैराडे एवं लेंज विधि, उत्प्रेरण ईएमएफ और उसके प्रयोग; एकल फेज एसी सर्किट; ट्रान्सफार्मर, दक्षता; मूलभूत तत्व - डीसी मशीनें, इन्डक्शन मशीनें और समगति मशीनें; वैद्युत ऊर्जा स्रोत-मूलभूत तत्व; जल विद्युत, ताप, परमाणु, वायु, सौर; बैटरियों के मूलभूत तत्व और उसके प्रयोग ।

3. सामग्री विज्ञान:

विद्युत इंजीनियरी सामग्री; क्रिस्टल स्ट्रक्चर एवं त्रुटियां; सिरामिक सामग्री - स्ट्रक्चर, यौगिक, प्रोसेसिंग और प्रयोग; इलेक्ट्रॉनिकी के इन्सुलेटिंग लेमिनेट्स, स्ट्रक्चर, गुणधर्म एवं प्रयोग; चुम्बकीय सामग्री, मूलभूत तत्व, वर्गीकरण, फेराइट्स, फैरो, पैरा-चुम्बकीय सामग्री और संघटक; नैनो सामग्री-मूलभूत तत्व निर्माण, शुद्धिकरण, सिन्टेरिंग, नैनो कण और प्रयोग; नैनो-आप्टीकल/ चुम्बकीय/इलेक्ट्रानिक सामग्री और प्रयोग; अतिचालकता, प्रयोग ।

4. इलेक्ट्रोनिक माप और माप के सिद्धांत:

माप, सटीक, परिशुद्धता और मानक के सिद्धांत, माप के लिए एनालॉग और डिजीटल प्रणालियां, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए माप यंत्र, माप प्रणालियों के स्थिर/गतिकी अभिलक्षण, त्रुटियां, सांख्यिकीय विश्लेषण और वक्र फिटिंग, गैर-विद्युत मात्राओं के लिए माप प्रणालियां; टेलीमेट्री के मूलभूत तत्व; ट्रान्सड्यूसर और डिसप्ले के विभिन्न प्रकार के आंकड़े, अधिग्रहण प्रणाली के मूलभूत तत्व ।

5. नेटवर्क सिद्धांत:

नेटवर्क आरेख एवं आव्यूह, वार्ट-डेल्टा रूपान्तर; रेखीय स्थिर गुणांक भिन्न साम्यता-आर एल सी सर्किटों का टाइम डोमेन विश्लेषण; लाप्लेस ट्रान्सफार्मों का प्रयोग करते हुए नेटवर्क साम्यताओं का हल–आरएलसी सर्किटों का फ्रीक्वेंसी डोमेन विश्लेषण; 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर-ड्राइविंग बिन्दु एवं अन्तरण कार्य; नेटवर्कों के लिए अवस्था साम्यता; स्थिर अवस्था ज्यावक्रीय विश्लेषण।

6. एनालॉग और डिजीटल सर्किट:

डायोडों के लघु संकेत समरूप सर्किट, बीजेटीएस और एफईटी; विभिन प्रयोगों के लिए डायोड सर्किट; बीजेटी एवं जेएफईटी एम्प्लीफायर सर्किटों का अभिनतिकरण एवं स्थिरता; एम्प्लीफायर का विश्लेषण/डिजाइन - एकल/बहुचरण; फीडबैक एवं प्रयोग; एक्टिव फिल्टर, टाइमर, मल्टीप्लायर, वेव रूपण, ए/डी-डी/ए कन्वरटर; बूलियन बीजगणित एवं प्रयोग; लॉजिक गेट्स, डिजीटल आईसी फेमिलीज़, संयुक्त/अनुक्रमणीय सर्किट; मल्टीप्लेक्सरों के मूलभूत तत्व, काउन्टर/रजिस्टर/मेमोरीज/माइक्रोप्रोसेसर, डिजाइन एवं अनुप्रयोग ।

पेपर-।।

1. एनालॉग और डिजीटल संचार प्रणाली :

यादृच्छिक (रैंडम) संकेत, रव, संभाव्यता सिद्धांत, सूचना सिद्धांत, एनालॉग बनाम डिजीटल संचार तथा अनुप्रयोग: प्रणाली-एएम, एफएम, ट्रांसमीटर/रिसीवर, सिद्धांत/पद्धति/मानक, एसएनआर तुलना; डिजीटल संचार मूल तत्व जैसे: सैम्पलिंग, क्वान्टीजिंग, कोडिंग, पीसीएम, डीपीसीएम, मल्टीप्लेक्सिंग-ऑडियो/वीडियो; डिजीटल माड्यूलेशन: एएसके, एफएसके, पीएसके; विविध अभिगम; टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए; ऑप्टिकल संचार; फाइबर ऑप्टिक्स, सिद्धांत, पद्धति/
मानक ।

2. नियंत्रण प्रणाली :

सिगनल तथा प्रणालियों का वर्गीकरण; सिगनल तथा प्रणाली सिद्धांत का अनुप्रयोग; प्रणाली बोध; ट्रांसफार्मर्स तथा उनका अनुप्रयोग; सिगनल फ्लोग्राफ, राउथ-हर्विट्ज़ कसौटी, रूट लोसी, निक्विस्ट/बॉड प्लॉट्स; फीडबैक प्रणाली-खुले तथा बंद लूप प्रकार, स्थिरता विश्लेषण, स्थिर स्थिति, क्षणिक और आवृत्ति प्रतिक्रिया विश्लेषण; नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन, कम्पनसेटर्स, लीड/लैग कम्पनसेशन के तत्व, पीआईडी और औद्योगिक नियंत्रक ।

3. कम्प्यूटर संगठन तथा वास्तुकला :

बुनियादी वास्तुकला, सीपीयू, आई/ओ आर्गेनाइजेशन, मेमोरी आर्गेनाइजेशन, परिधीय उपकरण, प्रवृत्तियां; हार्डवेयर/साफ्टवेयर मुद्दे; डाटा निरूपण तथा प्रोग्रामिंग; ऑपरेटिंग प्रणाली - मूलभूत तत्व, प्रक्रियाएं, विशेषताएं, अनुप्रयोग; मेमोरी प्रबंधन, आभासी स्मृति, फाइल प्रणाली, संरक्षण तथा सुरक्षा; डाटा बेस, विभिन्न प्रकार, विशेषताएं और डिजाइन; ट्रांजेक्शन तथा सहमति नियंत्रण; प्रोग्रामिंग भाषा के तत्व; विशिष्ट उदाहरण ।

4. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स :

वेक्टर कैलकुलस के तत्व, मैक्सवेल के समीकरण-बुनियादी अवधारणाएं; गॉस, स्टोक्स सिद्धांत, विभिन्न मीडिया के माध्यम से तरंग संचरण; ट्रांसमिशन लाइन्स-विभिन्न प्रकार, मूलभूत तत्व, स्मिथ चार्ट, प्रतिबाधा मिलान/परिवर्तन, एस-पैरामीटर, पल्स उत्तेजना, प्रयोग; वेवगाइड्स- बुनियादी, आयताकार प्रकार, मोड, कट-ऑफ आवृत्ति, फैलाव, परावैद्युत प्रकार; ऐन्टिना- विकिरण पैटर्न, एकध्रुव/द्विध्रुव, लब्धि, व्यूह - सक्रिय/ निष्क्रिय, सिद्धांत, प्रयोग ।

5. उन्नत इलेक्ट्रानिक्स विषय :

वीएलएसआई प्रौद्योगिकी; प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, इन्टरकनेक्ट, पैकेजिंग, परीक्षण; वीएलएसआई डिजाइन: सिद्धांत, एमयूएक्स/आरओएम/ पीएलए-आधारित डिजाइन, मूर और मिले सर्किट डिजाइन: पाइपलाइन अवधारणा और कार्य; परीक्षण के लिए डिजाइन, उदाहरण; डीएसपी: असतत काल संकेत/प्रणाली; प्रयोग; डिजीटल फिल्टर: एफआईआर/ आईआईआर प्रकार, डिजाइन, स्पीच/श्रव्य/राडार सिगनल प्रोसेसिंग, प्रयोग; माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोकन्ट्रोलर, मूलभूत तत्व, बाधक, डीएमए, हिदायत सेट, इन्टरफेसिंग; कन्ट्रोलर तथा प्रयोग; एम्बेडेड प्रणाली ।

6. उन्नत संचार विषय :

संचार नेटवर्क: सिद्धांत/व्यवहार/प्रौद्योगिकी/प्रयोग/ओएसआई मॉडल/ सुरक्षा; बेसिक पैकेट बहुविधि शाखा/अनुसूची; सेल्युलर नेटवर्क, प्रकार, विश्लेषण, प्रोटोकॉल (टीसीपी/टीसीपीआईपी); माइक्रोवेव और उपग्रह संचार: भौमिक/स्थल प्रकार एलओएस प्रणाली, ब्लॉक योजनाबद्ध लिंक गणना, प्रणाली डिजाइन; संचार उपग्रह, कार्यक्षेत्र, विशेषताएं, प्रणाली, प्रयोग; फाइबर-ऑप्टिक संचार प्रणाली, ब्लॉक योजनाबद्ध, लिंक गणना, प्रणाली डिजाइन ।

परिशिष्ट-II

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान करने में समर्थ हो सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (चिकित्सा एग्जामिनर्स) का मार्ग-निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, उसे स्वास्थ्य परीक्षकों के द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इसमें सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

विभिन्न सेवा(सेवाओं) हेतु ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के चिकित्सा मानकों सहित उनके चिकित्सा परीक्षण संबंधी सभी प्रकार के नोटिस तथा सूचनाएं, इंजीनियरी सेवा परीक्षा,2026 हेतु चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ होने से पहले संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग के विशिष्ट वेब पेज पर प्रदर्शित की जाएगी। यह कार्य इंजीनियरी सेवा परीक्षा की सभी प्रतिभागी सेवाओं के संबंधित नोडल प्राधिकारियों तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करके किया जाएगा।

टिप्पणी :- चिकित्सा बोर्ड शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्टरी परीक्षा करते समय अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण) दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के संगत प्रावधानों को, जिसमें अनुज्ञेय शारीरिक दिव्यांगता की सीमा परिभाषित की गई है, ध्यान में को रखेगा।

2. (क) भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ख) नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक

स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

3. (क) भारतीय (एंग्लो-इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवार की आयु, कद और छाती के घेरे को परस्पर संबंध के बारे में चिकित्सा बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों को परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाएं। यदि कद, वजन और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवारों को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

(ख) किन्तु, कुछ सेवाओं में कद के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित हैं, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता **:-**

सेवा का नाम	लिंग	कद
केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क', केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क), के.लो.नि.वि. में केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क', सैन्य इंजीनियरी सेवा (आईडीएसई), केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा, बीआरईएस ग्रुप 'क', सीमा सड़क संगठन, भारतीय कौशल विकास सेवा(आईएसडीएस) , आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिग्नल एवं दूरसंचार)	पुरुष उम्मीदवारों के लिए	152 cm
	महिला उम्मीदवारों के लिए	150 cm

अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैण्ड की जनजातियों आदि जैसी प्रजातियां जिनका औसत कद स्पष्टत: ही कम होता है, के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जा सकती है।

(क) सभी सेवाओं के लिए छाती के नाप में कम से कम 5 सें. मी. के फैलाव की गुंजाइश रखनी होगी। निरर्हक घोषित किए जाने के प्रयोजन से, सांस लेने(इन्सीपेशन) और सांस छोड़ने (एक्सपीरेशन) के दौरान की प्रक्रिया के वास्तविक माप (एबसोल्यूट वैल्यू) का प्रयोग किया जाएगा।

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा:-

वह अपने जूते उतार देगा/देगी और मापदंड (स्टैन्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पांवों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा/होगी और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वरटेक्स आफ द हैड लेवल) हॉरिजोन्टल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटर में मापा जाएगा।

5. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है:-

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि उसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इनफीरियर एंगल्स) के पीछे लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हॉरिजोन्टल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 83-89, 86-93.5 आदि। माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रैक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान दें :-अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापी जानी चाहिए।

6. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा - आधे किलोग्राम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :-

(i) **सामान्य** - किसी रोग या असामान्यता का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कांटिगुअस स्ट्रक्चर्स) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) **दृष्टि-तीक्षणता (विजुअल एक्युइटी) :** दृष्टि की तीक्ष्णता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी - एक दूर की नजर के लिए दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई अधिकतम सीमा (मैक्सीमम लिमिट) नहीं होगी किन्तु उम्मीदवारों की चश्मे के बिना आंखों की नजर प्रत्येक मामले में चिकित्सा बोर्ड या अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिकार्ड की जाएगी क्योंकि इसमें आंख की स्थिति के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फॉरमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :-

	सेवा		दूर दृष्टि			निकट दृष्टि		
			बेटर आई (करेक्टेड वर्जन)	वर्स आई		बेटर आई (करेक्टेड वर्जन)		वर्स आई
	(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
क.	**तकनीकी**							
1.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क', केन्द्रीय वैद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क', केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क', केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' , केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क', भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क', भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप 'क', जे.टी.ओ. ग्रुप 'ख', डाक एवं तार भवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियर, भारतीय नौसेना आयुध सेवा, भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह क सेवा, रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा, भारतीय कौशल विकास सेवा, भारतीय उद्यम विकास सेवा, आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक,		6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9		जे/1		जे/II

	वैद्युत तथा सिग्नल एवं दूरसंचार)।							
2.	ईएमई कोर में सहायक कार्यकारी अभियंता (ग्रुप 'क') सैन्य इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' (आईडीएसई), एमईएस सर्वेक्षक संवर्ग में एईई (क्यूएसएंडसी), सीमा सड़क संगठन में बीआरईएस ग्रुप 'क'		6/6 अथवा 6/9	6/18 अथवा 6/9		जे/I		जे/II
ख.	**गैर-तकनीकी**							
3.	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह 'क' सेवा		6/9	6/12		जे/I		जे/II
4.	आईआरएमएस (भंडार)							

टिप्पण (1) : (क) उपर्युक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के संबंध में, मायोपिया (सिलेन्डर और स्फेरिकल सहित) का कुल परिणाम 6डी से अधिक नहीं होगा। हाइपर मेट्रोपिया (सिलेन्डर सहित) 4डी से अधिक नहीं होगा। सभी तकनीकी सेवाओं के लिए मायोपिया के संबंध में 6 डायोप्टर से अधिक (सिलेन्डर और स्फेरिकल सहित) तथा हाइपर मेट्रोपिया के संबंध में 4 डायोप्टर से अधिक अयोग्य है। तथापि, विशेष चिकित्सा बोर्ड के पश्चात, यदि मायोपिया बोर्ड द्वारा मैक्युलर क्षेत्र में कोई अपकर्षक (डीजेनरेटिव) परिवर्तन न हो तो गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है।

किन्तु शर्त यह है कि यदि उम्मीदवार को "तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत सेवाओं के संबंध में हाई मायोपिया के कारण अयोग्य पाया गया तो यह मामला तीन नेत्र विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को संदर्भित किया जाएगा जो घोषणा करेंगे कि यह मायोपिया रोगात्मक है या कि नहीं। यदि यह रोगात्मक नहीं है तो उम्मीदवार को गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते वह अन्यथा दृष्टि संबंधी अपेक्षाएं पूरी करें।

(ख) मायोपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में, जांच करनी चाहिए और उसके नतीजे को रिकार्ड किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार की रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने की और उसके उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की संभावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

(ग) इंट्रा ऑकूलर लेंस (आईओएल) और इंप्लांटेड कॉन्टेक्ट लेंस (आईसीएल) को सभी श्रेणियों के लिए अयोग्य माना जाएगा। तथापि, रेडियल केराटोटोमी/लेज़र करेक्शन (लेसिक) सभी श्रेणियों के लिए अनुमत होगा बशर्ते पैकीमीट्रि पर कोर्निया का शेष बैंड 425 माइक्रोन (फ्लैप सहित) से कम नहीं होना चाहिए और शल्य चिकित्सा कम से कम 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए जो स्पेशल बोर्ड (एसओबी) द्वारा रेटिना की जांच के अध्यधीन है।

घ) उक्त उप पैरा 1(क) में यथाउल्लिखित चश्मे की पावर आईआरआरएस संवर्ग में अपेक्षित नहीं कि बशर्ते कि उम्मीदवार उक्त उप पैरा 7(ii) में यथाउल्लिखित "विजुअल एक्युटी" की अपेक्षा पूरी करता हो।

टिप्पण (2) : उपर्युक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के संबंध में कलर विज़न की जांच अनिवार्य होगी।

जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है कलर परसेप्शन उच्चतर तथा निम्नतर ग्रेडों में होना चाहिए जो लैन्टर्न में द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो :-

		ग्रेड		**कलर परसेप्शन का उच्चतर ग्रेड**		**कलर परसेप्शन का निम्नतर ग्रेड**
1.		लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी		16 फुट		16 फुट
2.		द्वारक (एपर्चर) का आकार		1.3 मि.मी.		13 मि.मी.
3.		दिखाने का समय		5 सेकंड		5 सेकंड

जनता की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए ऊंचे ग्रेड के कलर विज़न की जरूरत है किन्तु अन्य सेवाओं के लिए नीचे ग्रेड के कलर विज़न को पर्याप्त माना जाना चाहिए :-

सेवाओं/पदों के वर्ग जिनके लिए उच्च या निम्न ग्रेड का कलर विज़न अपेक्षित हैं, नीचे दिए जा रहे हैं :-

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए उच्चतर ग्रेड का कलर परसेप्शन अपेक्षित है :-

(i)		भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा (आईडीएसई)
(ii)		केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क)
(iii)		केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (ग्रुप 'क'
(iv)		ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर ग्रुप 'क'
(v)		सीमा सड़क संगठन में बीआरईएस ग्रुप 'क'
(vi)		भारतीय सर्वेक्षण विभाग ग्रुप ‘क’ सेवा
(vii)		सैन्य इंजीनियरी सेवा एमईएस संवर्ग में सहायक कार्यकारी अभियंता (क्यूएसएंडसी)
(viii)		भारतीय उद्यम विकास सेवा
(ix)		आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिग्नल एवं दूरसंचार), समूह ‘क’
(x)		ईएमई कॉर्प्स में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (समूह ‘क’)

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए निम्नतर ग्रेड का कलर परसेप्शन अपेक्षित है :-

(i) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा।

(ii) केन्द्रीय वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा।

(iii) भारतीय नौसेना आयुध सेवा।

(iv) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा।

(v) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा ।

(vi) भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह ‘क’।

(vii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह ‘क’

(viii) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा (डीएक्यूएएस)

(ix) भारतीय कौशल विकास सेवा।

वे सेवाएं जिनके लिए कलर परसेप्शन अपेक्षित नहीं है :-

(i) भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप 'क'

(ii) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय)

(iii) आईआरएमएस (भंडार), समूह ‘क’

लाल, हरे और पीले रंग के संकेत को आसानी से और बिना हिचकिचाहट के पहचान लेना संतोषजनक कलर विज़न है। कलर विज़न की जांच हेतु अच्छे प्रकाश में दिखाई गई इशिहारा प्लेटों तथा एक उपयुक्त लालटेन यथा एडरिज ग्रीन की लालटेन का प्रयोग पूर्ण विश्वसनीय माना जाएगा। तकनीकी सेवाओं में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विज़न के परीक्षण

के लिए इशिहारा की प्लेटों तथा एडरिज ग्रीन की लालटेन दोनों का प्रयोग किया जाएगा।

टिप्पण (3) : दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन) - सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र की परिभाषा (पैरीमीटर) पर आधारित किया जाना चाहिए।

टिप्पण (4) : रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस) - केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नियमित के रूप में जरूरी नहीं है। रतौंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैंडर्ड निश्चित नहीं है। चिकित्सा बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्दर कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवाकर दृष्टि तीक्षणता रिकार्ड करना। उम्मीदवार के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चहिए किन्तु उन पर उचित विचार कर लिया जाना चाहिए।

टिप्पण (5) : केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा/केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) - उम्मीदवार की चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझे जाने पर कलर विज़न और रतौंधी संबंधी परीक्षण पास करना होगा। भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप 'क' के लिए उम्मीदवार को 'त्रिविम सगलल (स्टेरोस्कोपिक फ्यूज़न)' परीक्षण पास करना होगा।

टिप्पण (6) : दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आंख को दर्शाने वाली अन्य अवस्था (आक्युलर कंडीशन)।

(क) आंख की अंग संबंधी बीमारी की बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रेक्टिव एरर), जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की संभावना हो, को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) भैंगापन (स्क्विंट) के साथ द्विनेत्रों की (बाइनोकुलर) दृष्टि का न होना सभी तकनीकी सेवाओं में अयोग्य माना जाएगा। गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए इसे योग्य माना जा सकता है। भैंगापन (स्क्विंट) के साथ द्विनेत्रों की (बाइनोकुलर) दृष्टि का होना सभी सेवाओं के लिए अयोग्य माना जाएगा।

(ग) अन्य मापदंड सामान्य होने पर, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सभी तकनीकी सेवाओं के लिए अयोग्य तथा गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए योग्य माना जाएगा।

टिप्पण (7): कान्टैक्ट लैंस - चिकित्सा परीक्षा के दौरान, उम्मीदवार को कान्टैक्ट लैंस का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

टिप्पण (8) : यह आवश्यक है कि आंखों का परीक्षण करते समय दूर दृष्टि के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कैन्डल की प्रदीप्ति जैसी हो।

टिप्पण (9) : सरकार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में विशेष कारण से किसी भी शर्त में छूट दे सकती है।

8. रक्त चाप (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने विवेक से काम लेगा। नार्मल, मैक्सिमम सिस्टॉलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :-

(i) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य विनियम बिलकुल संतोषजनक है।

कृपया ध्यान दें-1. सामान्य नियम के रूप में 140 एम.एम. से ऊपर सिस्टॉलिक प्रेशर और 90 एम.एम. से ऊपर डायस्टॉलिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। उच्च रक्त चाप (चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचाने जाने पर) वाले उम्मीदवार को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया

जाना चाहिए।

2. रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) नापने का तरीका

नियमानुसार पारे वाले दाबमापी (मरकरी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म का व्यायाम या घबराहट के बाद 15 मिनट तक रक्त चाप नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो। बांह थोड़ी बहुत हॉरिजोन्टल स्थिति में रोगी के पार्श्व हो तथा उसके कन्धे तक कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से, एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बांह धमनी (ब्रैकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से बीच में लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एमएम. एचजी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टॉलिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाएं तो वह डायस्टॉलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोडी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारक होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़तीं हैं। दाब गिरने पर यह गायब हो जाती हैं तथा निम्नस्तर पुन: प्रकट हो जाती हैं। इससे "साइलेंट गैप" की रीडिंग में गलती हो सकती है।)

9. मधुमेह (डायबिटीज़ मेलिटस)

परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब चिकित्सा बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज़) के द्योतक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को ग्लुकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय, अपेक्षित चिकित्सा फिटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाया जाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मोही (नॉन-डायबिटीज) नहीं है और बोर्ड इस केस को चिकित्सा के किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला सुविधाएं हों। चिकित्सा विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शूगर टालरेंस टेस्ट सहित जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट चिकित्सा बोर्ड को भेज देगा जिस पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा 'फिट' या 'अनफिट' के संबंध में अंतिम राय अवधरित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख से रखा जाए। मधुमेह (डायबिटीज़ मेलिटस) वाले उम्मीदवार (चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचाने जाने पर) को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसे अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण किया जाना चाहिए :-

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी जांच कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबंध सेना इंजीनियरी सेवा, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क), केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी की सेवा ग्रुप 'क' तथा सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप "क" पर लागू नहीं है। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है:-

1	2	3
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होना।	यदि हायर फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर-तकनीकी कार्यों के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए योग्य।
(3)	सेंट्रल या मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन का छिद्र	(i) एक कान सामान्य, दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन का छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा स्थिति सुधरने पर दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर के उन्हें एक मौका दिया जा सकता है। (ii) चूंकि सभी प्रकार के मार्जिनल या एंटिक छिद्र असुरक्षित होते हैं, चाहे वह एक कान या दोनों कानों में हों, अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। शल्य चिकित्सा के पश्चात एक उम्मीदवार को तभी योग्य माना जायेगा यदि दोनों कान की श्रवण क्षमता 30 डेसिबल न्यूनतम हो | (iii) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य।
(4)	मैस्टॉइड केविटि के कारण कान के एक ओर/दोनों ओर से सब-नार्मल श्रवण	(i) किसी एक कान से सामान्य रूप से और दूसरे कान में मैस्टॉइड केविटी - तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए योग्य। (ii) मैस्टॉइड केविटी अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाता है चाहे वह एक कान में हो या दोनों कानों में। यदि शल्य चिकित्सा के पश्चात मरीज़ की सुनने की क्षमता 30 डेसिबल अथवा अधिक हो, तो उसे योग्य घोषित किया जा सकता है।
(5)	आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन के बहते रहने वाले कान	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
(6)	नासा पट्ट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा इससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा	(i) प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लक्षणों सहित नासा पट्ट विचल विद्यमान होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य।
(7)	टॉन्सिल और/या कंठ की जीर्ण प्रवाहक दशा	(i) टॉन्सिल और/या कंठ की जीर्ण प्रवाहक दशा - योग्य। (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(8)	कान, नाक, गले (ई.एन.टी.) के सुसाध्य अथवा अपने स्थान पर मैलिगनेंट ट्यूमर	(i) सुसाध्य ट्यूमर के लिए भी इलाज की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी भी कमी/जटिलताएं होती हैं, जिनसे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए, सभी प्रकार के सुसाध्य ट्यूमर को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाए और केवल शल्य चिकित्सा के सफल उपचार के बाद ही इसे योग्य घोषित किया जा सकता है। (ii) मैलिगनेंट ट्यूमर - अयोग्य

(9)	ऑटोस्क्लिरोसिस	(i) यदि आपरेशन के बाद या श्रवण यंत्र की सहायता से 30 डेसिबल के अन्दर सुनाई देता है, तो उसे योग्य घोषित किया जा सकता है।
(10)	कान, नाक, अथवा गले के जन्मजात दोष	(i) यदि काम-काज में बाधक न हो - योग्य। (ii) भारी मात्र में हकलाहट - अयोग्य।
(11)	नेसल पॉलि	नेसल पॉलि के लिए भी इलाज की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी भी कमी/जटिलताएं होती हैं। इसलिए, सभी प्रकार की नेसल पॉलि को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाए और केवल सफल उपचार (शल्य चिकित्सा) के बाद ही योग्य घोषित किया जा सकता है।

(ख)		वह बिना हकलाहट बोल लेता/लेती है;
(ग)		उसके दांत अच्छी हालत में हैं और जहां आवश्यक हैं, अच्छी तरह चबाने के लिए नकली दांत लगे हैं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा);
(घ)		उसकी छाती की बनावट अच्छी है और छाती का फुलाव पर्याप्त है तथा उसके दिल व फेफड़े ठीक हैं;
(ड.)		उसे पेट की कोई बीमारी नहीं है;
(च)		उसे रपचर नहीं है;
(छ)		उसे हास्ड्रोसिल, स्फोत, शिरा या बवासीर नहीं है। अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाए और केवल शल्य चिकित्सा के सफल उपचार के बाद ही योग्य घोषित किया जाए;
(ज)		उसके अंगों, हाथों व पैरों की बनावट और विकास अच्छा है और उसके जोड़ भली-भांति व पूर्ण रूप से हिलते हैं। तथापि, यदि बीमारी की अवस्था बढ़ने वाली नहीं हैं और कोई गौण विकृति न हो, तो उम्मीदवार को योग्य घोषित किया जा सकता है;
(झ)		उसको त्वचा की कोई चिरस्थाई बीमारी नहीं है;
(ञ)		उसे कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं है;
(ट)		उसके किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान नहीं हैं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे;
(ठ)		उसके शरीर पर टीके के निशान हैं;
(ड)		कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग नहीं है;
(ढ)		ग्रेड-I हेमरॉइड्ज़ को 'योग्य' माना जाए;
(ण)		अजनन या दोनों वृषण का अभाव होना स्थायी रूप से अयोग्य है। एक अस्पृश्य वृषण के मामले में, नियमित जांच करने पर अजनन या अस्पृश्य अनवतीर्ण वृषण का पता लगाना असंभव है। अनवतीर्ण वृषण तब तक अस्थायी रूप से अयोग्य है जब तक कि इसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटा न दिया जाए या इसे प्रत्यक्ष/सामान्य स्थिति में स्थापित न किया जाए। अजनन को योग्य घोषित किया जा सकता है परंतु तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसकी स्थिति अजनन है न कि अनवतीर्ण वृषण की।
(त)		प्रत्यारोपित अंग वाले सभी उम्मीदवारों को 'अयोग्य' घोषित किया जाए;
(थ)		सेवा में प्रविष्टि के समय पता लगने वाले घातक रोग वाले सभी उम्मीदवारों को 'अयोग्य' घोषित किया जाए;
(द)		भयंकर मोटापा एक रोगग्रस्त अवस्था है। यह व्यक्तियों की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और विभिन्न अन्य रोगों की आशंका का कारण है। ये उम्मीदवार 'अस्थाई रूप से अयोग्य' हैं और शल्य चिकित्सा या अन्य

		उपचारों के बिना बीएमआई <35 होने पर इन्हें 'योग्य' कहा जा सकता है क्योंकि इन उपचारों के कारण लंबी अवधि में कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। बीएमआई >35 होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य। यदि अपील करने की निर्धारित अवधि के भीतर बीएमआई में <35 तक सुधार हो जाता है तो 'योग्य' घोषित किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा या अन्य प्रक्रियाओं से बीएमआई को सुधारा जाता है तो स्थायी रूप से अयोग्य।
(ध)		यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा सामान्य रूप से स्वस्थ है तो किसी उम्मीदवार को केवल इस कारण से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि उसने अंग दान किया है।

12. हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असमान्यताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्ही उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें संबंधित इंजीनियरी परीक्षा में अन्तिम रूप से सफल घोषित किया जाता है

उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा मंडल (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा का संचालन करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

13. उम्मीदवारों के स्वास्थ्य के बारे में संदेह की स्थिति में, चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष सरकारी नौकरी करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करने के लिए अस्पताल के किसी उपयुक्त विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं जैसे यदि संदेह हो कि उम्मीदवार किसी मानसिक रोग या विकार से पीड़ित है, तब बोर्ड के अध्यक्ष किसी अस्पताल के मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी आदि की सलाह ले सकते हैं।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य नोट किया जाए और चिकित्सा परीक्षक को अपनी राय देनी चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा डयूटी के अपेक्षित दक्षतापूर्वक निष्पादन में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

14. चिकित्सा बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग द्वारा निर्धारित रीति से 100 रुपये का अपील शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा जिन्हें अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाएगा जबकि अन्य मामलों में यह शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीदवार को अपनी अपील के साथ किसी रजिस्टर्ड डाक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जिसमें विशेष तौर पर यह उल्लेख करना चाहिए कि उम्मीदवार को चिकित्सा बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने की उसे जानकारी है, प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रथम चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील करने के लिए मात्र एक पूर्वापेक्षा है। जब उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड के सामने उपस्थित हो तो उसके पास प्रमाण-पत्र की प्रति अवश्य होनी चाहिए।

उम्मीदवार को पहले चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की सूचना (ई-मेल) प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत कर देनी चाहिए अन्यथा अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा के लिए अपीलीय चिकित्सा बोर्ड की व्यवस्था उम्मीदवार के स्वयं के खर्च पर की जाएगी। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग द्वारा अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही तभी की जाएगी जब निर्धारित शुल्क के साथ निश्चित समय के भीतर सभी अपीलें प्राप्त होंगी।

15. अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

चिकित्सा परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टेंडर्ड से संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा यदि कोई हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्यता प्राप्त नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाएन्टिंग अथॉरिटी), जैसा भी मामला हो, को यह तसल्ली नहीं हो जाती कि उसे ऐसी कोई बीमारी, रचना संबंधी दोष या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फर्मिटी) नहीं है जिसमें वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो गया हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि स्वस्थता का प्रश्न भविष्य से उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और

चिकित्सा परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थिति में निरंतर कारगर सेवा में बाधक माना गया है।

महिला उम्मीदवार को परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर के चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा।

ऐसे मामले में, जब कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो चिकित्सा बोर्ड द्वारा बताई गई कमियों का विस्तृत ब्यौरा दिए बिना ही मोटे तौर पर अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। कृपया नोट करें कि चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के विस्तृत कारण पब्लिक डोमेन में नहीं डाले जाएं जबकि संबंधित उम्मीदवार को इसके कारण बताएं जा सकते हैं। तथापि, योग्य/अयोग्य/आंशिक रूप से अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य से संबंधित चिकित्सा परीक्षा की स्थिति को संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

ऐसे मामले में, जहां चिकित्सा बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने में छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (चिकित्सा या शल्य चिकित्सा) द्वारा दूर हो सकती है वहां चिकित्सा बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । निक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जबकि यह खराबी दूर हो जाए तो संबद्ध प्राधिकारी एक दूसरे चिकित्सा बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है।

यदि कोई उम्मीदवार "अस्थाई तौर पर अयोग्य" करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया छ: महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इस संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवार योग्य है अथवा नहीं।

यह नोट किया जाए कि यदि कोई उम्मीदवार किसी साध्य रोग से पीड़ित हो, तो उसे प्रथम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। चिकित्सा पुनर्परीक्षण, प्रथम चिकित्सा परीक्षण का भाग होगा तथा उम्मीदवार यदि चाहें तो इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं । अपीलीय चिकित्सा बोर्ड को कोई अंतिम निर्णय लेना होगा तथा किसी उम्मीदवार के उपयुक्त या अनुपयुक्त होने को स्पष्ट करना होगा। किसी उम्मीदवार को अपीलीय चिकित्सा परीक्षा के आधार पर अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित नहीं किया जा सकता है।

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट का प्रपत्र
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2026 हेतु

(दूरसंचार विभाग अपने विवेकानुसार प्रारूप में परिवर्तन कर सकता है)

अनुक्रमांक.....

इंजीनियरी विषय.....
रैंक.....

फोटो
(अनुक्रमांक, रैंक तथा विषय पिछली तरफ लिखें)

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा।

चिकित्सा जांच से पहले उम्मीदवार निम्नांकित कथन प्रस्तुत करें और इसके परिशिष्ट में दिए गए घोषणा पर हस्ताक्षर करें। उम्मीदवारों का ध्यान निम्नांकित पैरा 08 में दी गई चेतावनी की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

1. अपना पूरा नाम लिखें (स्पष्ट अक्षरों में) : _____ लिंग महिला/पुरुष

2. (क) अपनी आयु और जन्म स्थान लिखें : .....

आयु	जन्म की तारीख	जन्म स्थान
.....	.....	.....

2. (ख) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड, आदि की जनजातियों जैसी प्रजातियों से आते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई स्पष्ट रूप से कम होती है? उत्तर 'हां' अथवा 'नहीं' में दें और यदि उत्तर 'हां' है तो जनजातीय प्रजाति का नाम लिखें। .....

3. (क) क्या आप कभी स्मॉल पॉक्स, अथवा कोई बुखार, गिल्टी के बढ़ने या घाव, रक्त की उल्टी, दमा, हृदय रोग, फेफड़ा रोग, बेहोशी का दौरा, रयूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस से ग्रस्त रहे हैं : .....

अथवा

(ख) कोई अन्य रोग अथवा दुर्घटना जिसमें बिस्तर पर आराम तथा चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार की आवश्यकता पड़ी हो : .....
.....

(ग) क्या किसी समय शल्य चिकित्सा (रेडियल केराटोटोमी/लेसिक/एक्जाइमर आदि) हुई है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें : .....

(घ) (i) क्या उम्मीदवार दिव्यांग है : हां/नहीं

(ii) अशक्तता की उप-श्रेणी : एलवी ☐ ओए ☐ ओएल ☐ श्रवण बाधित/पीडी ☐ तेजाबी हमला पीड़ित ☐ कुष्ठ उपचारित ☐ बौनापन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ☐ विनिर्दिष्टअधिगमदिव्यांगता ☐ मानसिक रुग्णता ☐
(कृपया इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमावली,2026 के अनुबंध-I का संदर्भ लें)

4. क्या कार्य की अधिकता या किसी अन्य कारण से आप किसी प्रकार की घबराहट से ग्रस्त रहे हैं?
.....
.....

5. क्या पिछले वर्षों की परीक्षाओं के कारण आपको कोई सेवा/पद आबंटित किया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें। .....

.....

क्या आपने उक्त सेवा/पद पर कार्यभार ग्रहण किया .....

6. अपने परिवार से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :

पिता की आयु, यदि जीवित हो तथा स्वास्थ्य की स्थिति		मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण		जीवित भाइयों की संख्या, उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति		मृत भाइयों की संख्या, उनकी उम्र और मृत्यु का कारण		माता की आयु यदि जीवित हों, तथा स्वास्थ्य की स्थिति		मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण		बहनों की आयु, उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति		मृत बहनों की संख्या, उनकी उम्र और मृत्यु का कारण
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)

वर्तमान पता .....

.....

मोबाइल नं. ..... ई-मेल पता .....

पहचान के चिन्ह.....

7. पूर्व में की गई चिकित्सा परीक्षा, यदि कोई हो, का विवरण :-

(क) चिकित्सा बोर्ड का स्थान एवं तारीख : .....

.....

(ख) वह सेवा जिसके लिए जांच की गई तथा परीक्षा का वर्ष : .....

.....

(ग) वह सेवा जिसके लिए जांच की गई तथा परीक्षा का वर्ष : .....

.....

8. सभी उपर्युक्त उत्तर मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना में किसी तथ्यात्मक विकृति अथवा संगत सूचना को छिपाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। असत्य सूचना प्रदान करने अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना अयोग्यता मानी जाएगी और इस कारण मुझे सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है । मैं इंजीनियरी सेवा परीक्षा,2026 नियमावली से भली-भांति अवगत हूं। यदि मेरे सेवाकाल के दौरान कभी भी यह तथ्य सामने आता है कि असत्य सूचना प्रदान की गई है अथवा किसी तथ्यात्मक सूचना को छिपाया गया है तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
दिनांक और बोर्ड की मुहर सहित

(क) ..... (उम्मीदवार का नाम) के बारे में चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

<u>शारीरिक जांच</u>

1. **बीएमआई (बीएमआई >35 अस्थायी रूप से अयोग्य)**

कद (बिना जूतों के) .....

(पु. – 152 सेंमी और म. – 150 सेंमी)

तापमान .....

छाती का माप :

(i) (छाती फुलाकर) .....

(ii) (छाती फुलाए बिना) .....

(iii) छाती का फैलाव (i) - (iii) .....

(कृपया ☐ < 5 सें.मी. ☐ > = 5 सें.मी., महिला एवं पुरुष उम्मीदवार दोनों के लिए निशान लगाएं) < 5 सें.मी. (अयोग्य)

2. त्वचा - कोई स्पष्ट रोग .....

.....

3. आंखें

i. कोई रोग .....

ii. रतौंधी .....

iii. वर्ण दृष्टि दोष .....

(क) इशिहारा.....

(ख) ईजीएल 1.3 एमएम .....

(ग) ईजीएल 13 एमएम .....

iv. दृष्टि दोष .....

v. बाइनॉकुलर विजन .....

vi. विजुअल एक्युइटी .....

vii. फंडस जांच .....

विजुलअल एक्यूटी

एक्यूटी ऑफ विजन	नग्न आंख	चश्मे सहित	चश्मे की क्षमता		
			स्फेरिकल	सिलिंड्रिकल	एक्सिस
दूर दृष्टि					
दाईं आंख					
बाईं आंख					
निकट दृष्टि					
दाईं आंख					

बाईं आंख					
हाईपरमेट्रोपिया (मेनिफेस्ट)					
दाईं आंख					
बाईं आंख					

वर्णांधता के मामले में, कृपया यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या उम्मीदवार अनुबंध-I के अनुसार उच्चतर ग्रेड वर्णाभास/निम्न ग्रेड आभास की सेवाओं के लिए फिट है अथवा पूर्णत: वर्णांध है। .....

4. कान : परीक्षण .....

श्रवण ..... दायां कान .....

बायां कान .....

5. ग्रंथियां ..... थायरॉयड .....

6. दांतों की स्थिति .....

7. श्वसन तंत्र : क्या शारीरिक जांच में श्वसन अंगों में कोई असामान्य बात दिखाई दी है ?

.....

यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें .....

8. परिसंचरण प्रणाली :

(क) हृदय : कोई ऑर्गेनिक लीजन ? सामान्य गति .....

25 बार कूदने के बाद .....

कूदने के 2 मिनट बाद .....

(ख) रक्त चाप : सिस्टोलिक .....

डायस्टोलिक.....

9. उदर (एब्डोमेन) :

माप .....

टेंडरनेस.....

हर्निया .....

(क) पैल्पेबल : यकृत ..... प्लीहा .....

वृक्क ..... ट्यूमर .....

(ख) हेमरॉयड्स .....

फिस्टूला .....

10 स्नायु तंत्र : स्नायु संबंधी अथवा मानसिक नि:शक्तता के संकेत .....
.....

11 लोकोमोटर सिस्टम : कोई असमान्यता .....
.....

12 (क) जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम : हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई प्रमाण
मूत्र विश्लेषण :

(क) देखने में कैसा है .....

(ख) विशेष समूह .....

(ग) एल्ब्यूमिन .....

(घ) शर्करा .....

(ड.) कास्ट्स .....

(च) कोशिकाएं .....

12 (ख) छाती की एक्स-रे जांच की रिपोर्ट .....

12 (ग) स्त्रीरोग* संबंधी जांच (केवल महिला उम्मीदवारों के लिए) .....

.....

.....
महिला डॉक्टर के हस्ताक्षर

13 क्या उम्मीदवार जिस सेवा का है, उसमें कर्तव्य निर्वहन हेतु अयोग्य घोषित किए जाने का कोई कारण अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में है?

....

....

**नोट : ***महिला उम्मीदवार के मामले में*, यदि यह पाया जाता है कि वह गर्भवती है तो उसे विनियम 10 द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए ।

14 निम्नलिखित श्रेणियों की सेवाओं में से जिन सेवाओं के लिए उम्मीदवार का परीक्षण किया गया और अपने कर्तव्यों के कुशल तथा निरंतर निर्वहन के लिए हर दृष्टिकोण से पात्र पाया गया उन्हें √ द्वारा अंकित करें तथा जिन सेवाओं के लिए उसे अयोग्य समझा गया है उसे X द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित करें :

(i) सीईएस ग्रुप क, सीईएंडएमईएस ग्रुप क, सीडब्ल्यूईएस ग्रुप क, सीईएस (सड़क) ग्रुप क, एईई (बीआरईएस), एमईएस सर्वेक्षक संवर्ग में एईई (क्यूएसएंडसी) ग्रुप क और आईडीएसई ग्रुप क।

(ii) सीपीईएस ग्रुप क, , आईएनएएस ग्रुप क, भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा, एईई (पीएंडटी) भवन

iii) ईएमई कोर में एईई (ग्रुप क)

(iv) आईटीएस ग्रुप 'क', जेटीओ (जीसीएस ग्रुप 'ख')

(v) भारतीय सर्वेक्षण विभाग

(vi) एईई (जीएसएआई)

(vii)) डीएक्यूएएस

((viii) आईएसडीएस

(ix) आईईडीएस

(x) आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिग्नल एवं दूरसंचार)

(xi) आईआरएमएस (भंडार) समूह 'क'

क्या उम्मीदवार फील्ड सेवा के लिए उपयुक्त है .....

<u>नोट : बोर्ड अपने निष्कर्ष अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रमाण-पत्र में दर्ज करे</u>।

<u>प्रमाण-पत्र</u>

इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2026 के उम्मीदवार श्री/सुश्री ..... अनुक्रमांक ..... अपनी प्रथम चिकित्सा जांच/पुर्नजांच के लिए ..... (तिथि) को उपस्थित हुए और उन्हें निम्नानुसार पाया गया है :

(i) स्वस्थ .....

(ii) ..... के कारण अस्वस्थ

(iii) ..... के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

} (कृपया सुनिश्चित करें कि यह पृष्ठ 3 कालम 13 के निष्कर्षों के अनुरूप हो।

(iv) अशक्तता की निम्नलिखित उप-श्रेणियों में से केवल एक के लिए योग्य जिसके लिए अशक्त व्यक्ति हेतु रिक्ति की पहचान की गई है (कृपया उपयुक्त श्रेणी पर सही का निशान लगाएं और शेष को काट दें।)

(क) केवल एक भुजा (ओए) प्रभावित उप-श्रेणी।

(ख) केवल एक पैर (ओएल) प्रभावित उप-श्रेणी।

(ग) केवल श्रवण बाधित (एचआई)/आंशिक रूप से बधिर (पीडी)।

(घ) केवल अल्प दृष्टि(एलवी) उप श्रेणी

(ङ) विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता

(च) मानसिक रुग्णता

सदस्य के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य के हस्ताक्षर और मुहर

अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक :

स्थान:

अनुलग्नक I

I. वे तकनीकी सेवाएं और पद जिनके लिए उच्चतर ग्रेड वर्णाभास (एचजीसीपी) अनिवार्य हैं :-

i. भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (आईडीएसई)
ii. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क)
iii. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (ग्रुप 'क')
iv. ईएमई कोर में सहायक कार्यकारी अभियंता (ग्रुप 'क')
v. सीमा सड़क संगठन में सहायक कार्यकारी अभियंता (बीआरईएस) ग्रुप 'क'
vi. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
vii. एमईएस सर्वेक्षक संवर्ग में सहायक कार्यकारी अभियंता (क्यूएसएंडसी)
Viii भारतीय उद्यम विकास सेवा
Ix आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिग्नल एवं दूरसंचार), समूह 'क'

II. वे तकनीकी सेवाएं और पद जिनके लिए निम्नतर ग्रेड वर्णाभास (एलजीसीपी) [या दोषपूर्ण उच्चतर ग्रेड वर्णाभास (एचजीसीपी)] अनिवार्य हैं:-

i. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा
ii. केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा
iii. भारतीय नौसेना आयुध सेवा
iv. भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा
v. केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा
vi. सहायक कार्यकारी अभियंता (जीएसआई)
vii. रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा
viii भारतीय कौशल विकास सेवा
ix. भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क'

III. वे सेवाएं जिनके लिए वर्णाभास अनिवार्य नहीं हैं (अथवा दोनों ग्रेड में खराब वर्णाभास)

i. आईटीएस ग्रुप 'क'
ii. जेटीओ (जीसीएस ग्रुप 'ख')
iii आईआरएमएस (भंडार) समूह 'क'

सदस्य के हस्ताक्षर और मुहर सदस्य के हस्ताक्षर और मुहर अध्यक्ष/मेडिकल बोर्ड के हस्ताक्षर और मुहर

परिशिष्ट III

उन सेवाओं/पदों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जा रही है।

1. भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (आई डी एस ई)/ सैन्य इंजीनियर सेवा (एमईएस) के सर्वेयर संवर्ग में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (क्यूएस एंड सी) |

चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विभागीय तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता या उसके कार्यकुशल होने में संदेह हो अथवा उस अवधि के दौरान वह निर्धारित परीक्षण उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो सरकार उन्हें पदमुक्त कर सकती है । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार उसे या तो पदमुक्त करती है अथवा सरकार उसकी परिवीक्षा को उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जितनी सरकार द्वारा उचित समझी जाएगी।

(क) परिवीक्षार्थियों को अपनी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से 40 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। हिन्दी परीक्षण 'प्राज्ञ' स्तर (मेट्रिकुलेशन स्तर के समकक्ष) का होगा।

(ख) सेवा के लिए चयनित कोई भी व्यक्ति, अपेक्षित होने पर भारत के सशस्त्र बलों में कम से कम चार वर्ष की अवधि तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है।

(ग) चयनित उम्मीदवारों पर का.नि.आ. 92, दिनांक 9 मार्च, 1957 के अंतर्गत प्रकाशित सिविलियन, रक्षा सेवा (फील्ड दायित्व) नियमावली, 1957 (यथासंशोधित) लागू होगी। उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच उसमें दिए गए चिकित्सा मानकों के अनुरूप की जाएगी।

एमईएस के नवनियुक्त समूह 'क' परिवीक्षार्थियों के लिए महंगाई भत्ता रक्षा मंत्रालय/डी (एमओवी) सेक्शन आईडी संख्या 568/2021-डी (एमओवी) दिनांक 24 नवंबर 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

(ख) भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा संवर्ग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान निम्नानुसार हैं:-

(क)	सहायक कार्यकारी इंजीनियर	मूल वेतन 56,100-1,77,500 रु. स्तर - 10.
(ख)	कार्यकारी इंजीनियर	मूल वेतन 67,700-2,08,700 रु. स्तर - 11.
(ग)	कार्यकारी इंजीनियर (एनएफएसजी)	मूल वेतन 78,800-2,09,200 रु. स्तर - 12.
(घ)	अधीक्षक इंजीनियर	मूल वेतन 1,18,500-2,14,100 स्तर -13.
(ड.)	मुख्य इंजीनियर	मूल वेतन 1,44,200-450-2,18,200 स्तर 14.
(च)	अपर महानिदेशक	पी.बी. रु. 1,82,200-2,24,100 एचएजी स्तर- 15
(छ)	महानिदेशक	पी.बी. रु. 1,82,200-2,24,100 एचएजी स्तर - 15

(घ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (क्यूएस एंड सी) संवर्ग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान निम्नानुसार हैं:-

"(क)	सहायक कार्यकारी इंजीनियर	मूल वेतन 56,100-1,77,500 रु. स्तर - 10.
(ख)	कार्यकारी इंजीनियर	मूल वेतन 67,700-2,08,700 रु. स्तर - 11.

(ग)	कार्यकारी इंजीनियर (एनएफएसजी)	मूल वेतन 78,800-2,09,200 रु. स्तर - 12.
(घ)	अधीक्षक इंजीनियर	मूल वेतन 1,18,500-2,14,100 स्तर -13.
(ड.)	मुख्य इंजीनियर	मूल वेतन 1,44,200-450-2,18,200 स्तर 14.
(च)	अपर महानिदेशक	पी.बी. वेतन रु. 1,82,200-2,24,100 एचएजी स्तर- 15

2. केन्द्रीय इंजीनियर सेवा (सड़क) (ग्रुप 'क')

(क) चुने हुए उम्मीदवार सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे । परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि स्थाई रिक्तियां उपलब्ध हुई और वे स्थाई नियुक्ति के योग्य समझे जाते हैं तो उन्हें सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर स्थायी किया जाएगा। सरकार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकती है।

परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर यदि सरकार यह समझती है कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) स्थाई नियोजक के योग्य नहीं है या ऐसी परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान वह इससे संतुष्ट है कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) ऐसी अवधियों या बढ़ाई गई अवधियों की समाप्ति पर स्थाई नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उस सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) को सेवा विमुक्त कर सकती है अथवा ऐसे आदेश पास कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(ख) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के आवश्यकता होने पर भारत रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा।

किन्तु उस व्यक्ति को :-

(1) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा; और

(2) सामान्यत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(क) निम्नलिखित वेतनमान देय हैं :-

सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10
कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11
कार्यकारी इंजीनियर(नॉन फंक्शनल एक्शन ग्रेड) (सिविल)	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 12
अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13
मुख्य इंजीनियर (सिविल)	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14
अपर महानिदेशक	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15
महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव	-	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 17

टिप्पणी:- उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' ग्रुप 'ख' में परिवीक्षाधीन नियुक्ति से पहले मूल रूप में किसी आवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर है एफ.आर. 22ख(1) के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के पद से संबद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप:-

सिविल इंजीनियरी पद

सड़कों/पुलों के निर्माण के डिजाइन, योजना बनाकर और उसका आकलन तैयार करने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्रालय से सड़क स्कंध के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वरिष्ठ अधिकारियों आदि की सहायता करना और राज्यों से ऐसे निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना ।

3. केंद्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा

(i) केंद्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा में सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पदों पर भर्ती हुए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे |

किन्तु सरकार आवश्यक होने पर दो वर्ष की उक्त अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों के अनुसार बढ़ा सकती है |

यदि परिवीक्षा की उपर्युक्त या बढ़ी हुई अवधि, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त होने पर सरकार की यह राय हो कि उम्मीदवार स्थाई नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है या परिवीक्षा की इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह स्थाई नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है| परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार उम्मीदवारों से प्रशिक्षण का ऐसा कोई कोर्स करने और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने को कह सकती है जिसे वह परिवीक्षा की सफल पूर्ति की एक शर्त के रूप में ठीक समझे |

(ii) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने को बाध्य होंगे |

(iii) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई है, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु यह कि उस व्यक्ति को:

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा |

(ख) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा |

(iv) सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त अधिकारी निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद के विभिन्न उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं |

(v) ग्राह्य वेतन बैंड और ग्रेड वेतन निम्न प्रकार हैं -

1. सी.डल्ब्यू.सी. में सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर, जी.एफ.सी.सी./सी.ई.ए./सहायक आयुक्त, डी.ओ.डब्लयू.आर., आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय|	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10
2. उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियर सी.डल्ब्यू.सी./ उप-आयुक्त, डी.ओ.डब्लयू.आर., आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय उप निदेशक/ कार्यकारी इंजीनियर, जी.एफ.सी.सी., सहायक सचिव,एस.एस.सी.ए.सी, उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियर, सी.ई.ए.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11
3. अकार्यात्मक द्वितीय ग्रेड	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 12 (वरिष्ठ पदों के 30% तक सीमित अर्थात् वेतन मेट्रिक्स के अंतर्गत स्तर-11 तथा इससे उच्चतर पद)

4. निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर, सी.डल्ब्यू.सी., वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, डी.ओ.डब्लयू.आर.,
आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय /अधीक्षक इंजीनियर, एफ.बी.पी.,
निदेशक, जी.एफ.सी.सी., निदेशक/
अधीक्षण इंजीनियर एस.एस.सी.ए.सी, निदेशक/अधीक्षक
इंजीनियर, सी.ई.ए. |

5. मुख्य इंजीनियर, सी.डल्ब्यू.सी., आयुक्त, वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14
डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय/
,सदस्य, जी.एफ.सी.सी./ सचिव, एस.एस.सी.ए.सी,,
महाप्रबंधक, एफ.बी.पी./ मुख्य इंजीनियर, सी.ई.ए./ सदस्य जीआरएमबी/सदस्य
सचिव जीआरएमबी/सदस्य केआरएमबी/ सदस्य
पीपीए/ तथा मुख्य इंजीनियर (पी एंड डी) पी पी ए/
सदस्य(जल संसाधन), सीडब्ल्यूएमए/सचिव, सीडब्ल्यूएमए

6. सदस्य, केन्द्रीय जल आयुक्त, अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी./
अध्यक्ष केआरएमबी/ अध्यक्ष जीआरएमबी वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15
(वार्षिक वेतन वृद्धी 3% की दर से)

7. अध्यक्ष, सी.डब्लयू.सी. वेतन मेट्रिक्स में स्तर 17

(vi) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा के पदों से संबद्ध कार्य और दायित्वों का स्वरूप:-

(क) मुख्यालय में :-

केन्द्रीय जल आयोग(के.ज.आ.) मुख्यतः जल संसाधन विकास के लगभग सभी पहलूओं के लिए उत्तरदायी है | मुख्यालय के अधिकारी देश में विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की योजना अभिकल्पन, मूल्यांकन तथा निगरानी से प्रत्यक्षतः संबद्ध हैं | के.ज.आ. अपने विभिन्न विशिष्टता प्राप्त निदेशालयों के माध्यम से इन पहलुओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा करता है | अभिकल्पन एककों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों के अंर्तगत जल संसाधन परियोजनाओं के विभिन्न घटकों की अभिकल्पन के संबंध में विस्तृत अध्ययन से संबद्ध है | हाइड्रो सिविल डिजाइन, कंकरीट व चिनाई बांध तथा डिजाइन, मृदा व पाषाण भरित बांध डिजाइन, बैराज तथा कैनाल डिजाइन तथा जलीय संरचनाओं पर द्वारों के डिजाइन से संबंधित विशिष्ट निदेशालय हैं | जल संसाधन निर्धारण, अभिकल्पन बाढ़ आकलन तथा अवसाद विश्लेषण से संबंधित कार्यकलाप केन्द्रीय जल आयोग के जलीय अध्ययन संगठन के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं | परियोजना पर्यवेक्षण/निगरानी तथा पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु केन्द्रीय जल आयोग के विशिष्ट एकक हैं | केन्द्रीय जल आयोग का केन्द्रीय यांत्रिक संगठन लगभग सभी प्रमुख जल संसाधन विकास परियोजनाओं की निर्माण उपस्कर योजना तथा संविदा प्रबंधन से संबद्ध है | केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय पर इसके कार्यकलापों में इसके योजना व विकास संगठनों के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान निर्देशों का विकास तथा इसके बाद प्रबन्धन संगठन के माध्यम से विभिन्न बाढ़ प्रबन्ध पद्धतियों का नियोजन व अभिकल्पन भी सम्मिलित है |

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्र गठन में

केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्र-संगठन जलीय अवलोकन परियोजना अन्वेषण, मध्य सिंचाई परियोजनाओं मूल्यांकन, पहचानी गई परियोजनाओं की निगरानी तथा देश की लगभग प्रमुख नदियोंके संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान में प्रत्यक्षतः कार्यरत हैं। ये कार्यकलाप/कार्यालयों के अध्यक्ष, मुख्य अभियंता के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अधीक्षण अभियंता/निदेशक के अधीन परिमण्डलों/निदेशालयों तथा कार्यकारी अभियंताओं के अधीनमंडलों के एक पूरे तंत्र(नेटवर्क) के तहत निष्पादित किए जाते हैं | सहायक कार्यकारी अभियंताओं की शीर्षस्थता में उप-मंडल/नियंत्रण कक्ष होते हैं जो जल संसाधन विकास परियोजनाओं, जलीय अवलोकन तथा बाढ़ पूर्वानुमान के अन्वेषण से प्रत्यक्षतः संबंधित हैं |

4. सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'

(i) चयन किए गए उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे । चयन तथा बीआरडी बी सचिवालय द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के उपरांत उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र में यथाउल्लिखित अवधि के लिए जीआरईएफ केन्द्र, पुणे में अधिष्ठापन प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा ।

प्रोबेशनर को परिवीक्षा अवधि के दौरान डीजीबीआर द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित विभागीय परीक्षण (शारीरिक तथा लिखित) उत्तीर्ण करने होंगे । परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय यदि सरकार की राय में उसका कार्य और आचरण असन्तोषजनक रहा है, तो सरकार अपने विवेकानुसार उचित उपाय स्वरूप या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि यथापेक्षित समय के लिए बढ़ा सकती है ।

(ii) चयन किए गए उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग या विदेश, जिसमें युद्ध तथा शान्ति के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, में कार्य करना होगा । निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।

(iii) उन्हें निम्नलिखित वेतनमान देय हैं :

(क) सिविल संवर्ग

सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10
कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11
अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13
मुख्य इंजीनियर (सिविल)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14
अपर महानिदेशक, सीमा सड़क	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15

(ख) ई एण्ड एम संवर्ग

सहायक कार्यकारी इंजीनियर (ई एण्ड एम)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10
कार्यकारी इंजीनियर (ई एण्ड एम)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11
अधीक्षण इंजीनियर (ई एण्ड एम)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13
मुख्य इंजीनियर (ई. एण्ड एम.)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14

(iv) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) तथा (ईएण्डएम), अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) तथा (ईएण्डएम), तथा मुख्य इंजीनियर (सिविल) तथा (ईएण्डएम) तथा अपर महानिदेशक बीआर (सिविल) के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की अपेक्षा कर सकते हें अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु यथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की न्यूनतम शर्तें हैं और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर ही होगी ।

(v) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट इलाकों में तैनात होने पर केन्द्र सरकार के कर्मचारी के लिए यथास्वीकार्य अन्य सामान्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि के अलावा विहित दर पर विशेष प्रतिपूरक भत्ता और विशिष्ट डयूटी भत्ता और मुफ्त राशन या राशन के बदले भत्ते के हकदार हैं । वे परिधान संबंधी भत्तों के भी हकदार हैं ।

(vi) बीआरओ में सीमा सड़क इंजीनियर सेवा ग्रुप 'क' के पदों पर नियुक्त अधिकारियों पर वर्दीधरी बल होने के नाते अनुशासन के प्रयोजनार्थ सेना अधिनियम, 1950 तथा सेना नियमावली - 1954 के कतिपय प्रावधान भी लागू होंगे ।

(vii) प्रशिक्षण :-प्रोबेशनरों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा/पद विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय युवा अधिकारी पाठ्यक्रम (यंग ऑफीसर्स कोर्स) करना होगा । उन्हें इस अवधि के दौरान उक्त प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो समय-समय पर महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें लिखित और शारीरिक परीक्षण शामिल होंगे ।

(viii) प्रशिक्षण व्यय लौटाना :-यदि किसी कारणवश जो सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर नहीं है, कोई प्रोबेशनर प्रशिक्षण, अथवा परिवीक्षा से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उस परिवीक्षा की अवधि के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का पूरा व्यय और अन्य धनराशी को वापस करना होगा । इस प्रयोजन के लिए प्रोबेशनरों को एक

बंध-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी । तथापि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अनुमति प्राप्त प्रोबेशनरों को प्रशिक्षण के व्यय को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ix) छुट्टी :-अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे ।

(x) कर्तव्य और दायित्व :-सीमा सड़क संगठन में विद्यमान पदों से संबद्ध कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप वह होगा जो महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न अधिष्ठानों हेतु समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

(xi) यदि आवश्यकता हुई तो चयन किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा जिसमें प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल हैं, बशर्ते:-

(क) उम्मीदवार को नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, तथा

(ख) उम्मीदवार को सामान्यत: चालीस वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

5. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी, ग्रुप क

(i) सहायक निदेशक-I समूह क/ सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे, यदि आवश्यक हो तो, एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त संदर्भित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा उसके बढ़ाए जाने, जैसा भी मामला हो, पर सरकार का यह मत है कि उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है अथवा ऐसी परिवीक्षा अवधि या उसके बढ़ाए जाने के दौरान वे उसे सेवा से मुक्त अथवा उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकते हैं अथवा ऐसा आदेश दे सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझते हों।

परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने की शर्त के अध्यधीन, परिवीक्षा अवधि के दौरान, सरकार द्वारा उम्मीदवार से ऐसे प्रशिक्षण व अनुदेश लेने तथा ऐसी परीक्षाओं व परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

इस प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को, यदि आवश्यक है, तो भारत की रक्षा से संबद्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्य करना होगा जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, शामिल होगी बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति:-

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद उपर्युक्तानुसार सेवा अपेक्षित नहीं होगी।

(ख) चालीस वर्ष की आयु का होने पर उपर्युक्तानुसार सेवा सामान्यतया अपेक्षित नहीं होगी।

(ii) वेतनमान

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी, समूह क एवं ख सेवा के पद का वेतनमान निम्नानुसार है:-

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में वैद्युत, यांत्रिक तथा इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरी पद :-

क्र.सं.		पद का नाम		संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1		सहायक निदेशक ग्रेड-I/एईई समूह क		वेतन मेट्रिक्स (56,100-1,77,500) में स्तर 10

(iii) उच्च ग्रेड में पदोन्नति

केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा नियमावली, 2015 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् संबंधित ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध होने की शर्त के अध्यधीन सहायक निदेशक (इंजीनियरी) (ग्रेड-I)/सहायक कार्यकारी इंजीनियर, उप निदेशक (इंजीनियरी)/कार्यकारी इंजीनियर/उप निदेशक (इंजीनियरी) (गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड)/निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर और मुख्य इंजीनियर/प्रधान मुख्य इंजीनियर के पद पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

(iv) कर्तव्य और दायित्व

सहायक इंजीनियर/सहायक निदेशक (ग्रेड-I) के पद से सम्बद्ध कर्त्तव्य और दायित्व निम्नानुसार हैं:-

संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु देश में विद्युत विकास के लिए योजना। डाटा का संग्रहण, विश्लेषण और प्रकाशन। संचारण और वितरण प्रणाली सहित विद्युत संयंत्र (पावर प्लांट) की डिजाइन इंजीनियरी और मानीटरिंग, नवीकरण और आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास। विद्युत परियोजना संयंत्र के डिजाइन और परियोजनाओं आदि के प्रचालन व रखरखाव हेतु तकनीकी मानदंड, सुरक्षा विनियम विनिर्दिष्ट करना, डिजाइन, इंजीनियरी और मानीटरिंग।

6. रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा (डीएक्यूएएस)

रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा एक संगठित ग्रुप 'क' केन्द्रीय सेवा है जिसमें पैरा (ग) में उल्लिखित ग्रेड वाले पद हैं। इस सेवा की सेवा विवरणी आगे के पैराओं में दी गई है।

(क) चयनित उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त होंगे। यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि नियंत्रण प्राधिकारी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं। परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान, उम्मीदवारों को, परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अनुदेश सत्र पूरे करने होंगे और उन्हें ऐसी परीक्षाएं तथा परीक्षण (हिन्दी परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करनी पड़ेंगी, जो सरकार के निर्णयानुसार उपयुक्त हो। परिवीक्षा की अवधि पूरी करने पर सरकार, अधिकारी की नियुक्ति की संपुष्टि करेगी। तथापि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में सरकार की राय में यदि उनका कार्य एवं आचरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो सरकार या तो उन्हें सेवामुक्त कर सकती है या उनकी परिवीक्षा की अवधि को उतना बढ़ा सकती है, जितना सरकार उपयुक्त समझती हो।

(ख) (1) चयनित उम्मीदवार को, आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है;

किंतु यह कि ऐसे अधिकारी को (i) सेवा में नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा (ii) उसे सामान्यतया चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा।

(2) चयनित उम्मीदवारों को भारत या विदेशों में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है। उन्हें सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में भी कार्य करना पड़ सकता है।

(3) चयनित उम्मीदवारों को उन्हें प्रदान किए गए अन्वेषण, विकास, स्वदेशीकरण और गुणवत्ता आश्वासन कार्य या ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में फील्ड सर्विस (भूमि पर सेवा या सर्विस वायुयान या नौसेना जहाज से यात्रा आदि संबंधी सेवा सहित) भी करनी होगी।

(4) चयनित उम्मीदवारों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार, भारत या विदेशों में, ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना होगा और उन्हें अनुदेशों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भारत से बाहर या भारत में किसी निजी फर्म या फैक्टरी में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी यदि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी कारण से सेवा छोड़ने का निर्णय करता है तो ऐसे अधिकारी को प्रशिक्षण की अवधि पर विचार किए बिना प्रशिक्षण की लागत का पूरा भुगतान करना होगा।

(ग) वेतनमान / वेतन के निम्नलिखित स्तर देय हैं :-

i. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II (कनिष्ठ समयमान) - वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10

ii. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I (वरिष्ठ समयमान, प्रकार्यात्मक) - वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11

iii. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक) / वरिष्ठ समयमान (गैर-प्रकार्यात्मक द्वितीय ग्रेड) - वेतन मेट्रिक्स में स्तर 12

iv. निदेशक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) प्रकार्यात्मक - वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13

v. अपर महानिदेशक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) – वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14

vi. महानिदेशक (उच्च प्रशासनिक ग्रेड) - वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15

(घ) रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा के सदस्य गैर-प्रकार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू) के हकदार हैं जिसे समय-समय पर जारी सरकारी योजना / अनुदेशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ङ) चयनित उम्मीदवारों के लिए फिटनेस के चिकित्सा मानक, सरकार के अंतर्गत उसी प्रकार के अन्य वैज्ञानिक संगठनों में सेवारत वैज्ञानिकों तथा तकनीकविदों के समान रहेंगे। सीमित फील्ड सर्विस वाले दायित्वों के लिए चयनित उम्मीदवारों को या तो चयन के समय या जब वे फील्ड सर्विस के लिए जाते हैं, जैसा भी मामला हो, यथानिर्धारित विशेष चिकित्सा जांच के लिए जाना होगा।

(च) इंजीनियरी सेवा परीक्षा द्वारा रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा में इंजीनियरों (यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार) के पद या ग्रेड शामिल हैं।

7. भारतीय नौसेना आयुध सेवा

(क) पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा और यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी न करने पर उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस की अपेक्षित अवधि (अस्थायी नियुक्ति के मामले में एक महीना और स्थायी नियुक्ति के मामले में तीन महीने) देकर किसी समय भी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किन्तु सरकार को नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं नोटिस की अवधि या इसके समाप्त न हुए भाग के लिए वेतन तथा भत्तों के बराबर की राशि का भुगतान करके तत्काल नोटिस की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले समाप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) वे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रक्षा सेवा प्राक्कलन से प्रदत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तों के अधीन रहेंगे। वे समय-समय पर संशोधित फील्ड सर्विस दायित्व नियमावली, 1957 के अधीन होंगे।

(घ) उनका भारत या विदेश में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा। तथापि, बड़े स्थल जहां अधिकारियों को नियुक्त किया जाना संभव है, मुम्बई, विशाखापत्तनम, नई दिल्ली (मुख्यालय), कोच्चि और गोवा में है। भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों को जब कभी भी विशेष प्रशिक्षण/कार्य के लिए आवश्यक हो प्रतिनियुक्ति पर विदेश भी भेजा जाता है।

(ड.) वेतनमान तथा वर्गीकरण ग्रुप-ए राजपत्रित नीचे दिए गए हैं :-

(i) कनिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड (नौसेना आयुध का सहायक प्रबंधक/सहायक निदेशक),स्तर 10(रु. 56100-177500)

(ii) वरिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड (नौसेना आयुध का प्रबंधक/ उप निदेशक),स्तर 11(रु. 67700-208700)

(iii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (नॉन फंक्शनल) (नौसेना आयुध का उप महाप्रबंधक/ संयुक्त निदेशक),स्तर 12(रु. 78800-209200)

(iv) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (फंक्शनल) (नौसेना आयुध का महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/प्रधान निदेशक/निदेशक),स्तर 13(रु. 123100-215900)

(v) वरिष्ठ प्रशानिक ग्रेड (नौसेना आयुध का मुख्य महाप्रबन्धक/उप महानिदेशक),स्तर 14(रु. 144200-218200)

(vi) उच्च प्रशासनिक ग्रेड (नौसेना आयुध का महाप्रबन्धक) स्तर 15(रु. 182200-224100)

(च) कैरियर संवर्धन - पदोन्नति मार्ग तथा विस्तृत नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :-

(i) **वरिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड (नौसेना आयुध का प्रबंधक/उप निदेशक) :** कनिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड (सहायक प्रबन्धक/सहायक निदेशक) में चार वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी भारतीय नौसेना आयुध सेवा के संबद्ध ग्रेड में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति हेतु पात्र हैं परन्तु पदोन्नति हेतु केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने भर्ती पाठ्यक्रम के बाद विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) **कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/(नॉन फंक्शनल) (नौसेना आयुध का उप महाप्रबंधक/संयुक्त निदेशक):** भारतीय नौसेना आयुध सेवा संवर्ग के वरिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड में कार्यरत अधिकारी जिन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (नॉन फंक्शनल) पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (नॉन फंक्शनल) में नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

(iii) **कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (फंक्शनल) (नौसेना आयुध के महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/प्रधान निदेशक/निदेशक) :** भारतीय नौसेना आयुध सेवा संवर्ग ग्रुप 'क' में तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले, अधिकारी जिसमें वरिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड में की गई 4 वर्ष की सेवा भी शामिल है, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (फंक्शनल) में पदोन्नति हेतु पात्र हैं।

(iv) **वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (नौसेना आयुध के मुख्य महाप्रबंधक/अपर महानिदेशक :** भारतीय नौसेना आयुध सेवा संवर्ग के कनिष्ठ प्रशासनिक फंक्शनल ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर मुख्य महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं।

(v) **उच्च प्रशासनिक ग्रेड (नौसेना आयुध का महानिदेशक) :** भारतीय नौसेना आयुध सेवा संवर्ग के अधिकारी जिन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर नौसेना आयुध के महानिदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं।

(छ) अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु उपयुक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता दर्शाती हैं और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी।

(ज) अधिकारियों को संपूर्ण कैरियर की अवधि में कैरियर में बढोतरी से संबद्ध विभिन्न उत्तरदायित्वों यथा प्रभाग का प्रभारी, किसी विशिष्ट एकक/संगठन का प्रधान, का निर्वहन करना होगा।

टिप्पणी : उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो परिवीक्षार्थी के रूप में नियुक्ति के तत्काल पहले किसी आवधिक पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद धारण किए हुए थे एफ.आर. 22ख-(1) के प्रावधानों तथा भारतीय नौसेना परिवीक्षार्थियों पर लागू सी.एस.आर. और तद्नुरूपी अनुच्छेद के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(ञ) भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय में नौसेना आयुध संगठन में कनिष्ठ समय वेतनमान ग्रेड के पद से सम्बद्ध कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप :-

(i) विविध यांत्रिक, इलैक्ट्रानिकी और विद्युत यंत्रों एवं उत्पादन तथा उत्पादकता प्रणाली वाली आयुध सामग्री की मरम्मत, आशोधन तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध कार्य सहित इनके उत्पादन, योजनाकरण का निर्देशन।

(ii) मरम्मत, अनुरक्षण और ओवरहाल के लिए मशीनरी, इलैक्ट्रानिकी तथा विद्युत उपस्कर उपलब्ध कराना।

(iii) आयात प्रतिस्थापन से सम्बद्ध विकास कार्य, स्वदेशी अभिकल्पन, विनिर्दिष्टयां तैयार करना।

(iv) आयुध के लिए यांत्रिकी, इलैक्ट्रानिक तथा विद्युत अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे उपलब्ध कराना ।

(v) उप-असेंबली और यांत्रिक, इलैक्ट्रॉनिक असेंबली तथा आयुधमापी संबंधी इलेक्ट्रिकल मदों आदि (प्रक्षेपास्त्र, टार्पीडोज, माइन्स एवं गन) का समय-समय पर आवधिक अंशांकन परीक्षण/जांच ।

(vi) फ्लीट तथा नौसेना प्रतिष्ठानों को आयुध भण्डारण के मामले में संभारिकी सहायता प्रदान करना

(vii) आयुधों के बारे में यांत्रिक, इलैक्ट्रॉनिकी तथा विद्युत इंजीनियरी से सम्बद्ध सभी मामलों में सेवा को तकनीकी सलाह देना ।

(viii) काफी संख्या में तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यबल के कार्मिक प्रबन्ध के कार्य।

(ट) **अतिरिक्त विशेष सुविधाएं :-**

(i) इस संवर्ग (भारतीय नौसेना आयुध सेवा) के अधिकारी नौसेना आयुध संगठन, जो कि भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण स्कंध है, में कर्त्तव्य एवं जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं । नौसेना सेवा अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाएं जैसे स्वयं तथा परिवार के लिए सी एस डी कैंटीन सुविधा, आफिसर्स मेस/क्लब/इंस्टीट्यूट/स्वीमिंग पूल की सदस्यता आदि

भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों को भी प्राप्त हैं । भारतीय नौसेना आयुध सेवा संवर्ग के अधिकारियों का आवासीय परिसर नौसेना सुरक्षा क्षेत्र के ही अंतर्गत है जहां पर पूरी सेवा अवधि के दौरान पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया जा सकता है ।

(ii) भारतीय नौसेना का एक अंग होने के कारण भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों को विभिन्न साहसिक तथा खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के अवसर प्राप्त हैं ।

8. भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के पद

(i) इंजीनियरी सेवा परीक्षा द्वारा इन पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर उन्हें उनकी नियुक्ति में जारी रहने पर विचार किया जाएगा। सरकार की राय में यदि उनका कार्य या आचरण असंतोषजनक है तो सरकार परिवीक्षा की अवधि को दो वर्ष बढ़ा सकती है या उन्हें सेवा से मुक्त कर सकती है।

(ii) वे समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रक्षा सेवा प्राक्कलन से प्रदत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तों के अध्यधीन होंगे।

(iii) नियुक्त किए गए अधिकारियों को भारत में या भारत से बाहर (विदेशों में) कभी भी कार्य करना पड़ सकता है ।

(iv) नियुक्त किए गए अधिकारियों को (समय-समय पर) सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भारत या विदेशों में शिक्षण पाठ्यक्रमों में भी भाग लेना होगा।

(v) उम्मीदवारों पर सं. का.नि.आ. 92, दिनांक 9 मार्च, 1957 के अंतर्गत प्रकाशित रक्षा सेवा में सिविलियन (फील्ड लाइबिलिटी) नियमावली, 1957 लागू होंगी । उनमें निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।

(vi) उम्मीदवार विभाग में भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा में अपनी सेवा आरंभ करते हैं और अपने सेवा काल के दौरान उन्हें विभाग में विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नत किया जाता है जो रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित शर्तों की पूर्णता के अध्यधीन होगा । क्रमिक पदोन्नतियां तथा वेतनमान निम्नलिखित हैं:-

(क) सहायक नौसेना भंडार अधिकारी-I, स्तर 10(रु. 56100-177500)

(ख) नौसेना भंडार अधिकारी, स्तर 11(रु. 67700-208700)

(ग) वरिष्ठ नौसेना भंडार अधिकारी, स्तर 12(रु. 78800-209200)

(घ) निदेशक, स्तर 13(रु. 123100-215900)

(ड.) वरिष्ठ निदेशक, स्तर 14(रु. 144200-218200)

(vii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के पद से सम्बद्ध कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्वरूप:-

(क) सभी प्रकार के भंडारों का प्रबंध करना।

(ख) निविदाओं की जांच करना, तुलनात्मक विवरणी तैयार करना, मांग प्रस्तुत करना तथा एकीकृत संचार तंत्र प्रबंध प्रणाली (आई.एल.एम.एस.) द्वारा उनके विकास की निगरानी करना।

(ख) आई.एल.एम.एस. द्वारा सभी सामग्री नियोजन कार्यों को सुनिश्चित करना ।

(घ) आई.एल.एम.एस. परीक्षण द्वारा डिपो में स्टाक किए गए सभी मदों की समुचित वेयर हाउसिंग तथा माल सूची नियंत्रण, जहाजरानी तथा परिवहन मदों का स्थानीय क्रय सुनिश्चित करना।

(ड.) जहाजों में ईंधन भरना/ईंधन निकालना, उन्हें भंडार में रखना तथा निकालना।

(च) अपने नियंत्रणाधीन प्राप्ति तथा लेखा निर्गत करना, परिरक्षण पैकिंग तथा भंडार गृह का स्टाक लेना।

(छ) स्टाक/मालसूची नियंत्रण तथा डिपो प्रबंध।

(ज) अतिरिक्त, रद्दी माल, साइलेज तेल का निपटान करना।

9. भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क'

दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी। सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य तथा आचरण आदि असंतोषजनक है या उसे यह आभास होता है कि उसके कुशलता प्राप्त करने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल कार्यमुक्त कर सकती है। परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर सरकार उस वक्त नियुक्ति पर स्थायी बना सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती है या जितनी ठीक समझे उतनी अवधि के लिए उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है।

(क) परिवीक्षा की अवधि के दौरान जो भी विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं निर्धारित की जाएं, अधिकारियों को उत्तीर्ण करनी होंगी। उनको स्थायी किए जाने से पहले हिन्दी की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी ।

(ख) अधिकारियों को व्यवसाय तथा भाषा संबंधी परीक्षण भी उत्तीर्ण करने होंगे ।

(ग) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा,

बशर्ते कि उस व्यक्ति को:

(i) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(ii) साधारणत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(घ) वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित लेवल ग्राह्य है:

(i)	कनिष्ठ समय वेतनमान	-	लेवल 10 (रु. 56100-177500)
(ii)	वरिष्ठ समय वेतनमान	-	लेवल 11 (रु. 67700-208700)
(iii)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	-	लेवल 12 (रु. 78800-209200)
(iv)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड)	-	लेवल 13 (रु. 123100-215900)
(v)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	-	लेवल 14 (रु. 144200-218200)
(vi)	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	-	लेवल 15 (रु. 182200-224100)

(vii) उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ - लेवल 16 (रु. 205400-224400)

(viii) शीर्षस्थ वेतनमान (भारत सरकार के सचिव के समकक्ष) - लेवल 17 (रु. 225000)

(ix) अधिकारी डिजिटल संचार आयोग के सदस्य के पद हेतु विचार के लिए भी पात्र होंगे, जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष हैं।

टिप्पण : जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अलावा किसी स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो उसका वेतन एफ. आर.22 बी (1) के उपबंध के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

(ङ) भारतीय दूरसंचार सेवा (समूह 'क') में पद से संबद्ध कार्यों और उत्तरदायित्वों का स्वरूप

कनिष्ठ समयमान

कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) स्तर के अधिकारियों को, लाइसेंसिग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु दूरसंचार विभाग की विभिन्न यूनिटों में तैनात किया जाएगा जिनमें लाइसेंस जारी करने, उनका प्रशासन तथा प्रवर्तन का कार्य भी शामिल है। उन्हें भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के मानकीकरण, दूरसंचार उपकरण की सामान्य आवश्यकताओं को तैयार करने, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) जैसे स्पेक्ट्रम प्रयोग हेतु उत्तरदायी कार्यालयों से संबद्ध किया जा सकता है। वे प्रौद्योगिकी वैधीकरण, आईटीयू, आईईईटीएफ आदि जैसे मानकीकरण निकायों की विभिन्न अध्ययन संबंधी ग्रुप बैठकों में भाग लेंगे। जेटीएस स्तर के अधिकारियों को दूरसंचार विभाग मुख्यालय की विभिन्न यूनिटों में तैनात किया जाएगा जिससे वे दूरसंचार नीति निर्माण, दूरसंचार प्रचालनों हेतु लाइसेंसिंग शर्तों को तैयार करने, यूएसओ निधि वितरण कार्यकलापों, दूरसंचार विभाग में प्रकार्यात्मक यूनिटों यथा पहुंच (एक्सेस) सेवा, आंकड़ा सेवा तथा मूल्यवर्धित सेवा में; सतर्कता, सुरक्षा यूनिट, नवीन प्रौद्योगिकियों आदि में तथा दूरसंचार से जुड़ी अन्य यूनिटों के कार्य करने तथा नवीन के साथ-साथ एकरूप (कनवर्ज्ड) नेटवर्क तथा सेवाओं संबंधी कार्य में सहायता करेंगे। दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय या किसी अन्य यूनिट में कार्य करते समय युद्ध जैसे आपातकालीन मामले अथवा सरकार द्वारा यथानिर्धारित लोकहित के किसी अन्य कारणवश उन्हें किसी लाइसेंसधारी सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन में भी तैनात किया जा सकता है। जेटीएस स्तर के अधिकारी, सामान्यत: वरिष्ठ समयमान (एसटीएस) स्तर के अधिकरियों को रिपोर्ट करेंगे।

वरिष्ठ समयमान

वरिष्ठ समयमान (एसटीएस) स्तर के अधिकरियों की तैनाती सामान्यत: दूरसंचार विभाग की विभिन्न यूनिटों में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के अधीन की जाएगी, जिनमें लाइसेंस जारी करने, सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण, उनका प्रशासन तथा प्रवर्तन के कार्य करने वाली यूनिटें भी शामिल हैं। उन्हें भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के मानकीकरण, दूरसंचार उपकरण की सामान्य आवश्यकताओं को तैयार करने, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) जैसे स्पेक्ट्रम प्रयोग हेतु उत्तरदायी कार्यालयों से संबद्ध किया जा सकता है। वे प्रौद्योगिकी वैधीकरण, आईटीयू, आईईईटीएफ आदि जैसे मानकीकरण निकायों की विभिन्न अध्ययन संबंधी ग्रुप की कार्यवाही बैठकों में भाग लेंगे। दूरसंचार विभाग के मुख्यालय में तैनात रहते हुए वे दूरसंचार नीति निर्धारण, दूरसंचार संकार्यों हेतु लाइसेंसिंग शर्तों को तैयार करने, यूएसओ निधि वितरण कार्यकलापों, सतर्कता, सुरक्षा यूनिट आदि में तथा दूरसंचार से जुड़ी अन्य किसी यूनिटों के कार्य करने तथा नवीन के साथ-साथ कनवर्ज्ड नेटवर्क तथा सेवाओं संबंधी कार्य में सहायता करेंगे। दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय या किसी अन्य यूनिट में कार्य करते समय युद्ध जैसे आपाकालीन मामले अथवा सरकार द्वारा यथानिर्धारित लोकहित के किसी अन्य कारणवश उन्हें किसी लाइसेंसधारी सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन कार्य में भी लगाया जा सकता है।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों की जेटीएस तथा एसटीएस स्तर के अधिकारियों के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षकीय तथा प्रशासनिक भूमिका है। वे सामान्यत: वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे और अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों के सहायक कार्य करेंगे। उनसे अपने कर्तव्यों के निष्पादन,

विशेषकर मानकीकरण, मूल्यांकन तथा प्रौद्योगिकी समावेशन, कदाचार की जांच, तथा नेटवर्कों की स्थापना तथा प्रचालन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समन्वय में अपनी तकनीकी/ प्रशासनिक दक्षता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा होगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को दूरसंचार विभाग की विभिन्न यूनिटों में तैनात किया जाएगा ताकि दूरसंचार नीति निर्धारण, दूरसंचार तथा एकरूप(कनवर्ज्ड) सेवा प्रदाताओं की लाइसेंसिंग शर्तों, जिनमें पहुंच सेवा, आंकड़ा सेवा तथा मूल्यवर्धित सेवा शामिल है, सतर्कता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक शिकायत, मानव संसाधनों/स्थापना मामलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों की निगरानी, दूरसंचार संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों आदि में कार्यों का निष्पादन करने में दूरसंचार विभाग/डिजिटल संचार आयोग में उप-महानिदेशक/वरिष्ठ उप-महानिदेशक को मध्य स्तरीय प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय सहायता दे सकें। वे सरकारी प्रयोग हेतु प्रणालियों/प्रस्थापनाओं, अथवा आपातकालीन स्थितियों में अथवा सरकार द्वारा यथानिर्धारित लोकहित के लिए लाइसेंसधारी दूरसंचार प्रचालकों के नेटवर्कों के संदर्भ में योजना, निष्पादन तथा संगठन एवं पद्धति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उच्च प्रशासनिक ग्रेड

दूरसंचार विभाग के समग्र प्रबन्धन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी डिजिटल संचार आयोग में उप महानिदेशक नीति निर्धारण एवं समग्र प्रशासन में डिजिटल संचार आयोग को उच्च स्तर पर सहायता प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों के प्रमुख होने के नाते उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, सेवा अनुपालन, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी, जन शिकायतों आदि के संदर्भ में फील्ड इकाइयों के कार्यकलापों के प्रभारी होंगे। वे सरकारी प्रयोग हेतु प्रणालियों/प्रस्थापनाओं, अथवा आपातकालीन स्थितियों में अथवा सरकार द्वारा यथानिर्धारित लोकहित के लिए लाइसेंसधारी दूरसंचार प्रचालकों के नेटवर्कों के संदर्भ में योजना, निष्पादन तथा संगठन एवं पद्धति के लिए उत्तरदायी होंगे। दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र में वरिष्ठ उप महानिदेशक और उप महानिदेशक, संचार प्रणालियों में अनुसंधान एवं विकास, विभिन्न दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के वैधीकरण, दूरसंचार उपकरणों की सामान्य आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे प्रौद्योगिकी के वैधीकरण और आईटीयू, आईईटीएफ आदि जैसे मानकीकरण निकायों की विभिन्न अध्ययन समूह बैठकों में भाग लेंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को दूरसंचार विभाग मुख्यालय में विभिन्न यूनिटों के प्रभारी के रूप में तैनात किया जाएगा ताकि वे दूरसंचार नीति बनाने, दूरसंचार के लिए लाइसेंसिंग शर्तों को तैयार करने और कनवर्ज्ड सेवा प्रदाता, जिसमें सेवा तक पहुंच, आंकड़ा सेवा और मूल्यवर्धित सेवा, सतर्कता, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, लोक शिकायत, मानव संसाधन/स्थापन मामले, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी निकाय की निगरानी, दूरसंचार से संबद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा मामले आदि शामिल हैं, के कार्यों का निपटान करने में दूरसंचार विभाग/ डिजिटल संचार आयोग को उच्चस्तरीय सहायता प्रदान कर सकें।

उच्च प्रशासनिक ग्रेड + / सलाहकार ग्रेड

इस ग्रेड के अधिकारी प्राथमिक तौर पर विभिन्न नीतियों को बनाने और प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसमें कार्मिक नीति और दूरसंचार/एकरूप नेटवर्क के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध फील्ड यूनिटों की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन कर फील्ड यूनिटों द्वारा वार्षिक योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और समय पर अनुमोदन शामिल है । सलाहकार देश की समग्र सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में नई प्रौद्योगिकियों को निर्धारित करने और उन्हें शामिल करने के लिए उत्तरदायी हैं । सलाहकार, राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दूरसंचार/एकरूप नेटवर्कों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल करके सुरक्षा नीतियां बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। वे दूरसंचार विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वशासी निकायों और प्रौद्योगिकी, लाइसेंसिंग मानव संसाधन/स्थापना के मामले, संचालन, अन्तरमंत्रालय समन्वय आदि के क्षेत्र में प्रशासन और निगरानी के कार्यों को देखेंगे ।दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख के रूप में सेवा अनुपालन, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी, जन शिकायतों आदि से संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों के प्रभारी होंगे।

शीर्षस्थ वेतनमान

महानिदेशक दूरसंचार के पद पर शीर्षस्थ वेतनमान स्तर का अधिकारी होगा। लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, महानिदेशक दूरसंचार को रिपोर्ट करेंगे। वह सेवा अनुपालन, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी, जन शिकायतों आदि से संबंधित क्षेत्र इकाइयों द्वारा संचालित सभी गतिविधियों का प्रभारी होगा।

कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी (जेटीओ)-(जी. सी. एस. समूह ख -राजपत्रित)

(i) जे टी ओ का पद समूह ख, राजपत्रित होगा, जिसका वेतनमान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (रु. 44900-142400) होगा ।

(ii) नियुक्ति, परिवीक्षा के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि में, परिवीक्षा के भाग के तौर पर, फील्ड कार्यों के छह माह के आरंभिक प्रशिक्षण को पूरा किया जाना भी शामिल है।

(iii) एक कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी, जिसने चालीस वर्ष की आयु पूरी न की हो, यदि आवश्यक हो, तो उसे प्रादेशिक सेना में सेवा करनी होगी, जो प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 6 क के प्रावधान (1948 का 56) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन होगी ।

(iv) सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों और विभागीय पदोन्नति रिक्तियों के कोटे के लिए चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण योजना के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करना होगा ।

कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी (जी. सी. एस. समूह ख, राजपत्रित) के पद से संबद्ध कार्यों और उत्तरदायित्वों का स्वरूप

कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी की तैनाती दूरसंचार मुख्यालय (डीओटीएचक्यू), टेलीकॉम इंजीनियरी केन्द्र, एनटीआईपीआरआटी तथा दूरसंचार विभाग के फील्ड एककों सहित दूरसंचार विभाग के विभिन्न एककों में की जाएगी। कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी सामान्यतया सहायक निदेशक और उनसे ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

10. भारतीय सर्वेक्षण विभाग, समूह 'क' सेवा

1. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष के अवधि के लिए, परिवीक्षा आधार पर होगी ।

किन्तु शर्त यह है कि इस संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकता है। अगली शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई निर्णय परिवीक्षा की पहली अवधि के समापन के बाद समान्यत: आठ सप्ताहों के अंदर किया जाएगा और संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अंदर लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा ।

परिवीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के समापन पर जैसी भी स्थिति हो, यदि सरकार का यह मत हो कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है, तो इसके कारण लिखित रूप से रिकार्ड किए जाएँ और सरकार उस अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या उस पद पर वापस भेज सकती है, जिसे वह उक्त सेवा में, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्ति से पहले धारण कर रहा था ।

परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास करना होगा और अनुदेशों का पालन करना होगा तथा परीक्षाएँ और परीक्षण पास (इसमें हिन्दी की परीक्षा भी शामिल है) करने होंगे जो सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की शर्त के रूप में निर्धारित किए जाएँगे ।

2. नियुक्त किए गए अधिकारियों को भारत और विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

3. नियुक्त किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के अनुसार भारत और विदेश में ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेशों के विस्तृत पाठ्यक्रमों में जाना पड़ सकता है ।

4. इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी रक्षा सेवा या पद पर कम - से - कम 4 वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है, जिसमें प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि भी शामिल है ।

किन्तु उस व्यक्ति को :-

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(2) सामान्यत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

5. ग्राहय वेतनमान निम्न प्रकार है :-

कनिष्ठ समयमान	पे बैंड 3 रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400
वरिष्ठ समयमान	पे बैंड 3 रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6600
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	पे बैंड 3 रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 7600
चयन ग्रेड	पे बैंड 4 रू0 37400-67000 ग्रेड पे रू0 8700
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	पे बैंड 4 रू0 37400-67000 ग्रेड पे रू0 10000
भारत का महासर्वेक्षक	एचएजी रू0 67000 (वार्षिक वृद्धि दर 3%) 79000

6. विभिन्न पदों के संबद्ध में कर्त्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप :

उप-अधीक्षक सर्वेक्षक (जेटीएस)- भूगणित, फोटोग्रामिति, मानचित्र कला और अंकीय मानचित्र के क्षेत्रों में अनुभागों/शिविरों का पर्यवेक्षण करने के लिए अलग-अलग कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के साथ-साथ अनुभाग अधिकारी/शिविर अधिकारी के रूप में भी सर्वेक्षण का कार्य करना । यूनिट के तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों कार्यों में प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक सर्वेक्षक) की भी सहायता करना ।

अधीक्षक सर्वेक्षक (एसटीएस)- पार्टी का संगठन एवं अनुशासन बनाए रखना, भंडारों की अभिरक्षा करना, रख-रखाव और परिशुद्ध लेखा-जोखा रखना, अपने अधिकार में होने वाली विधि की किफायत से व्यय करना, अपने सभी अधिकारियों और तैनात व्यक्तियों के अपने कार्यों (ड्यूटियों) और कार्यों के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त सर्वेक्षण विधि में उचित प्रशिक्षण देना, समस्त तकनीकी कार्यों का निष्पादन और पर्यवेक्षण करना,फील्ड प्रभाग, फेयर मानचित्र फोटोग्रामिति और मानचित्रण आदि करना ।

उप निदेशक (जेएजी)- निदेशालय का सुचारू और कुशल संचालन करने में क्रियाशील निदेशक की सहायता करना, व्यावसायिक परीक्षणों, प्रशिक्षण सर्किल की विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का आयोजन करने हेतु सभी तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनों तथा विवरणियों की समीक्षा करने, उनको पूरा करने और उन पर निगरानी रखने आदि का दायित्व संभालना, वसूली बोर्डों की बैठकों की अध्यक्षता करना, निविदाओं तथा संविदाओं को अंतिम रूप देना और निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को संपन्न करना ।

निदेशक/उप निदेशक चयन ग्रेड (चयन ग्रेड) – सभी सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का उत्तरदायित्व एवं सभी समूह 'ग'कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक प्राधकारी एवं तकनीकी समन्वय, मार्गनिर्देशन, राज्य सरकार, केन्द्रीय परियोजना प्राधिकारी इत्यादि को सलाह देने समेत सर्वेक्षण तथा मानचित्रण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं जाँच, निदेशालय के सभी व्यय का वित्तीय प्रबंधन, बजट को मॉनिटर करना तथा उसका नियंत्रण इत्यादि कार्यों का उत्तरदायित्व।

अपर महासर्वेक्षक (एसएएफ) – अपने प्रभार के अधीन आने वाले सर्किलों के तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, मानव संसाधन विकास, वित्त एवं लेखा कार्य को दक्षतापूर्वक संपन्न करने हेतु समग्र दायित्व संभालना । अपने प्रभार के अधीन आने वाले सभी सर्किलों के प्रशिक्षण क्षेत्रों और उपयुक्त मानचित्रण आंकुलिकमानचित्रण और रैपरोग्राफी कार्यक्रमों तथा मुद्रण कार्य को अंतिम रूप देना, निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी कार्य की प्रगति पर निगरानी रखना तथा प्रत्येक अवस्था पर परिशुद्धि के स्तर को सुनिश्चित करना, कार्य की नवीन विधि को विकास करने/उसको अपनाने का दायित्व संभालना, अपने जोन में आने वाले सभी सर्वेक्षण मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना ।

11.केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' और केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'

(क) चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर उनके स्थायी करने/कार्य करते रहने पर विचार किया जाएगा। परिवीक्षा की दो वर्ष की अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की कोई बढ़ी हुई अवधि समाप्त हो जाने पर यदि सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी/नियोजन/बरकरारी के उपयुक्त नहीं है या परिवीक्षा की इस अवधि या परिवीक्षा की बढ़ी हुई अवधि के दौरान किसी समय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति बरकरारी के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्य मुक्त कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है ।

(ख) जैसाकि इस समय स्थिति है, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' में नियुक्त सभी अधिकारी, सहायक कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड में चार वर्ष की सेवा पूरी करने और दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् कार्यकारी इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते रिक्तियां उपलब्ध हों और वे ऐसी पदोन्नति के लिए अन्यथा योग्य पाए जाएं।

(ग) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा के संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई है) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध पद पर कार्य करना होगा

किन्तु उस व्यक्ति को :-

(i) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं

करना होगा, और

(ii) सामान्यत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(घ) वेतन की प्राप्ति दरें निम्न प्रकार से हैं :-

(1)	कनिष्ठ समयमान (सहायक कार्यकारी इंजीनियर)	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 10 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
(2)	वरिष्ठ समयमान (कार्यकारी इंजीनियर)	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 11 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड - 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 12 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
(3)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अधीक्षण इंजीनियर)	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 13 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
(4)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चीफ इंजीनियर)	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 13 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
(5)	उच्च प्रशासनिक ग्रेड अपर महानिदेशक	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 16 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
	उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस(एचएजी+)	
	विशेष महानिदेशक	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 16 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
	महानिदेशक	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स का स्तर 17 (नियत)

महानिदेशक का पद सभी तीनों शाखाओं अर्थात् सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक तथा वास्तुकार के लिए समान है।

टिप्पणी :-जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अथवा किसी स्थाई पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो उसका वेतन एफ.आर. 22(बी)(1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ड.) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप ('क') और केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा ग्रुप (क) के पदों से सम्बन्धित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्वरूप :-

(क) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (ग्रुप 'क')

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार के सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार) के जिसमें आवासीय भवन, कार्यालय भवन, सवन संस्था तथा अनुसंधान केन्द्र, औद्योगिक भवन, अस्पताल की भूमि की विकास योजना, हवाई अड्डे, महामार्ग तथा पुल आदि सम्मिलित हैं, आयोजन, अभिकल्पन, निर्माण और रख-रखाव के कार्य पर लगाए जाते हैं। इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के रूप में शुरू करते हैं, और अपनी सेवा करते-करते पदोन्नत होकर विभाग के विभिन्न वरिष्ठ ओहदों पर पहुंच जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (ग्रुप 'क')

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार की सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार) के विद्युत घटकों के जिसमें विद्युत संस्थान, इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन तथा पावरहाउस, वातानुकूलन तथा प्रशीतन, हवाई अड्डों की रनवे लाइटिंग, यांत्रिक कर्मशाला का परिचालन, निर्माण मशीनरी की प्राप्ति तथा रख-रखाव आदि सम्मिलित हैं, आयोजन, अभिकल्पन, निर्माण और रख-रखाव में कार्य पर लगाए जाते हैं । इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यकारी इंजीनियरी के रूप में शुरू करते हैं, और अपनी सेवा करते-करते वे पदोन्नत होकर विभाग में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पहुंच जाते हैं।

12. भारतीय कौशल विकास सेवा

क) परिवीक्षा

1) सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, भले ही सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा सेवा मे नियुक्ति की गई हो, कनिष्ठ समयमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगा।

बशर्ते कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय द्वारा परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर लिया जा सकता है और ऐसे किए जाने से संबंधित कारणों के विषय में संबंधित अधिकारी को इस अवधि के भीतर ही लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

2) इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के पूरा होने पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे उसके पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए और यथासमय उपलब्ध मूल रिक्त पद पर उसका पुष्टिकरण किया जाना चाहिए।

3) यदि, परिवीक्षा की अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार का यह मत है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है, तो बिना कोई कारण सूचित किए केन्द्र सरकार द्वारा :-

(क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होता है, तो उसे उस पद से सेवामुक्त किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे तत्काल ऐसी पदोन्नति से पूर्व धारित पद पर वापस भेज दिया जाए।

4) परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान, अधिकारी को ऐसे पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण और अनुदेशों का अध्ययन अथवा ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों को पास करना पड़ सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने की अनिवार्य शर्त माना गया हो।

5) उप-नियम (क) से (4) तक के अधीन, वेतन के विषय में परिवीक्षार्थी की परिवीक्षा अवधि से संबंधित अन्य मामलों को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

ख) वरिष्ठता

कनिष्ठ समयमान में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 जुलाई, 1986 के का.ज्ञा. सं. 22011/7/86-स्था. मे सम्मिलित प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

ग) वेतनमान

i) कनिष्ठ समयमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (रु. 56,100–1,77,500)

ii) वरिष्ठ समयमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 (रु. 67,100–2,08,700)

iii) वरिष्ठ समयमान (एनएफएसजी) वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (रु. 78,800–2,09,200)

iv) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (रु. 1,23,100–2,15,900)

v) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स लेवल–14 (रु. 1,44,200–2,18,200)

(घ) प्रशिक्षण लागत की वापसी :- सरकार के मतानुसार यदि किसी भी कारण से कोई परिवीक्षार्थी, परिवीक्षा नियंत्रण से परे नहीं है, वह प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षा से अलग होता है तो उसे प्रशिक्षण की सारी लागत तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान दी गई किसी भी अन्य राशि को वापस लौटाना होगा। इस उद्देश्य से परिवीक्षार्थी को एक बॉन्ड भरना होगा जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न होगी। परिवीक्षार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति है तथा इसके लिए प्रशिक्षण लागत वापस करना अपेक्षित नहीं है।

(ड.) छुट्टी - समय-समय पर प्रभावी छुट्टी नियमों के अनुरूप अधिकारी छुट्टी के पात्र होंगे।

(च) चिकित्सा परिचर्या - समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुरूप ही अधिकारियों को चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(छ) भविष्य निधि एवं पेंशन :- सेवा में भर्ती उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे।

(ज) भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें :- सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर भारत या बाहर कहीं भी सेवा देने का दायित्व होगा ।

निरर्हता :- कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

(क) जो ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधता है जिसका पति या पत्नी जीवित है। अथवा

(ख) जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधता है:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

13. भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क', दूरसंचार विभाग

क) **परिवीक्षा/पुष्टि :-** चयनित उम्मीदवारों को दो वर्षों के लिए परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि अथवा उसे बढ़ाए जाने की अवधि के पूरा होने के पश्चात्, यदि अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सेवा में पुष्टि की जाएगी।

परिवीक्षा अथवा उसे बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकारी को प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेना अथवा ऐसी परीक्षाओं एवं परीक्षणों को पास करना आवश्यक होगा जो परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किए जाने हेतु शर्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

वेतनमान :-

(i)	कनिष्ठ समयमान	:	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.)
(ii)	वरिष्ठ समयमान	:	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रु.)
(iii)	वरिष्ठ समयमान (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	:	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 12 (78,800- 2,09,200 रु.)
(iv)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	:	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13 (1,23,100- 2,15,900)
(v)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	:	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14 (1,44,200- 2,18,200)
(vi)	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	:	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15 (1,82,200- 2,24,100)

तैनाती : इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों को देश-विदेश में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

रक्षा सेवाओं अथवा रक्षा से संबद्ध पद पर सेवा करने का दायित्व : इस सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा अथवा भारत की रक्षा से संबंधित किसी भी पद पर कम से कम चार वर्षों तक की अवधि तक सेवा करनी पड़ेगी जिसमें प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल होगी।

कार्यों का स्वरूप और उत्तरदायित्व :-

(क) वायरलेस निगरानी, वायरलेस स्टेशनों का निरीक्षण, दक्षता प्रमाणपत्र (सीओपी) परीक्षाओं का संचालन, रेडियो हस्तक्षेप मामलों का समाधान, आदि

(ख) स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग और वायरलेस स्टेशनों की लाइसेंसिंग; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय समन्वय सहित स्पेक्ट्रम नियोजन और समन्वय।

शिथिलता का प्रावधान : जहां सरकार का ऐसा मत हो कि उपर्युक्त प्रावधानों को शिथिल करना आवश्यक अथवा समीचीन है तब ऐसा किए जाने के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करके एवं आयोग से परामर्श करके किसी भी वर्ग एवं श्रेणी के अधिकारियों से संबद्ध नियमों के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकता है।

14. भारतीय उद्यम विकास सेवा

क) परिवीक्षा

1) सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा कनिष्ठ समयमान (सहायक निदेशक ग्रेड I) और फीडर ग्रेड (सहायक निदेशक ग्रेड II) सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगा।

बशर्ते कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय द्वारा परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर लिया जा सकता है और ऐसा किए जाने से संबंधित कारणों के विषय में संबंधित अधिकारी को इस अवधि के भीतर ही लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

2) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर अथवा इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के पूरा होने पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे उसके पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए और यथासमय उपलब्ध मूल रिक्त पद पर उसका पुष्टिकरण किया जाना चाहिए, जिसके लिए आयोग द्वारा भर्ती के लिए अधिकारी को अनुशंसित किया गया था।

3) यदि, परिवीक्षा अवधि के दौरान या परिवीक्षा की अवधि अथवा बढ़ाई गई, जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार का यह मत है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है, तो बिना कोई कारण सूचित किए केन्द्र सरकार द्वारा :-

(क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होता है, तो उसे उस पद से सेवामुक्त किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे तत्काल ऐसी पदोन्नति से पूर्व धारित पद पर वापस भेज दिया जाए।

4) परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान, अधिकारी को ऐसे पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण और अनुदेशों का अध्ययन अथवा ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों को पास करना पड़ सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने की अनिवार्य शर्त माना गया हो।

5) उप-नियम (1) से (4) तक के अधीन, वेतन के विषय में परिवीक्षार्थी की परिवीक्षा अवधि से संबंधित अन्य मामलों को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

ख) वरिष्ठता

कनिष्ठ समयमान में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 जुलाई, 1986 के का.ज्ञा. सं. 22011/7/86-स्था. मे सम्मिलित प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

ग) भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें :-

(1) सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर भारत या बाहर कहीं भी सेवा करने का दायित्व होगा।

(2) इन नियमों में जिन विषयों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर सामान्यतः केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

घ) वेतनमान

i)	सहायक निदेशक ग्रेड-II फीडर ग्रेड (ग्रूप ख)	मैट्रिक्स लेवल–7 (रु. 44,900–1,42,400)
ii)	सहायक निदेशक ग्रेड-I कनिष्ठ समयमान	मैट्रिक्स लेवल–10 (रु. 56,100–1,77,500)
iii)	उप निदेशक वरिष्ठ समयमान	मैट्रिक्स लेवल–11 (रु. 67,700–2,08,700)
iv)	संयुक्त निदेशक वरिष्ठ समयमान	मैट्रिक्स लेवल–12 (रु. 78,800–2,09,200)
v)	निदेशक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	मैट्रिक्स लेवल–13 (रु. 1,23,100–2,15,900)
vi)	अपर विकास आयुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	मैट्रिक्स लेवल–14 (रु. 1,44,200–2,18,200)

ङ) निरर्हता :-

कोई भी ऐसा व्यक्ति:-

(क) जो ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह करता है जिसका पति या पत्नी जीवित है। अथवा

(ख) जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करता है; सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

बशर्ते कि सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

(च) शिथिलता का प्रावधान : जहां सरकार का ऐसा मत हो कि उपर्युक्त प्रावधानों को शिथिल करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो ऐसा किए जाने के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करके एवं आयोग से परामर्श करके किसी भी वर्ग एवं श्रेणी के अधिकारियों से संबद्ध नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों को शिथिल किया जा सकता है।

15. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में इंजीनियरी सेवा समूह 'क' ।

क) **परिवीक्षा -** इस सेवा में नियुक्त उम्मीदवार प्रशिक्षण सहित दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। यदि प्रशिक्षण और कार्य के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक समापन पर, उम्मीदवार, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर स्थायी कर दिया जाएगा।

ख) **समाप्ति -** परिवीक्षा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने का नोटिस देकर परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है । हालांकि, बर्खास्तगी या अनुशासनिक उपाय के रूप में हटाने के मामले में और मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में ऐसा नोटिस देना अपेक्षित नहीं है।

यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक है या उसके दक्ष बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसकी सेवाएं समाप्त कर सकती है और उसे तत्काल कार्यमुक्त कर सकती है।

यदि किसी कारणवश जो सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर नहीं है, कोई प्रोबेशनर प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षा से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उस परिवीक्षा की अवधि के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का पूरा व्यय और उसको प्रदत्त अन्य धनराशियों को वापस करना होगा । इस प्रयोजन के लिए, प्रोबेशनरों को एक बंध-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी । तथापि, सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अनुमति प्राप्त प्रोबेशनरों को प्रशिक्षण के व्यय को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

ग) **वेतनमान -**

(1)	सहायक कार्यकारी अभियंता (कनिष्ठ समयमान)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)
(2)	कार्यकारी अभियंता (वरिष्ठ समयमान)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)
(3)	कार्यकारी अभियंता (एन एफ जे ए जी) (वरिष्ठ समयमान गैर-कार्यात्मक द्वितीय ग्रेड)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)
(4)	अधीक्षक अभियंता (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, ग्रेड-II)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रू)
(5)	मुख्य अभियंता	वेतन मेट्रिक्स में स्तर–14 (1,44,200- 2,18,200 रू.)

सेवा के अधिकारी छुट्टी के लागू नियमों के अनुसार छुट्टी के लिए पात्र होंगे।

अधिकारी नियम के अनुसार चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के लिए पात्र होंगे।

सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार की नई पेंशन योजनाओं द्वारा शासित होंगे।

घ) **तैनाती** – इस सेवा में नियुक्त हुए अधिकारी की तैनाती भारत में या विदेश में कहीं भी की जा सकती है।

कर्तव्य एवं दायित्व

जीएसआई में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद से जुड़े कर्तव्य व दायित्व निम्नानुसार हैं:-

1. प्रशिक्षण की अवधि के पूरा होने के बाद अधिकारी की तैनाती जीएसआई के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में की जा सकती है। वर्तमान में छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके मुख्यालय कोलकाता, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ और शिलांग में स्थित हैं। हालांकि, किसी भी स्थिति में अधिकारी की तैनाती उसके गृह क्षेत्र में नहीं की जाएगी।

2. क्षेत्र में तैनाती के तत्काल बाद अधिकारी को ड्रिल यूनिट के प्रभारी अधिकारी के अधीन ड्रिलिंग कैंप में तैनात किया जाएगा ताकि उसे फील्ड का अनुभव मिले और ड्रिलिंग यूनिट के विभिन्न कार्यकलापों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो। यह तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विचार के अनुसार उपयुक्त अवधि (किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक नहीं) के लिए की जाएगी। ड्रिल यूनिट के विभिन्न कार्यकलापों से परिचित होने के बाद संबंधित अधिकारी को उस क्षेत्र में कार्यरत किसी भी ड्रिल यूनिट का प्रभारी अधिकारी घोषित कर दिया जाएगा।

3. ड्रिल यूनिट के प्रभारी अधिकारी के रूप में, वह फील्ड में ड्रिलिंग कार्य के सफल प्रचालन के साथ-साथ मशीनों आदि की मरम्मत और रख-रखाव, फील्ड प्रचालन कार्य हेतु रोलिंग निधि की निगरानी तथा कैंप की स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा।

16. भा.रे.प्र.से (सिविल), भा.रे.प्र.से (यांत्रिक), भा.रे.प्र.से (वैद्युत), भा.रे.प्र.से (सिग्नल एवं दूरसंचार) और भा.रे.प्र.से (भण्डार) के संबंध में संक्षिप्त विवरण

(क) **परिवीक्षा -** इस सेवा में नियुक्त उम्मीदवार प्रशिक्षण सहित दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से न कर पाने के कारण प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया गया है तो परिवीक्षा की अवधि को भी तदनुसार बढ़ाया जाएगा। परिवीक्षा के अवधि के दौरान उम्मीदवार का कार्य का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि को भी तदनुसार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) प्रशिक्षण – सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा/पद विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जैसा इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(ग) नियुक्ति की समाप्ति –

(i) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है किंतु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधानों के अनुपालन में अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा की बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने तथा मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामलों में नहीं होगी। तथापि, सरकार के पास तत्काल सेवा समाप्ति का अधिकार सुरक्षित है ।

(ii) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐसा प्रदर्शित होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरंत सेवामुक्त कर सकती है।

(iii) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अथवा अनुमोदित मानक उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(घ) स्थायीकरण - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं का उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि सब प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जायेगा ।

(ङ) वेतनमान – भारतीय रेल प्रबन्धन सेवा (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, एस एवं टी तथा भण्डार):—

क्रम सं.	ग्रेड	स्तर/वेतनमान
1	कनिष्ठ समयमान	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)
2	वरिष्ठ समयमान	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)
3	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)

4	गैर-प्रकार्यात्मक वरिष्ठ ग्रेड	स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.)
5	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.)

परिवीक्षार्थी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगी और उनकी परिवीक्षा अवधि को समय वेतनमान में छुट्टी, पेंशन और वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने की अनुमति होगी। परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न कर पाने पर वेतनवृद्धि को रोक दिया जाएगा अथवा स्थगित कर दिया जाएगा। प्रवेश और अन्य गहन चिकित्सा पर वेतन-भविष्यवाणियों को प्रशिक्षण या दीक्षा नहीं दी जा सकती है।

(च) प्रशिक्षण लागत की वापसी –यदि किसी वजह, जो सरकार की राय में परिवीक्षार्थियों के नियंत्रण से बाहर नहीं है, से कोई परिवीक्षार्थी प्रशिक्षण या परिवीक्षा छोड़ना चाहता है तब उसे वेतन और भत्तों, नौकरी शुरू करने से संबंद्ध यात्रा व्यय सहित भुगतान की गई सभी राशियां और सभी खर्चे जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे अथवा वहन किए गए होंगे, वापस करने होंगे। इस प्रयोजनार्थ परिवीक्षार्थियों को एक बंधपत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति उनकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव के साथ संलग्न होगी। तथापि, परिवीक्षार्थी जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गई है, द्वारा प्रशिक्षण लागत की वापसी अपेक्षित नहीं होगी।

(छ) छुट्टियाँ - उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू अवकाश नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे। ।

(ज) चिकित्सा सहायता - अधिकारी समय-समय पर लागू नियमावली के अनुसार चिकित्सा सहायता और उपचार के पात्र होंगे।

(झ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट ऑर्डर - अधिकारी समय-समय पर नियमावली के अनुसार नि:शुल्क रेलवे पास और विशेषाधिकार टिकट ऑर्डर प्राप्त करेंगे।

(ञ) भविष्य निधि और पेंशन -उक्त सेवा में भर्ती उम्मीदवार सरकार की नई पेंशन योजना और समय-समय पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।

(ट) उक्त सेवा/पद पर भर्ती के लिए भारत या भारत के बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य किया जा सकता है।

(ठ) रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व : इस सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा अथवा भारत की रक्षा से संबंधित किसी भी पद पर कम से कम चार वर्षों तक की अवधि तक सेवा करनी पड़ेगी जिसमें प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल होगी।

किंतु यह कि:-

ऐसे अधिकारी को (i) सेवा में नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा (ii) उसे सामान्यतया चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा।

अनुबंध-1

बेंचमार्क दिव्यांगता वाली श्रेणी के लिए शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यात्मक विवरण सहित चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/पदों की सूची

क्र.सं.	सेवाओं का नाम	कार्यात्मक विवरण	शारीरिक आवश्यकताएं
श्रेणी I - सिविल इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा	ओए या ओएल या ऊंचा सुनना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
2.	भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
3.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह 'क'	ओए, ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीडित, बौनापन, एचएच, एसएलडी, ओए एवं पीडी, ओएल एवं पीडी	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आर, डब्ल्यू एवं आरडब्ल्यू
4.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क'	ओए या ओएल या पीडी/ ऊंचा सुनना	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, डी एवं डब्ल्यू
5.	सीमा सड़क संगठन में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)	ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, सी, केसी
6.	सैन्य इंजीनियर सेवा(एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में ए.ई.ई.(क्यूएस एंड सी)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
7.	भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा	पीडी	एफ, पीपी, एल, केसी, बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई एवं आरडब्ल्यू
8.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
9.	आईआरएमएस (सिविल)	एलडी-ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस,एसटी,बीएन,इ्ब्ल्यू,एसई,एमएफ,सी,आरडब्ल्यू,केसी,सीएल,जेयू,एच

		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
10.	आईआरएमएस (भंडार) सिविल इंजीनियरी	एलडी-ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, ड्ब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
श्रेणी - ।। यांत्रिक इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह 'क'	ओए या ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित, बौनापन, ऊंचा सुनने वाला, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ओए एवं पीडी, ओएल एवं पीडी	एस,एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आर, डब्ल्यू एवं आरडब्लयू
2.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	ओएल	एसटी, एस, एसई, एमएफ, बीएन, केसी, एच.सी
3.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह "क"	क) ओएल, ख) ऊंचा सुनना	एस, एसटी, एमएफ, एसई, बीएन, केसी, एच, सी
6.	भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजी.)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, बी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
7.	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह 'क' में सहायक कार्यकारी अभियंता समूह 'क' (विद्युत या यांत्रिक) (यांत्रिक इंजी.	ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, सी, केसी

	पद)		
8	केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी सेवा	ओएल अथवा एच एच	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
9	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
10	आईआरएमएस (यांत्रिक)	एलडी – ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
11	आईआरएमएस (भंडार) यांत्रिक इंजीनियरी	एलडी – ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
12	भारतीय उद्यम विकास सेवा ग्रेड I एवं II	(क) कुष्ठ उपचारित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता (ओए,ओएल), बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/अंग विकार के बिना; (ख) ऊंचा सुनना; (ग)उपरोक्त (क) तथा (ख) सहित एक से अधिक दिव्यांगताएं	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, पीपी,जेयू,एच
13	ईएमई कॉर्प्स में सहायक कार्यकारी इंजीनियर	पीडी	एफ,पीपी,एल,केसी,बी,एस,एसटी,डब्ल्यू,एसई एवं आरडब्ल्यू
श्रेणी - III - वैद्युत इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी)	ओएल या ऊंचा सुनना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के अनुसार
2.	केन्द्रीय विद्युत	ओएल, ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, एसई, डब्ल्यू, एमएफ, पीपी, एल, केसी, सी,

	इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद)		आरडब्ल्यू
3.	भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (वैद्युत इंजीनियरी)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
6	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के अनुसार
7.	भारतीय उद्यम विकास सेवा ग्रेड I तथा ग्रेड II	(क) लोकोमोटर दिव्यांगता (ओए या ओएल) सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमला पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल / अंग विकार के बिना; (ख) ऊंचा सुनना (ग) एकाधिक अशक्तता जिसमें उपरोक्त (क) और (ख) शामिल हैं	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई , एमएफ, सी , आरडब्ल्यू, केसी, सीएल , पीपी, जेयू, एच
8.	आईआरएमएस (वैद्युत)	एलडी –ओए, ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
9.	आईआरएमएस (भंडार) वैद्युत इंजीनियर	एलडी –ओए, ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी,

			सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
10.	ईएमई कोर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर समूह 'क' (वैद्युत इंजीनियर)	पीडी या ओए	एस,एसटी,बी,डब्ल्यू,एसई

श्रेणी – IV – इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी			
1.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
2.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
3.	भारतीय दूरसंचार सेवा, समूह क	एलवी, ओएल या ओए या एमडब्ल्यू	एफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	आईटीएस में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी समूह ख	**एलवी**, ओएल या ओए या एमडब्ल्यू	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, बीएन, एल, पीपी, सी एमएफ, ओए, ओएल, ओएएल
5.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद)	ओएल, ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, एसई, डब्ल्यू, एमएफ, पीपी, एल, केसी, सी एवं आरडब्ल्यू
6.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
7	भारतीय रेडियो विनियामक सेवा	ओए या ओएल	एस, एच एवं आरड्ब्ल्यू/स्पीकिंग
8.	भारतीय उद्यम विकास सेवा ग्रेड I तथा ग्रेड II	(क) लोकोमोटर दिव्यांगता (ओए या ओएल) सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/अंग विकार के बिना; (ख) ऊंचा सुनना (ग) एकाधिक	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई , एमएफ, सी , आरडब्ल्यू, केसी, सीएल , पीपी, जेयू, एच

		अशक्तता जिसमें उपरोक्त (क) और (ख) शामिल हैं	
9.	आईआरएमएस (सिग्नल एवं दूरसंचार)	एलडी – ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
10.	आईआरएमएस (भंडार) सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियरी	ओए या ओएल या ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आर, डब्ल्यू और आरडब्ल्यू
11 .	ईएमई कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर समूह 'क' (ईएण्डटी इंजीनियर)	पीडी या ओए	एस,एसटी,बी,डब्ल्यू,एसई

*** इस सूची में संशोधन किया जा सकता है ।**

प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप (निम्नांकित विवरण के अनुसार) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-15/2010-डीडी III दिनांक 29.07.2013 के विवरण के अनुसार हैं।

ओए=एक हाथ प्रभावित, ओएल=एक पैर प्रभावित, एचआई=श्रवण बाधित, पीडी=आंशिक बधिर, एमडब्ल्यू=मांसपेशीय दुर्बलता, एस=बैठना, बीएन=झुकना, एसई=देखना, आरडब्ल्यू=पढ़ना तथा लिखना, सी=संवाद, एफ/एमएफ=उंगलियों के प्रयोग के माध्यम से, पीपी=खींचकर तथा धकेलकर, एल=उठाकर, केसी= घुटना टेकना एवं क्राउचिंग, एसटी=खड़ा होना,डब्ल्यू= चलना, एच=सुनना, जेयू= कूदना,एच(श्रवण संबंधी सहायक उपकरण के साथ स्वीकार्य=25 डेसिबल तक सुनने में सक्षम होना चाहिए) ओएच=अस्थि दिव्यांगता, एलडी=चलने में असमर्थ, सीपी=प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, एसएलडी= विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और एम आई मानसिक रुग्णता, ओएएल = एक हाथ एक पैर, सीएल = चढना

^-जेटीओ का पद लोकोमोटर दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत स्पाइनल डिफोर्मिटी और स्पाइनल इंजरी (एसआई) (हाथ पैरों संबंधी रोग) की उपश्रेणी से भरे जाने के लिए उपयुक्त चिह्नित किया गया है।

टिप्पणी(i) : बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए पीएच उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आरक्षण दिए जाने हेतु उनकी अक्षमता की उप-श्रेणी को चिन्हित किया गया है |

टिप्पणी (ii) : कृपया यह भी नोट करें कि अस्थायी अशक्तता प्रमाण-पत्र उम्मीदवारों को शारीरिक दिव्यांग कोटे के अंर्तगत आरक्षित रिक्तियों का लाभ प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है |

टिप्पणी (iii) : कृपया अनुबंध-III में वर्णित प्रारूप पर ही अशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें |

अनुबंध-II

चिकित्सा परीक्षण हेतु उम्मीदवारों के लिए अन्य अतिरिक्त अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

(i) चिकित्सा परीक्षा की तारीख/स्थान और चिकित्सा की अंतिम स्थिति(योग्य/अयोग्य/अंशतः अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य) संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग **की आधिकारिक वेबसाइट (www.....)पर अपलोड कर दी जाएगी। इनके संबंध में उम्मीदवारों को अलग से कोई लिखित सूचना नहीं भेजी जाएगी।**

(ii) उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड रिपोर्ट-2026 के प्रपत्र की तीन प्रतियां साथ लानी होंगी। यह प्रपत्र संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग **की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् …….. Services Updates से डाउनलोड करना होगा।**

(iii) उम्मीदवारों को, सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटो साथ लाने होंगे | जिन उम्मीदवारों को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किया गया है, को निर्धारित फार्मेट के अनुसार उनका मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा उसकी एक प्रतिलिपि भी लानी होगी |

अनुबंध-III

प्रपत्र - V

अशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में और दृष्टिहीनता व्यक्तियों के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

बेंचमार्क अशक्तता वाले व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु _____वर्ष, पुरूष/महिला _____ (दिनांक / माह / वर्ष)

पंजीकरण सं._____ स्थायी निवासी मकान नं. _____ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि :

(क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:
- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन(ड्वार्फिज्म)
- दृष्टिहीनता

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में .....निदान है।

(ग) दिशानिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख) उन्हें .....% (अंकों में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थायी शारीरिक अक्षमता/दृष्टि बाधिता है।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

<u>प्रपत्र –VI</u>

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(एकाधिक दिव्यांगता के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

बेंचमार्क अशक्तता वाले व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु ____ वर्ष, पुरूष/महिला _____

(दिनांक / माह / वर्ष)

पंजीकरण सं._____ स्थायी निवासी मकान नं. _____ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि

(क) वह एकाधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार (.....दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	**दिव्यांगता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)**
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		

8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	ऊंचा सुनना	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक रुग्णता			
16.	गंभीर तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार (.....दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनका समग्र शारीरिक दिव्यांगता निम्नानुसार है:-

आंकड़ों में : _____ प्रतिशत

शब्दों में : _____ प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुन: आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षों .....माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा । (दिनांक) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र –VII

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(कृपया नियम 18(1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु ____ वर्ष, पुरुष/महिला _____

(दिनांक / माह / वर्ष)

पंजीकरण सं._____ स्थायी निवासी मकान नं. _____ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि वह _____ दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा की प्रतिशतता को दिशा-निर्देशों के अनुसार (.....दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	**अशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक अशक्तता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)**
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			

3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीड़ित			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	ऊंचा सुनना	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
13.	मानसिक रुग्णता			
14.	गंभीर तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
16.	पार्किंसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो दिव्यांगता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुन: आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षों .....माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र ....
तक के लिए वैध रहेगा । (दिनांक) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख

€ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर
{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर
(मोहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से दिव्यागंता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट-IV

परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की लिखने की असमर्थता के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती_____(बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री _____ निवासी _____ (ग्राम/जिला/राज्य), जो _____ (दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर किए गए उल्लेख के अनुसार दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रसित हैं, का परीक्षण कर लिया है। अपनी दिव्यांगता के परिणामस्वरूप वे लिखने में असमर्थ हैं।

हस्ताक्षर
किसी सरकारी चिकित्सा सेवा संस्था के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नोट : यह प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र/दिव्यांगता के विशेषज्ञ (उदाहरणत: दृष्टिबाधिता – नेत्र चिकित्सक(ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट), लोकोमोटर दिव्यांगता- अस्थि विशेषज्ञ/ पीएमआर) द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

परिशिष्ट-V

अपना स्क्राइब लाने के लिए परिवचन

(उम्मीदवारों द्वारा आयोग को ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत किया जाए)

मैं, _____ (नाम) _____ (परीक्षा का नाम) का उम्मीदवार हूं। मेरा अनुक्रमांक _____ और मेरा केन्द्र _____ (केन्द्र का नाम) है, जो _____ (राज्य का नाम) के अंतर्गत _____ जिले (जिले का नाम) में स्थित है। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है। मैं घोषित करता हूं कि _____ (स्क्राइब का नाम), उक्त परीक्षा में अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला (लैब) सहायक की सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उनकी शैक्षण्कि योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता मेरी घोषणा के अनुरूप नहीं है और मेरी शैक्षणिक योग्यता से अधिक है तो मैं उक्त पद हेतु अपना अधिकार और दावा खो दूंगा।

(दिव्यांगता वाले उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट – VI

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, के लिए प्रमाण-पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती..... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री ....., निवासी..... (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु .....वर्ष, की जांच की है, जो.....(दिव्यांगता की प्रकृति/ स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और कथन है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लिखने की क्षमता को बाधित करती है। इन्हें परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे कि प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल, भर्ती एजेन्सियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परिक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह .....तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जो भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनीकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/ मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, जो अध्यक्ष द्वारा नामित हो (यदि उपलब्ध है)
(हस्ताक्षर तथा नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्र का नाम

स्थानः
दिनांकः

परिशिष्ट-VII

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं ....., ... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो ..... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक ....., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ....., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता ..... है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से ..... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता ..... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

***

MINISTRY OF COMMUNICATIONS,

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

Engineering Services Examination Rules, 2026

F.No 01-01/2025-ESE (Rectt).—

INDEX

Sl. No.	Particulars	
(1)	Participating Services	
(2)	Rules	
	1-2	General Information
	3	Vacancies and Reservation
	4	Nationality
	5	Age
	6	Educational Qualification
	7	Fees
	8	Undertaking by Government Employees
	9	Fulfilling Eligibility Conditions
	9(a)	Universal Registration Number (URN) and Common Application Form (CAF):
	10	Admission Certificate
	11	Disqualification, Debarment, Disciplinary Action, Criminal Prosecution
	12	Scheme of Examination
	13	Declaration of Results, Allocation to Service/Post
	14	Minimum Qualifying Marks for PwBD Candidates
	15-16	Communication of the Results of the Examination
	17-18	Medical Examination
	19	Details of Categories/Subcategories of Disabilities
	20	Non-Eligibility on the ground of marriage
	21	Knowledge of Hindi
	22	Brief particulars relating to the Services/Posts
	23	Rounding Off Marks and Tie Breaking Principle
(3)	Appendices and Annexures	
	Appendix I	Plan of examination
	Appendix II	Regulations relating to the physical examination of candidates
	Appendix III	Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made on the results of this examination
	Appendix IV-VII	Performa of Certificates/Undertaking for scribe facilities availed by PwBD/PwD candidates
	Annexure I	List of Services/Posts identified suitable for PwBD category along with the physical requirements and functional classifications
	Annexure II	Other additional instructions to the candidates for medical examination
	Annexure III	Forms of Certificates for Disability (Form V-VII)

Note : The index above is provided to facilitate reference for relevant information. Candidates are advised that they must go through the Rules and the Appendices following, together with the Annexures thereof, in their entirety for proper understanding.

The Rules for a Combined Competitive Engineering Services Examination to be held by the Union Public Service Commission in **2026** for the purpose of filling vacancies in the following Services/Posts are, with the concurrence of the Ministries/Departments concerned, published for general information.

Participating Services

CATEGORY I—CIVIL ENGINEERING

Group-A Services/Posts

(i) Central Engineering Service

(ii) Central Engineering Service (Roads), Group-A (Civil Engineering Posts).

(iii) Survey of India Group 'A' Service.

(iv) *****AEE (Civil) in Border Roads Engineering Service.

(v) AEE (QS&C) in MES Surveyor Cadre.

(vi) Central Water Engineering (Group 'A') Service.

(vii) Indian Skill Development Service.

(viii) Indian Railway Management Service (Civil).

(ix) Indian Railway Management Service (Stores) – Civil Engg. Posts.

CATEGORY II—MECHANICAL ENGINEERING

Group-A/B Services/Posts

(i) AEE in GSI Engineering Service Gr 'A'.

(ii) Indian Naval Material Management Service (Mechanical Engineering Posts)

(iii) Defence Aeronautical Quality Assurance Service/SSO-II (Mechanical).

(iv) *AEE (Electrical and Mechanical) in Border Roads Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).

(v) Indian Skill Development Service.

(vi) Indian Railway Management Services (Mechanical)

(vii) Indian Railway Management Services (Stores) – Mechanical Engg. Posts.

(viii) Indian Enterprises Development Service/Assistant Director Grade-I (IEDS) Mechanical Trade

(ix) Indian Enterprises Development Service/Assistant Director Grade-II (IEDS) Mechanical Trade

(x) AEE Gr 'A'(Mechanical Engineering Posts) in Corps of EME, Min of Defence

CATEGORY III—ELECTRICAL ENGINEERING

Group-A/B Services/Posts

(i) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Electrical Engineering Posts).

(ii) Indian Naval Material Management Service (Electrical Engineering Posts)

(iii) Central Power Engineering Service Gr 'A' (Electrical Engineering Posts).

(iv) Defence Aeronautical Quality Assurance Service/SSO-II (Electrical).

(v) Indian Skill Development Service

(vi) Indian Enterprises Development Service/Assistant Director Grade-I (IEDS) Electrical Trade

(vii) Indian Enterprises Development Service/Assistant Director Grade-II (IEDS) Electrical Trade

(viii) Indian Railway Management Service (Electrical)

(ix) Indian Railway Management Service (Stores) – Electrical Engg. Posts.

(x) AEE Gr 'A'(Electrical Engineering Posts) in Corps of EME, Min of Defence

CATEGORY IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Group-A/B Services/Posts

(i) Indian Radio Regulatory Service Gr 'A'

(ii) Indian Telecommunications Service Gr 'A'.

(iii) Indian Naval Material Management Service (Electronics and Telecom Engineering Posts)

(iv) Defence Aeronautical Quality Assurance Service/SSO-II (Electronics & Tele).

(v) Indian Skill Development Service

(vi) Junior Telecom Officer Gr 'B'

(vii) Indian Enterprises Development Service/Assistant Director Grade-I (IEDS) Electronics Trade

(viii) Indian Enterprises Development Service/Assistant Director Grade-II (IEDS) Electronics Trade

(ix) Indian Railway Management Service (Signal &Telecommunication)

(x) Indian Railway Management Service (Stores) – S & T Engg. Posts.

(xi) AEE Gr 'A'(Electronics & Telecommunication Engineering Posts) in Corps of EME, Min of Defence

General Information

All candidates (male/female/transgender) are requested to carefully read these Rules and the examination notice of the UPSC derived from these Rules.

***The eligibility of transgender for AEE (Civil) and AEE {(Electrical and Mechanical) (Mechanical Engg Posts)} in Border Road Engineering Service shall be as per the decision taken by the Government in due course.**

The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix-I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed and notified by the Commission.

A candidate may compete in respect of any one of the categories of Services/Posts viz., Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering.

N.B. (i) Candidates are advised to indicate all the Services/ Posts for which they are eligible in terms of the Rules in the order of preference as prescribed in the Note under Rule 9 (a)(ii) . In case a candidate does not give any preference for any Service/Post or does not include certain Services/Posts in his/her application form, it will be assumed that he/ she has no specific preference for those Services/Posts and in that event he/she shall not be allocated against those Services/Posts It is mandatory for a candidate to exercise at least one preference to be considered for service allocation.

(ii) Departmental candidates are the candidates admitted to the examination under age relaxation [Vide Rule 5(b)]. Such candidates may give their preferences for the Services/Posts in other Ministries/Departments also.

(iii) Candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the services/posts mentioned in the said proviso and their preference for the Services and Posts, if any, will be ignored.

(iv) The candidates will be allotted to various Services/ Posts strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies, subject to their medical fitness.

Vacancies and Reservation

3. The tentative number of vacancies to be filled through the examination will be specified in the Examination Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically Weaker Section (EWS) as well as candidates belonging to Persons with Benchmark Disability categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Nationality

4. A candidate must be either :—

a. a citizen of India, or

b. a subject of Nepal, or

c. a subject of Bhutan, or

d. a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

e. a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India; and that a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him/her by the Government of India.

Age

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on the **1st January, 2026** i.e., he/she must have been born not earlier than **2nd January, 1996** and not later than **1st January, 2005.**

(b) The upper age-limit of 30 years will be relaxable upto 35 years in the case of Government servants of the following categories, if they are employed in a Department/ Office under the control of any of the authorities mentioned in column 1 below and apply for admission to the examination for all or any of the Service(s)/Post(s) mentioned in column 2, for which they are otherwise eligible.

(i) A candidate who holds substantively a permanent post in the particular Department/Office concerned. This relaxation will not be admissible to a probationer appointed against a permanent post in the Department/Office during the period of his probation. However, this relaxation will be admissible to a probationer so appointed provided he/she already retains a lien on a permanent post in a Department/Office under the control of any of the authorities mentioned in column 1 below.

(ii) A candidate who has been continuously in a temporary service on a regular basis in the particular Department/Office for at least 3 years on the **1st January, 2026.**

(iii)

Column 1	Column 2
Central Public Works Department	C.E.S. Group 'A', CE&MES Gr 'A'
Ministry of Road Transport and Highways	Central Engineering Service (Roads) Gr. 'A'
Ministry of Communication, Deptt. of Telecommunication	Indian Radio Regulatory Service Group 'A' Indian Telecommunications Service Group 'A', J.T.O. (G.C.S. Gr. 'B')
Min of Defence, Deptt. of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	Defence Aeronautical Quality Assurance Service(DAQAS) Gr 'A'
Min of Science and Technology, Deptt. of Science and Technology	Survey of India Gr 'A' Service
Border Roads Organisation	BRES Gr. 'A'
Indian Navy	Indian Naval Armament Service, Indian Naval Material Management Service
Military Engineer Services	Indian Defence Service of Engineers (lDSE) Group 'A' AEE(QS&C) in Military Engineer Service (MES) Surveyor Cadre
Min of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga	Central Water Engineering Group-A Service.

Rejuvenation, Central Water Commission	
Central Electricity Authority	CPES Gr 'A'
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship	Indian Skill Development Service
Min of MSME	Indian Enterprises Development Service
Geological Survey of India	Assistant Executive Engineer Gr 'A'
Min of Railways (Railway Board)	IRMS (Civil) IRMS (Mechanical) IRMS (Electrical) IRMS (Signal & Telecommunication) IRMS(Stores)
The Corps of Electronics and Mechanical Engineering, Ministry of Defence	AEE, Gr. 'A' (Mech. Engg. Posts) in the Corps of EME, Min. of Defence. AEE, Gr. 'A' (Electrical. Engg. Posts) in the Corps of EME, Min. of Defence. AEE, Gr. 'A'(Electronics and Telecommunication Engs. Post) in the Corps of EME, Min. of Defence.

Note — The period of apprenticeship if followed by appointment against a working post on the Railways may be treated as Railway Service for the purpose of age concession.

(c) The upper age-limit prescribed above will be further relaxable :

(i) Up to maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) Up to maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

(iii) Up to maximum of three years, in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

(iv) Up to maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and Emergency Commissioned Officers (ECOs) / Short Service Commissioned Officers (SSCOs), who have rendered at least five years Military Service as on 1st January,**2026** and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due) completed within one year from 1st January, **2026** otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service, or (iii) on invalidment.

(v) Up to maximum of five years in the case of ECOs/ SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January, **2026** and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(vi) Up to a maximum of 10 years in the case of candidates belonging to Persons with Benchmark Disability viz. **Low vision**, deaf and Hard of Hearing, Locomotor Disability including Leprosy cured, Dwarfism, Acid Attack victims, Muscular Dystrophy, Specific Learning Disability and Mental Illness.

Note I : Candidates belonging to either the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes category who are also covered under any other clauses of Rule (5)(c) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen or PwBD will be eligible for grant of cumulative relaxation under both the categories.

Note II : The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note III : The age concession under Rule 5(c) (iv) and (v) will be admissible to Ex-Servicemen i.e. a person who has served in any rank whether as combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension.

Note IV : The details of Functional Classification (FC) and Physical Requirements (PR) of each service are indicated in Annexure-I of these Rules which are identified and prescribed by the respective Cadre Controlling Authorities (CCAs) as per the provisions of Section 33 and 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

Only those category (ies) of disability (ies) mentioned in Annexure-I shall apply for the examination under Persons with Benchmark Disability (PwBD) Category. Therefore, the candidates belonging to the Persons with Benchmark Disability categories are advised to read it carefully before applying for the examination.

Note V : Notwithstanding the provision of age relaxation under Rule 5(c) (vi) above, a candidate with Benchmark Disability will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Service/ Posts to be allocated to the Persons with Benchmark Disability candidate by the Government.

Note VI : A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belong is included in the list of reserved communities issued by the Central Government. The candidates will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Section (EWS) reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and in possession of such eligibility certification. If a candidate indicates in his/her application form for Engineering Services Examination, that he/she belongs to General category but subsequently writes to the Commission to change his/her category to a reserved one, such request shall not be entertained by the Commission. Further, once a candidate has chosen a reserved category, no request shall be entertained for change to other reserved category viz. SC to ST, ST to SC, OBC to SC/ST or SC/ST to OBC, SC to EWS, EWS to SC, ST to EWS, EWS to ST, OBC to EWS, EWS to OBC. No reserved category candidates other than those **who qualified each stage of the Examination on General standard, shall be allowed to change (on their request or as decided by the Commission/Government based on the documents submitted by them)** their category from Reserved to Unreserved or claim the vacancies (Services/Cadre) for UR category after the declaration of final result by UPSC. **In cases where such candidates do not qualify on General Standard, their candidature shall be cancelled.**

Further no Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate or any subcategory there under shall be allowed to change his/her sub-category of disability.

Candidates seeking reservation/relaxation benefits available for SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-Servicemen must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the Rules/Notice. They should be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the Rules/Notice for such benefits, by the closing date of the application. (Prescribed Format of Disability Certificate should be submitted by Persons with Benchmark Disability candidates as per Form V to Form VII (as applicable) of Min of Social Justice and Empowerment Notification dated 15th June, 2017 as at Annexure-III).

A candidate of ESE-2026 will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and is in possession of requisite Income & Asset Certificate based on the income for Financial Year (FY) 2024-2025 and issued on/after 01.04.2025 (after the completion of FY 2024-25) but not later than the closing date of the application for Engineering Services (Preliminary) Examination- 2026 i.e. 16th October, 2025.

The OBC candidates applying for ESE-2026 must produce OBC (Non-Creamy Layer) certificate based on the Income for the Financial Year (FY) 2024-25, 2023-24 and 2022-23 and issued on/after 01.04.2025 (after the completion of FY 2024-25) but not later than the closing date of the application for Engineering Services (Preliminary) Examination 2026 i.e. 16th October, 2025.

While the above principle will be followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of a Government Notifications enlisting a particular community in the list of any of the reserved communities and the date of submission of the application by the candidate. In such cases the request of change of community from General to Reserved may be considered by the Commission on merit. In case of a candidate unfortunately becoming person with benchmark disability during the course of examination, the candidate should produce valid documents showing him/her acquiring a disability to the extent of 40% or more (only under **Low vision**, Locomotor Disability including Leprosy cured, Dwarfism, Acid Attack victims & Muscular Dystrophy, Hard of Hearing, Specific Learning Disability and Mental Illness as defined under the RPwD Act, 2016 to enable him/her to get the benefits of reservation earmarked for PwBD provided he/she otherwise remains eligible for the Engineering Services Examination as per Rule 19.

N.B.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(b) above shall be cancelled if, after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department/office either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

A candidate who after submitting his application to the department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession provided his application has been forwarded by his parent department.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by the Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register or Matriculates maintained by a University and that extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscope affidavits, birth extracts from Municipal Corporation Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction include the alternative certificates mentioned above.

Note 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 2 : Candidate should also note that once a date of birth has been submitted by them in the application form and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any other Examination of the Commission on any ground whatsoever.

Educational Qualification

6. A candidate must have—

a. obtained a Degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

b. passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or

c. obtained a Degree/Diploma in Engineering, from such foreign University/College/ Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or

d. passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (India); or

e. passed Associate Membership Examination Parts II and III/Sections A and B of the Aeronautical Society of India; or

f. passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959 :

Provided that a candidate for the posts of Indian Naval Armament Service (Electronics Engg. Posts) and Indian Radio Regulatory Service Group. 'A' may possess any of the above qualifications or the qualification mentioned below namely:

For Indian Naval Armament Service (Electronics Engg. Posts) - M.Sc. degree or its equivalent with Wireless Communication Electronics, Radio Physics or Radio Engineering as a special subject.

For Indian Radio Regulatory Service Group 'A' – M.Sc. degree or its equivalent with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics or Radio Engineering as a subject or Master's Degree in Science with Physics and Radio Communication or Electronics or Telecommunication as a special subject.

Note 1: In light of the judgement of Hon'ble High Court of Delhi dated 13.01.2023 in connection with the WP (C) 3239/2013 as communicated vide Ministry of Education's letter No. 20-2/2019-TC (Part) dated 6th June, 2023, the degrees/certificates of the candidates obtained from the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (India) and the Aeronautical Society of India, by taking admission post 31.05.2013, will not be admissible for

the Engineering Services Examination, 2026 Further, the eligibility of the candidates who have obtained degree/certificate from the Institution of Engineers (India), by taking admission post 31.05.2013, will be subject to the decision of the Government in pursuance of the judgement of the Hon'ble High Court of Delhi in the W.P. No. 3790/2013."

Note 2 : A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear, at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination. All such candidates, who are declared qualified by the Commission for Interview/Personality Test, will be required to produce proof of passing of the requisite qualifying examination within the time limit prescribed in Rule 9(a).

Note 3 : In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

Note 4 : A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University which is not

recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

Fees

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

Undertaking by Govt or PSU Employees

8. All candidates in Government service, whether in permanent or in temporary capacity or as work charged employees, other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

Fulfilling Eligibility Condition

9. The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination and Personality Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Personality Test it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

9(a) Universal Registration Number (URN) and Common Application Form (CAF):

(9)(a)(i) A candidate who is willing to apply for Engineering Services Examination shall be required to apply on-line and submit the requisite information and supporting documents towards various claims, such as date of birth, category [viz. SC/ST/OBC/ EWS/PwBD/Ex-Servicemen], educational qualification, etc. as may be sought by the Commission along with the Common Application Form. The failure to provide the required information/documents along with the Common Application Form provided by the Commission will entail cancellation of candidature for the examination.

Note : The candidates should also note that no addition/deletion/any changes are allowed in Universal Registration profile/module of the online application form in the Engineering Service Examination in any circumstances once it is submitted.

(9)(a)(ii) The Commission shall provide a window after the declaration of result of Main/stage-II part of Engineering Services Examination to the candidates qualified for Personality Test/Interview and filled their status of educational qualification. The candidates, who do not have the prescribed Educational qualification at the time of the Online Application, shall be required to update their details and to upload the proof of passing of the requisite qualifying examination on the Common Application Form Module, failing which such candidates will not be allowed to appear in the Personality Test/Interview and his/her candidature will be liable to be cancelled.

Note: In this period, all the candidates qualified for Personality Test shall also be provided an option to update Correspondence/Post Address, Higher Qualification, Achievement in different field, Employment Details/Service Experience, Service Allocation, Service Preferences. The details updated in this window will be treated as final and no request for any change in these fields received through any other mode will be entertained.

Admission Certificate

10. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

Disqualification, Debarment, Disciplinary Action, Criminal Prosecution

11. (1) A Candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

a. Obtaining support for candidature by the following means, namely:-

i. offering illegal gratification to; or

ii. applying pressure on; or

iii. blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

b. impersonation; or

c. procuring impersonation by any person; or

d. submitting fabricated/incorrect documents or documents which have been tampered with; or

e. uploading irrelevant or incorrect photo/signature in the application form in place of actual photo/signature; or

f. making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

g. resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely :-

i. obtaining copy of question paper through improper means; or

ii. finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination; or

iii. influencing the examiners; or

h. being in possession of or using unfair means during the examination; or

i. writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or

j. misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

k. harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or

l. being in possession of or using any mobile phone, (even in switched-off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched-off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or

m. violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or

n. attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts

specified in the foregoing clauses;

in addition to being liable to criminal prosecution, shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period :-

i. by the Commission, from any examination or selection held by them;

ii. by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government; Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.

(2) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the clause (n) above.

Scheme of Examination

12. Engineering Services Examination (ESE) will be in three stages viz. Stage-I: Engineering Services (Preliminary/Stage-I) Examination (Two objective type papers), Stage-II: Engineering Service (Main/Stage-II) Examination (Two Conventional Type Papers) and Stage-III: Personality Test. Details of the Scheme of ESE are given under Appendix-I.

The Commission will have the discretion to fix Minimum Qualifying Marks for each Paper of Stage-I and Stage-II. Only those candidates qualifying at Stage-I will be permitted to appear for Stage-II of the Examination. Similarly only those candidates qualifying at Stage-I and Stage-II will be summoned for Stage-III (Personality Test). Final merit will be made on the basis of marks secured by the candidates in Stage-I + Stage-II + Stage-III.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or the EWS may be summoned for Stage-III(Personality Test) by the Commission by applying relaxed standards of selection at Stage-I and Stage-II if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for Personality Test on the basis of general qualifying standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

Declaration of Results, Allocation to Service/Post

13. (i) After Personality Test, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to be filled up on the basis of the examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the examination:

Provided that the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the EWS and the Persons with Benchmark Disability respectively.

Note: The facility of scribe, along with compensatory time which is available for eligible candidates belonging to Person with Benchmark Disability category and the disability of such candidates, which he is suffering from in respect of Medical Fitness, shall not be treated as relaxations/concession.

(ii) While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(iii) The Commission may further lower the general qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against resultant unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the process as per provisions of sub-rule(ii) above; and the Commission may make the recommendation in the manner prescribed in sub-rules (iv) and (v).

(iv)(a) While recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections and the Persons with Benchmark Disability who acquire the merit at or above the fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso to sub-rule (i).

(iv)(b) While exercising the method defined in sub rule (iv)(a), due consideration may be taken to secure the vacancy(ies) for PwBD candidates expected to be recommended from Reserve List and if required, the total number of recommended candidates shall be reduced appropriately in addition to reduction as per sub rule (iv)(a).

(iv)(c) Along with this list of recommended candidates, the Commission shall also maintain a consolidated reserve list of candidates which will include candidates from unreserved, reserved categories and PwBD category ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. . The number of candidates, of unreserved category in the list will be equal to the number of reserved category candidates and of PwBD Category who in the first instance were included in the list of recommended candidates as per proviso to sub-rule (i) and reduction in recommendation against unreserved vacancy(ies), if any, in light of sub rule (iv)(b)**.**

(iv)(d) The number of reserved category in the Consolidated Reserve List, from each category of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Class, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability will be equal to the respective number of candidates reduced in each category while recommending candidates in the first instance as per sub rule (iv)(a). and (iv)(b).

(iv)(e) The Consolidated Reserve List so maintained shall be treated as confidential till the process of recommendation(s) in terms of sub-rule (v) is finally concluded by the Commission.

(v) The candidates recommended in terms of the provisions of sub-rule (iv), shall be allocated by the Government to the services and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requesting it to recommend, in order of merit, from the consolidated reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of filling up the unfilled vacancies in each category.

Note : Reserve list is not a waiting list to cater to vacancies arising out of other reasons such as candidates not turning up to join, being found medically unfit, left out on account of medical fitness for limited services, resignation or any other reasons. Commission will not take into account such vacancies for release of Reserve List.

Minimum Qualifying Marks for PwBD Candidates

14. The minimum qualifying marks as specified under rules 12 and 13 may be relaxable at the discretion of the Commission in favour of Candidates belonging to Persons with Benchmark Disability category in order to fill up the vacancies reserved for them:

Communication of the Results of the Examination

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with candidates regarding the result.

16. Subject to other provisions contained in these rules, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and the preferences expressed by them for various Services/Posts at the time of their application.

Medical Examination

17. No right to allocation and appointment to a Service conferred to a candidate declared as successful by the Commission as per the results of the Examination, unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to character and antecedents and certificates produced during the course of examination for the purpose of eligibility as well as for claiming any kind of benefit for reservation and to the Medical Examination Reports, is suitable in all respects for allocation / appointment to the Service. The decision of the Government in this regard shall be final. Attestation Forms are to be submitted only after allocation of services/posts to respective Cadre Controlling /Appointing authorities.

18. To be passed as fit for appointment, a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be prescribe is found not to satisfy these requirements will not be appointed. A candidate who has been left out on account of medical fitness for limited services and no vacancy being available at his turn cannot be allocated to any service for which he is not fit and where vacancies exists. Candidates declared medically unfit as per medical standards specified in Appendix-II will be left out from the allocation process. The standard for Transgender candidates would be posted on the dedicated webpage of Ministry of Communications, Department of Telecommunications before commencement of the Medical Examination of Engineering Services Examination,**2026**

THE ATTENTION OF THE CANDIDATES IS INVITED TO THE REGULATION RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION PUBLISHED HEREWITH. IT WILL BE SEEN THEREFROM THAT THE PHYSICAL STANDARDS PRESCRIBED VARY FOR DIFFERENT SERVICES. THE CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED TO KEEP THESE STANDARDS IN VIEW WITH SPECIFIC REFERENCE TO SERVICES FOR WHICH THEY HAVE COMPETED/EXPRESSED PREFERENCES TO THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION.

"Candidates finally recommended by Commission on the basis of Engineering Services Examination,**2026** shall be required to undergo medical examination. The candidates may also please note that:

(i) Every candidate, on being finally recommended by Commission will be required to undergo medical examination as and when so decided by Ministry of Communications, Department of Telecommunications and in such manner as they deem appropriate irrespective of the fact that he/she has appeared for such medical examination in the

past and found fit or unfit on the basis of earlier examination. The findings of the Medical Board will be taken as final and binding for all allotment purposes;

(ii) A sum of Rs. 100 (Rupees One Hundred only) in cash, is required to be paid by them to the Medical Board;

(iii) No travelling allowance will be paid for the journey performed in connection with the medical examination; and

(iv) The fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

Note.— In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination.

Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled/Ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with requirements of each service.

Details of Categories/Sub-categories of Disabilities

19. Details of the categories/sub categories of disabilities (functional classification and Physical

Requirements) identified for the various Services/posts :

"For being considered against the vacancies reserved for them, the Persons with Benchmark Disability persons should have disability of forty per cent (40%) or more. The functional classification in their case shall be consistent with the requirements of the concerned services/posts as detailed in Annexure-I. However, such candidates shall be required to meet the physical requirements/abilities as detailed in Annexure-I and to submit Certificate of Disability in the prescribed format as detailed in Annexure-III.

Non-Eligibility on the ground of marriage

20. No person :—

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

b. who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service :

Provided that Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Knowledge of Hindi

21. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to pass after entry into Service.

22. Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix III.

Rounding Off Marks and Tie Breaking Principle

23. The provisions relating to the rounding off of marks, wherever applicable, and the principles for resolving cases of tie in scores shall be as prescribed below:

(A) <u>Rounding Off Marks:</u>

Marks obtained by the candidates shall be rounded off up to two decimal digits, at all stage(s) of the examination, by applying the standard rounding off principle, wherever applicable. Accordingly, while applying the Tie Breaking Principles, the rounded off marks up to two decimal digits shall be considered for resolving all tie cases.

(B) <u>Tie Breaking Principle</u>

(i) If the marks in aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in the three papers in Engineering discipline ("**Stage-I : Paper-II**-Civil Engineering/Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Electronics & Telecommunication Engineering") and "**Stage-II : Paper-I & II**-Civil Engineering/ Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Electronics & Telecommunication Engineering") plus marks of Personality Test put together will be ranked higher;

(ii) If the marks at (i) above are equal, the candidates securing more marks in the total of three Papers in Engineering discipline ("Stage-I – Paper-II : Civil Engineering/ Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Electronics & Telecommunication Engineering") and "**Stage-II – Paper-I & II** : Civil Engineering/ Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Electronics & Telecommunication Engineering" put together) will be ranked higher.

(iii) If the marks at (i) & (ii) above are also equal, the candidate senior in age will be ranked higher; and

(iv) In cases where a tie persists even after applying the above tie breaking principles, it will be resolved at the discretion of the Commission.

ROSHNI SOHNI, Senior DDG (Establishment)

APPENDIX I

Section-I
Plan of Examination

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

(i) Stage-I: Engineering Services (Preliminary/Stage-I) Examination (Objective Type Papers) for the selection of candidates for the Stage-II: Engineering Services (Main/Stage-II) Examination;

(ii) Stage-II: Engineering Services (Main/Stage-II) Examination (Conventional Type Papers) and

(iii) Stage-III : Personality Test

2. The Engineering Services (Preliminary/Stage-I) Examination will consist of two objective type (multiple choices) questions papers and carrying a maximum of 500 marks (Paper 1 – 200 Marks & Paper II – 300 Marks). Only those candidates who are declared by the Commission to have qualified in the Preliminary/Stage-I Examination in the year will be eligible for admission to the Main/Stage-II Examination of that year provided they are otherwise eligible for admission to the Main/ Stage-II Examination. The Marks obtained in Preliminary/Stage-I Examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main/Stage-II Examination will be counted for determining their final order of merit. The number of candidates to be admitted to the Main/Stage-II Examination will be about six to seven times of the total approximate number of vacancies to be filled in the year through this examination.

Note I : The Commission will draw a list of candidates to be qualified for Engineering Services (Main/Stage-II) Examination based on the criterion of minimum qualifying marks in General Studies and Engineering Aptitude Paper (Paper-I) and Engineering Discipline specific paper (Paper-II) of Preliminary/Stage-I Examination.

Note II: There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective type question papers.

(i) There are four alternative for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

3. Candidates should note that if any irrelevant matter/signages/marks etc. are found written in the answer script(s), which would not be related to any question/answer and/or would be having the potential to disclose the candidate's identity, the Commission will impose a penalty of deduction of marks from the total marks otherwise accruing to the candidate or will not evaluate the said script(s) on this account.

4.1 The Engineering Services (Main/stage-II) Examination will consist two conventional type papers in Engineering Discipline specific with duration of three hours and maximum marks of 600 (300 Marks in each paper).

4.2 The Stage-III will consist of Personality Test carrying 200 Marks.

5.1 Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the Stage-I: Engineering Services (Preliminary/Stage-I) and Stage-II: Engineering Services (Main/Stage-II) Examination as may be fixed by the Commission as per its discretion, shall be summoned by them for Stage-III (Personality Test). The number of candidates to be summoned for Personality Test will be about twice the number of vacancies to be filled. The Personality Test will carry 200 marks (with no minimum qualifying marks).

5.2 Total marks obtained by the candidates in the Stage-I:(Preliminary/Stage-I) Examination, Stage-II:(Main/Stage-II) Examination and Stage-III (Personality Test) would determine their final ranking. Candidates will be allotted to the various services keeping in view their ranks in the examination and the preference expressed by them for the various services/posts.

6. Candidates are advised to read carefully special instructions to candidates for conventional type tests and objective type tests given in Appendix-III (Part A and Part B) including the procedure regarding filing in the Answer Sheet of objective type tests in the Examination Notice uploaded on the Commission's website (www.upsc.gov.in) on **26.09.2025**

7. In the Personality Test special attention will be paid to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.

8. Conventional papers must be answered in English. Question paper will be set in English only.

9. Details of the syllabi for Stage-I: (Preliminary/stage-I) and Stage-II :(Main/Stage-II) are at Section III.

Section-II

A. Stage-I(Preliminary/Stage-I) Examination :-

The Examination shall comprise of two papers.

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-I Civil Engineering		
Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude)	2 hrs.	200
Paper-II (Civil Engineering)	3 hrs.	300
Total		500

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-II Mechanical Engineering		
Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude)	2 hrs.	200
Paper-II (Mechanical Engineering)	3 hrs.	300
Total		500

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-III Electrical Engineering		
Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude)	2 hrs.	200
Paper-II (Electrical Engineering)	3 hrs.	300
Total		500

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-IV Electronics and Telecommunication Engineering		
Paper-I (General Studies and Engineering Aptitude)	2 hrs.	200
Paper-II (Electronics and Telecommunication Engineering)	3 hrs.	300
Total		500

(iii) Details of the syllabi are indicated in Section III.

B. Stage-II(Main/Stage-II) Examination:-

The Examination shall comprise of two papers.

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-I Civil Engineering		
Paper-I (Civil Engineering)	3 hrs.	300
Paper-II (Civil Engineering)	3 hrs.	300
Total		600

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-II Mechanical Engineering		
Paper-I (Mechanical Engineering)	3 hrs.	300
Paper-II (Mechanical Engineering)	3 hrs.	300
Total		600

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-III Electrical Engineering		
Paper-I (Electrical Engineering)	3 hrs.	300
Paper-II (Electrical Engineering)	3 hrs.	300
Total		600

Subject	Duration	Maximum Marks
Category-IV Electronics and Telecommunication Engineering		
Paper-I (Electronics and Telecommunication Engineering Rs.)	3 hrs.	300
Paper-II (Electronics and Telecommunication Engineering)	3 hrs.	300
Total		600

(C) **Stage-III(Personality Test) - 200 Marks.**

Note 1: Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, the Persons with Benchmark Disabilities in the categories of

Low Vision will be provided the facility of scribe, if desired by the person. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2(r) of RPwD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer, Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix-IV.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-VI.

Note 2: The candidates have discretion of opting for his/her own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Appendix-V (for Candidates having 40% disability or more) and Appendix-VII (for Candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing)

Note 3: The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

Note 4: The Persons with Benchmark Disabilities in the category of **Low Vision** will be eligible for Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, the facility will be provided on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix- IV.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-VI.

Note 5: The eligibility conditions of a scribe, his/her conduct inside the examination hall and the manner in which and extent to which he/she can help the Persons with Benchmark Disabilities(PwBD) candidates in writing the Engineering Services Examination shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the PwBD candidate in addition to any other action that the UPSC may take against the scribe.

2. The Commission have discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the papers of the examination.

3. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

4. Deduction upto five per cent of the maximum marks for the written papers will be made for illegible handwriting.

5. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the conventional papers of the examination.

6. In the question papers, wherever required, SI units will be used.

Note.—Candidates will be supplied with standard tables/charts in SI units in the Examination hall for reference purpose, wherever considered necessary.

7. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

8. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g., 1, 2, 3, 4, 5 etc.) while answering question papers.

Section-III

Standard and Syllabi

The standard of paper in General Studies and Engineering Aptitude (Preliminary/Stage-I Examination) will be such as may be expected of an Engineering/Science Graduate. The standard of papers in other subjects will approximately be that of an Engineering Degree Examination of an Indian University. There will be no practical examination in any of the subjects.

General Studies and Engineering Aptitude (Preliminary/Stage-I Examination, Paper I, Objective type, Common to all Candidates)

1. Current issues of national and international importance relating to social, economic and industrial development 2. Engineering Aptitude covering Logical reasoning and Analytical ability 3. Engineering Mathematics and Numerical Analysis 4. General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety 5. Standards and Quality practices in production, construction, maintenance and services 6. Basics of Energy and Environment: Conservation, environmental pollution and degradation, Climate Change, Environmental impact assessment 7. Basics of Project

Management 8. Basics of Material Science and Engineering 9. Information and Communication Technologies (ICT) based tools and their applications in Engineering such as networking, e-governance and technology based education.

10. Ethics and values in Engineering profession.

Note: The paper in General Studies and Engineering Aptitude will include Knowledge of relevant topics as may be expected from an engineering graduate, without special study. Questions from all the 10 topics mentioned above shall be set. Marks for each Topic may range from 5% to 15% of the total marks in the paper.

Civil Engineering

Contents for syllabi of both the Papers together for Preliminary/Stage-I Examination (objective type Paper–II) and separately for Main/Stage-II Examination (Conventional type Paper-I and Paper – II).

PAPER – I

1. Building Materials:
Stone, Lime, Glass, Plastics, Steel, FRP, Ceramics, Aluminum, Fly Ash, Basic Admixtures, Timber, Bricks and Aggregates: Classification, properties and selection criteria;

Cement: Types, Composition, Properties, Uses, Specifications and various Tests; Lime & Cement Mortars and Concrete: Properties and various Tests; Design of Concrete Mixes: Proportioning of aggregates and methods of mix design.

2. Solid Mechanics:
Elastic constants, Stress, plane stress, Strains, plane strain, Mohr's circle of stress and strain, Elastic theories of failure, Principal Stresses, Bending, Shear and Torsion.

3. Structural Analysis:
Basics of strength of materials, Types of stresses and strains, Bending moments and shear force, concept of bending and shear stresses; Analysis of determinate and indeterminate structures; Trusses, beams, plane frames; Rolling loads, Influence Lines, Unit load method & other methods; Free and Forced vibrations of single degree and multi degree freedom system; Suspended Cables; Concepts and use of Computer Aided Design.

4. Design of Steel Structures:
Principles of Working Stress methods, Design of tension and compression members, Design of beams and beam column connections, built-up sections, Girders, Industrial roofs, Principles of Ultimate load design.

5. Design of Concrete and Masonry structures:
Limit state design for bending, shear, axial compression and combined forces; Design of beams, Slabs, Lintels, Foundations, Retaining walls, Tanks, Staircases; Principles of pre-stressed concrete design including materials and methods; Earthquake resistant design of structures; Design of Masonry Structure.

6. Construction Practice, Planning and Management:
Construction - Planning, Equipment, Site investigation and Management including Estimation with latest project management tools and network analysis for different Types of works; Analysis of Rates of various types of works; Tendering Process and Contract Management, Quality Control, Productivity, Operation Cost; Land acquisition; Labour safety and welfare.

PAPER – II

1. Flow of Fluids, Hydraulic Machines and Hydro Power:

(a) Fluid Mechanics, Open Channel Flow, Pipe Flow:
Fluid properties; Dimensional Analysis and Modeling; Fluid dynamics including flow kinematics and measurements; Flow net; Viscosity, Boundary layer and control, Drag, Lift, Principles in open channel flow, Flow controls. Hydraulic jump; Surges; Pipe networks.

(b) Hydraulic Machines and Hydro power -
Various pumps, Air vessels, Hydraulic turbines – types, classifications & performance parameters; Power house – classification and layout, storage, pondage, control of supply.

2. Hydrology and Water Resources Engineering:
Hydrological cycle, Ground water hydrology, Well hydrology and related data analysis; Streams and their gauging; River morphology; Flood, drought and their management; Capacity of Reservoirs.Water Resources Engineering: Multipurpose uses of Water, River basins and their potential; Irrigation systems, water demand assessment; Resources - storages and their yields; Water logging, canal and drainage design, Gravity dams, falls, weirs, Energy dissipaters, barrage Distribution works, Cross drainage works and head-works and their design; Concepts in canal design, construction & maintenance; River training, measurement and analysis of rainfall.

3. Environmental Engineering:
(a) Water Supply Engineering:
Sources, Estimation, quality standards and testing of water and their treatment; Rural, Institutional and industrial water supply; Physical, chemical and biological characteristics and sources of water, Pollutants in water and its effects, Estimation of water demand; Drinking water Standards, Water Treatment Plants, Water distribution networks.

(b) Waste Water Engineering:
Planning & design of domestic waste water, sewage collection and disposal; Plumbing Systems. Components and layout of sewerage system; Planning & design of Domestic Waste-water disposal system; Sludge management including treatment, disposal and re-use of treated effluents; Industrial waste waters and Effluent Treatment Plants including institutional and industrial sewage management.

(c) Solid Waste Management:
Sources & classification of solid wastes along with planning & design of its management system; Disposal system, Beneficial aspects of wastes and Utilization by Civil Engineers.

(d) Air, Noise pollution and Ecology:
Concepts & general methodology.

4. Geo-technical Engineering and Foundation Engineering :
(a) Geo-technical Engineering: Soil exploration - planning & methods, Properties of soil, classification, various tests and inter-relationships; Permeability & Seepage, Compressibility, consolidation and Shearing resistance, Earth pressure theories and stress distribution in soil; Properties and uses of geo-synthetics.

(b) Foundation Engineering: Types of foundations & selection criteria, bearing capacity, settlement analysis, design and testing of shallow & deep foundations; Slope stability analysis, Earthen embankments, Dams and Earth retaining structures: types, analysis and design, Principles of ground modifications.

5. Surveying and Geology:

(a) **Surveying:** Classification of surveys, various methodologies, instruments & analysis of measurement of distances, elevation and directions; Field astronomy, Global Positioning System; Map preparation; Photogrammetry; Remote sensing concepts; Survey Layout for culverts, canals, bridges, road/railway alignment and buildings, Setting out of Curves.

(b) **Geology:** Basic knowledge of Engineering geology & its application in projects.

6. Transportation Engineering:

Highways - Planning & construction methodology, Alignment and geometric design; Traffic Surveys and Controls; Principles of Flexible and Rigid pavements design.

Tunneling - Alignment, methods of construction, disposal of muck, drainage, lighting and ventilation. **Railways Systems –** Terminology, Planning, designs and maintenance practices; trackmodernization. **Harbours –** Terminology, layouts and planning. **Airports –** Layout, planning & design.

Mechanical Engineering

Contents for syllabi of both the Papers together for Preliminary/Stage-I Examination (objective type Paper–II) and separately for Main/Stage-II Examination (Conventional type Paper-I and Paper – II).

PAPER – I

1. Fluid Mechanics:

Basic Concepts and Properties of Fluids, Manometry, Fluid Statics, Buoyancy, Equations of Motion, Bernoulli's equation and applications, Viscous flow of incompressible fluids, Laminar and Turbulent flows, Flow through pipes and head losses in pipes.

2. Thermodynamics and Heat transfer:

Thermodynamic systems and processes; properties of pure substance; Zeroth, First and Second Laws of Thermodynamics; Entropy, Irreversibility and availability; analysis of thermodynamic cycles related to energy conversion: Rankine, Otto, Diesel and Dual Cycles; ideal and real gases; compressibility factor; Gas mixtures.

Modes of heat transfer, Steady and unsteady heat conduction, Thermal resistance, Fins, Free and forced convection, Correlations for convective heat transfer, Radiative heat transfer – Radiation heat transfer co-efficient; boiling and condensation, Heat exchanger performance analysis.

3. IC Engines, Refrigeration and Air conditioning:

SI and CI Engines, Engine Systems and Components, Performance characteristics and testing of IC Engines; Fuels; Emissions and Emission Control. Vapour compression refrigeration, Refrigerants and Working cycles, Compressors, Condensers, Evaporators and Expansion devices, Other types of refrigeration systems like Vapour Absorption, Vapour jet, thermo electric and Vortex tube refrigeration. Psychometric properties and processes, Comfort chart, Comfort and industrial air conditioning, Load calculations and Heat pumps.

4. Turbo Machinery:

Reciprocating and Rotary pumps, Pelton wheel, Kaplan and Francis Turbines, velocity diagrams, Impulse and Reaction principles, Steam and Gas Turbines, Theory of Jet Propulsion – Pulse jet and Ram Jet Engines, Reciprocating and Rotary Compressors – Theory and Applications

5. Power Plant Engineering:

Rankine and Brayton cycles with regeneration and reheat, Fuels and their properties, Flue gas analysis, Boilers, steam turbines and other power plant components like condensers, air ejectors, electrostatic precipitators and cooling towers – their theory and design, types and applications;

6. Renewable Sources of Energy:
Solar Radiation, Solar Thermal Energy collection - Flat Plate and focusing collectors their materials and performance. Solar Thermal Energy Storage, Applications – heating, cooling and Power Generation; Solar Photovoltaic Conversion; Harnessing of Wind Energy, Bio-mass and Tidal Energy – Methods and Applications, Working principles of Fuel Cells.

PAPER – II

1. Engineering Mechanics:
Analysis of System of Forces, Friction, Centroid and Centre of Gravity, Dynamics; Stresses and Strains- Compound Stresses and Strains, Bending Moment and Shear Force Diagrams, Theory of Bending Stresses- Slope and deflection- Torsion, Thin and thick Cylinders, Spheres.

2. Engineering Materials:
Basic Crystallography, Alloys and Phase diagrams, Heat Treatment, Ferrous and Non Ferrous Metals, Non metallic materials, Basics of Nano-materials, Mechanical Properties and Testing, Corrosion prevention and control

3. Mechanisms and Machines:
Types of Kinematics Pair, Mobility, Inversions, Kinematic Analysis, Velocity and Acceleration Analysis of Planar Mechanisms, CAMs with uniform acceleration and retardation, cycloidal motion, oscillating followers; Vibrations – Free and forced vibration of undamped and damped SDOF systems, Transmissibility Ratio, Vibration Isolation, Critical Speed of Shafts. Gears – Geometry of tooth profiles, Law of gearing, Involute profile, Interference, Helical, Spiral and Worm Gears, Gear Trains- Simple, compound and Epicyclic; Dynamic Analysis – Slider – crank mechanisms, turning moment computations, balancing of Revolving & Reciprocating masses, Gyroscopes –Effect of Gyroscopic couple on automobiles, ships and aircrafts, Governors.

4. Design of Machine Elements:
Design for static and dynamic loading; failure theories; fatigue strength and the S-N diagram; principles of the design of machine elements such as riveted, welded and bolted joints. Shafts, Spur gears, rolling and sliding contact bearings, Brakes and clutches, flywheels.

5. Manufacturing, Industrial and Maintenance Engineering:
Metal casting-Metal forming, Metal Joining, Machining and machine tool operations, Limits, fits and tolerances, Metrology and inspection, computer Integrated manufacturing, FMS, Production planning and Control, Inventory control and operations research - CPM-PERT. Failure concepts and characteristics-Reliability, Failure analysis, Machine Vibration, Data acquisition, Fault Detection, Vibration Monitoring, Field Balancing of Rotors, Noise Monitoring, Wear and Debris Analysis, Signature Analysis, NDT Techniques in Condition Monitoring.

6. Mechatronics and Robotics:
Microprocessors and Microcontrollers: Architecture, programming, I/O, Computer interfacing, Programmable logic controller. Sensors and actuators, Piezoelectric accelerometer, Hall effect sensor, Optical Encoder, Resolver, Inductosyn, Pneumatic and Hydraulic actuators, stepper motor, Control Systems- Mathematical modeling of Physical systems, control signals, controllability and observability. Robotics, Robot Classification, Robot Specification, notation; Direct and Inverse Kinematics; Homogeneous Coordinates and Arm Equation of four Axis SCARA Robot.

Electrical Engineering

Contents for syllabi of both the Papers together for Preliminary/Stage-I Examination (objective type Paper–II) and separately for Main/Stage-II Examination (Conventional type Paper-I and Paper – II).

PAPER – I

1. **Engineering Mathematics**

Matrix theory, Eigen values & Eigen vectors, system of linear equations, Numerical methods for solution of non- linear algebraic equations and differential equations, integral calculus, partial derivatives, maxima and minima, Line, Surface and Volume Integrals. Fourier series, linear, non-linear and partial differential equations, initial and boundary value problems, complex variables, Taylor's and Laurent's series, residue theorem, probability and statistics fundamentals, Sampling theorem, random variables, Normal and Poisson distributions, correlation and regression analysis.

2. Electrical Materials

Electrical Engineering Materials, crystal structures and defects, ceramic materials, insulating materials, magnetic materials – basics, properties and applications; ferrities, ferro-magnetic materials and components; basics of solid state physics, conductors; Photo-conductivity; Basics of Nano materials and Superconductors.

3. Electric Circuits and Fields

Circuit elements, network graph, KCL, KVL, Node and Mesh analysis, ideal current and voltage sources, Thevenin's, Norton's, Superposition and Maximum Power Transfer theorems, transient response of DC and AC networks, Sinusoidal steady state analysis, basic filter concepts, two-port networks, three phase circuits, Magnetically coupled circuits, Gauss Theorem, electric field and potential due to point, line, plane and spherical charge distributions, Ampere's and Biot-Savart's laws; inductance, dielectrics, capacitance; Maxwell's equations.

4. Electrical and Electronic Measurements:

Principles of measurement, accuracy, precision and standards; Bridges and potentiometers; moving coil, moving iron, dynamometer and induction type instruments, measurement of voltage, current, power, energy and power factor, instrument transformers, digital voltmeters and multi-meters, phase, time and frequency measurement, Q-meters, oscilloscopes, potentiometric recorders, error analysis, Basics of sensors, Transducers, basics of data acquisition systems

5. Computer Fundamentals:

Number systems, Boolean algebra, arithmetic functions, Basic Architecture, Central Processing Unit, I/O and Memory Organisation; peripheral devices, data represenation and programming, basics of Operating system and networking, virtual memory, file systems; Elements of programming languages, typical examples.

6. Basic Electronics Engineering:

Basics of Semiconductor diodes and transistors and characteristics, Junction and field effect transistors (BJT, FET and MOSFETS), different types of transistor amplifiers, equivalent circuits and frequency response; oscillators and other circuits, feedback amplifiers.

PAPER – II

1. Analog and Digital Electronics:

Operational amplifiers – characteristics and applications, combinational and sequential logic circuits, multiplexers, multi-vibrators, sample and hold circuits, A/D and D/A converters, basics of filter circuits and applications, simple active filters; Microprocessor basics- interfaces and applications, basics of linear integrated circuits; Analog communication basics, Modulation and de-modulation, noise and bandwidth, transmitters and receivers, signal to noise ratio, digital communication basics, sampling, quantizing, coding, frequency and time domain multiplexing, power line carrier communication systems.

2. Systems and Signal Processing :

Representation of continuous and discrete-time signals, shifting and scaling operations, linear, time-invariant and causal systems, Fourier series representation of continuous periodic signals, sampling theorem, Fourier and

Laplace transforms, Z transforms, Discrete Fourier transform, FFT, linear convolution, discrete cosine transform, FIR filter, IIR filter, bilinear transformation.

3. Control Systems:

Principles of feedback, transfer function, block diagrams and signal flow graphs, steady-state errors, transforms and their applications; Routh-hurwitz criterion, Nyquist techniques, Bode plots, root loci, lag, lead and lead-lag compensation, stability analysis, transient and frequency response analysis, state space model, state transition matrix, controllability and observability, linear state variable feedback, PID and industrial controllers.

4. Electrical Machines :

Single phase transformers, three phase transformers - connections, parallel operation, auto-transformer, energy conversion principles, DC machines - types, windings, generator characteristics, armature reaction and commutation, starting and speed control of motors, Induction motors - principles, types, performance characteristics, starting and speed control, Synchronous machines - performance, regulation, parallel operation of generators, motor starting, characteristics and applications, servo and stepper motors.

5. Power Systems :

Basic power generation concepts, steam, gas and water turbines, transmission line models and performance, cable performance, insulation, corona and radio interference, power factor correction, symmetrical components, fault analysis, principles of protection systems, basics of solid state relays and digital protection; Circuit breakers, Radial and ring-main distribution systems, Matrix representation of power systems, load flow analysis, voltage control and economic operation, System stability concepts, Swing curves and equal area criterion. HVDC transmission and FACTS concepts, Concepts of power system dynamics, distributed generation, solar and wind power, smart grid concepts, environmental implications, fundamentals of power economics.

6. Power Electronics and Drives :

Semiconductor power diodes, transistors, thyristors, triacs, GTOs, MOSFETs and IGBTs - static characteristics and principles of operation, triggering circuits, phase control rectifiers, bridge converters - fully controlled and half controlled, principles of choppers and inverters, basis concepts of adjustable speed DC and AC drives, DC-DC switched mode converters, DC-AC switched mode converters, resonant converters, high frequency inductors and transformers, power supplies.

Electronics & Telecommunication Engineering

Contents for syllabi of both the Papers together for Preliminary/Stage-I Examination (objective type Paper–II) and separately for Main/Stage-II Examination (Conventional type Paper-I and Paper – II).

PAPER – I

1. Basic Electronics Engineering:

Basics of semiconductors; Diode/Transistor basics and characteristics; Diodes for different uses; Junction & Field Effect Transistors (BJTs, JFETs, MOSFETs); Transistor amplifiers of different types, oscillators and other circuits; Basics of Integrated Circuits (ICs); Bipolar, MOS and CMOS ICs; Basics of linear ICs, operational amplifiers and their applications-linear/non-linear; Optical sources/detectors; Basics of Opto electronics and its applications.

2. Basic Electrical Engineering:

DC circuits-Ohm's & Kirchoff's laws, mesh and nodal analysis, circuit theorems; Electro-magnetism, Faraday's & Lenz's laws, induced EMF and its uses; Single-phase AC circuits; Transformers, efficiency; Basics-DC machines**,** induction machines, and synchronous machines; Electrical power sources- basics: hydroelectric, thermal, nuclear, wind, solar; Basics of batteries and their uses.

3. Materials Science:

Electrical Engineering materials; Crystal structure & defects; Ceramic materials-structures, composites, processing and uses; Insulating laminates for electronics, structures, properties and uses; Magnetic materials, basics, classification, ferrites, ferro/para-magnetic materials and components; Nano materials-basics, preparation, purification, sintering, nano particles and uses; Nano-optical/magnetic/electronic materials and uses; Superconductivity, uses.

4. Electronic Measurements and Instrumentation:

Principles of measurement, accuracy, precision and standards; Analog and Digital systems for measurement, measuring instruments for different applications; Static/dynamic characteristics of measurement systems, errors,

statistical analysis and curve fitting; Measurement systems for non-electrical quantities; Basics of telemetry; Different types of transducers and displays; Data acquisition system basics.

5. Network Theory:
Network graphs & matrices; Wye-Delta transformation; Linear constant coefficient differential equations- time domain analysis of RLC circuits;

Solution of network equations using Laplace transforms- frequency domain analysis of RLC circuits; 2-port network parameters-driving point & transfer functions; State equations for networks; Steady state sinusoidal analysis.

6. Analog and Digital Circuits:
Small signal equivalent circuits of diodes, BJTS and FETs; Diode circuits for different uses; Biasing & stability of BJT & JFET amplifier circuits; Analysis/design of amplifier- single/multi-stage; Feedback& uses; Active filters, timers, multipliers, wave shaping, A/D-D/A converters; Boolean Algebra& uses; Logic gates, Digital IC families, Combinatorial/sequential circuits; Basics of multiplexers, counters/registers/ memories /microprocessors, design& applications.

PAPER – II

1. Analog and Digital Communication Systems:
Random signals, noise, probability theory, information theory; Analog versus digital communication & applications: Systems- AM, FM, transmitters/receivers, theory/practice/ standards, SNR comparison; Digital communication basics: Sampling, quantizing, coding, PCM, DPCM, multiplexing-audio/video; Digital modulation: ASK, FSK, PSK; Multiple access: TDMA, FDMA, CDMA; Optical communication: fibre optics, theory, practice/standards.

2. Control Systems:
Classification of signals and systems; Application of signal and system theory; System realization; Transforms& their applications; Signal flow graphs, Routh-Hurwitz criteria, root loci, Nyquist/Bode plots; Feedback systems-open &close loop types, stability analysis, steady state, transient and frequency response analysis; Design of control systems, compensators, elements of lead/lag compensation, PID and industrial controllers.

3. **Computer Organization and Architecture:**
Basic architecture, CPU, I/O organisation, memory organisation, peripheral devices, trends; Hardware /software issues; Data representation& Programming; Operating systems-basics, processes, characteristics, applications; Memory management, virtual memory, file systems, protection & security; Data bases, different types, characteristics and design; Transactions and concurrency control; Elements of programming languages, typical examples.

4. Electro Magnetics:
Elements of vector calculus, Maxwell's equations-basic concepts; Gauss', Stokes' theorems; Wave propagation through different media; Transmission Lines-different types, basics, Smith's chart, impedance matching/transformation, S-parameters, pulse excitation, uses; Waveguides-basics, rectangular types, modes, cut-off frequency, dispersion, dielectric types; Antennas-radiation pattern, monopoles/dipoles, gain, arrays-active/passive, theory, uses.

5. **Advanced Electronics Topics:**
VLSI technology: Processing, lithography, interconnects, packaging, testing; VLSI design: Principles, MUX/ROM/PLA-based design, Moore & Mealy circuit design; Pipeline concepts & functions; Design for testability, examples; DSP: Discrete time signals/systems, uses; Digital filters: FIR/IIR types, design, speech/audio/radar signal processing uses; Microprocessors & microcontrollers, basics, interrupts, DMA, instruction sets, interfacing; Controllers & uses; Embedded systems.

6. Advanced Communication Topics:
Communication networks: Principles /practices /technologies /uses /OSI model/security; Basic packet multiplexed streams/scheduling; Cellular networks, types, analysis, protocols (TCP/TCPIP); Microwave & satellite communication: Terrestrial/space type LOS systems, block schematics link calculations, system design;

Communication satellites, orbits, characteristics, systems, uses; Fibre-optic communication systems, block schematics, link calculations, system design.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard, the regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared Fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

All kinds of notices and information relating to the medical examination of the Transgender candidates including the medical parameters for Transgender candidates for various service(s) would be posted on the dedicated web page of the Ministry of Communications, Department of Telecommunications before the commencement of the medical examination of Engineering Services Examination- **2026** after due consultation with all the concerned nodal authorities and all the Cadre Controlling Authorities of the participating service (s) in Engineering Services Examination .

Note : The Medical Board while conducting medical examination of the candidates who have applied against the posts reserved for physically handicapped category will keep in view the relevant provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 wherein the extent of permissible disability has been defined.

2. (a) The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

(b) To be passed as fit for appointment, a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties on his/her appointment.

3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-

Indian) race, it is left to the Medical Board to use whether correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be Hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

(b) However, for certain Services the Minimum standards for height without which candidate cannot be accepted are as follows :—

Name of Services	Gender	Height
Central Engineering Service Group A, CES (Roads), Central Electrical & Mechanical Engineering Service Group A in the CPWD, Military Engineer Services (IDSE), CWES, BRES Gr. "A" in Border Roads Organisation, Indian Skill Development Service (ISDS), IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication)	For male candidates	152 cm
	For female candidates	150 cm

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidate belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes, etc. whose average height is distinctly lower.

(a) For all services Chest expansion should be minimum 5 cm. Absolute values of measurement during inspiration and expiration should not be adhered to for disqualification.

4. The candidate's height will be measured as follows:—

He/ She will remove his/ her shoes and be placed against the standard with his/ her feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet, he/ she will stand erect without rigidly and with the heels, caves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be repressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetres to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :—

He/ She will be made to stand erect with his feet together and to raise his/ her arms over his/ her head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulders blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 83—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fraction of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighted and his weight recorded in kilograms—fraction of a Kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded:-

(i) **General**.—The candidate's eyes will be subjected to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he/ she suffers from any morbid conditions of eye, eyelids or contiguous structure of such a sort as to render or are likely at future date to render him/ her unfit for service.

(ii) **Visual Acuity**.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests—one for distant the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for maximum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the conditions of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows:—

Service	Distant Vision		Near Vision	
	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Technical				
1. Central Engineering Service Group A, Central Electrical and Mechanical Engineering Service Group A, Central Water Engineering Service Group A, Central Power Engineering Service Group A , Central Engineering Service (Roads) Group A, Indian Radio Regulatory Service, Group A, Indian Telecommunications Service Gr. "A", J.T.O. Gr. B, Indian Naval Armament Service, Indian Naval Material Management Service, Survey of India Gr. 'A' Service, Defence Aeronautical Quality Assurance Service,	6/6 or 6/9	6/12 or 6/9	J/I	J/II

Indian Skill Development Service, Indian Enterprises Development Service, IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal &Telecommunication)				
2. Assistant Executive Engineer (Group A) in the Corps of EME Military Engineer Service Group A. (IDSE), AEE(QS&C) in MES Surveyor Cadre, BRES Group A in Border Roads Organisation.	6/6 or 6/9	6/18 or 6/9	J/I	J/II
B. Non-Technical				
3. Geological Survey of India Engineering Service Group. 'A' 4. IRMS (Stores)	6/9	6/12	J/I	J/II

NOTE (1) :

(a)In respect of the Technical Service mentioned at A above, the total amount of myopia (including the cylinder and spherical) shall not exceed 6D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed 4D. For

Myopia more than 6 dioptres (including cylinder and spherical) and Hypermetropia more than 4 dioptres candidate is unfit for all technical services. However, after special Medical Board, candidate may be considered fit for non- technical services, if no degenerative changes involving macular region are found by the Myopia Board.

Provided that in case a candidate in respect of the Services classified as "Technical" is found unfit on grounds of high myopia the matter shall be referred to a special boards of three Opthalmologists to declare whether this myopia is Pathological or not. In case it is not pathological the candidate shall be declared fit for non-technical services provided he/ she fulfills the visual requirements otherwise.

(b) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of any pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/ she shall be declared unfit.

(c) Intra Ocular Lenses (IOL) and Implanted Contact Lenses(ICL) shall be considered as disqualification for all categories. However, Radial Keratotomy/Laser Correction (Lasik) may be permitted for all categories if on Pachymetry, remaining bed of cornea should not be less than 425 micron (including flap) and surgery should be at least 1 year old subject to examination of retina by Special Opthalmic Board(SOB).

d) The power of spectacles as mentioned in sub-para 1(a) above may not be required for IRRS Cadre, provided the "Visual Acuity" requirement, as mentioned sub-para 7(ii) above is met by the candidate.

NOTE (2) : The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned at A above.

Colour perception should be graded into higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of colour perception	Lower Grade of colour perception
1. Distance between the lamp and the candidate	16 feet	16 feet
2.Size of aperture	1.3 mm	13 mm
3.Time of exposure	5 seconds	5 seconds

For the Services and other service connected with the safety of the public, Higher grade of colour vision is essential but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

The categories of Services/posts which require higher or lower grade colour perception are as indicated below :—

Technical Services or posts requiring higher grade colour Perception :—

(i) Indian Defence Service of Engineer (IDSE).

(ii) Central Engineering Service (Roads).

(iii) Central Power Engineering Service. (Gr. 'A')

(iv) Assistant Executive Engineer (Group 'A') in the Corps of EME.

(v) BRES Group 'A' in Border Roads Organisation.

(vi) Survey of India, Group 'A' Service.

(vii) Assistant Executive Engineer(QS&C) in Military Engineer Service(MES) Cadre.

(viii) Indian Enterprises Development Service.

(ix) IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal &Telecommunication), Group 'A'.

(x) Assistant Executive Engineer (Group 'A') in the Corps of EME.

Technical Services or posts requiring lower grade colour perception :—

(i) Central Engineering Service.

(ii) Central Electrical and Mechanical Engineering Service.

(iii) Indian Naval Armament Service.

(iv) Indian Naval Material Management Service

(v) Central Water Engineering Service.

(vi) Indian Radio Regulatory Service Group 'A'.

(vii) Geological Survey of India Engineering Service Group. 'A'.

(viii) Defence Aeronautical Quality Assurance Service(DAQAS).

(ix) Indian Skill Development Service.

Services for which colour perception is not required:-

(i) Indian Telecommunicaiton Service Group 'A'.

(ii) Junior Telecom Officer (General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-ministrial)

(iii) IRMS (Stores), Group 'A'

Satisfactory colour vision constitutes, recognition with case and without hesitation of Red, Green and Yellow colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for resting colour vision. Both the Ishihara's plates and Edrige Green's lantern shall be used for testing colour vision of candidates for appointment to the technical services.

NOTE (3): Field of vision—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (4) : For Night Blindness—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he has been therefore 20 to 30 minutes. Candidates own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

NOTE (5): For Central Engineering Services/CES (Roads)—Candidates may be required to pass the colour vision test and undergo test for night blindness when considered necessary by the Medical Board. For Survey of India Group 'A' service the candidate may be required to pass a 'steroscopic fusion' test.

NOTE (6): Ocular conditions, other than visual acuity :—

(a) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity, should be considered as a disqualification.

(b) Squint with absent binocularity is unfit for all technical services. May be considered fit only for non- technical services. Squint with present binocularity is fit for all services.

(c) Candidates with one eye are unfit for all technical services and fit only for non-technical services subject to other parameters being in the normal range.

NOTE (7) :— Contact lenses—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed.

NOTE (8) :— It is necessary that when considering eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot candles.

NOTE (9) :—It shall be open to Government to relax anyone of the condition in favour of any candidate for special reasons.

8. Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal, maximum, systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus age.

(ii) With subject over 25 years of age general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—1. As a general rule any systolic prescription 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as routine. Candidate with hypertension (if diagnosed by the Medical Board) should be declared permanent unfit.

2. Method of taking Blood Pressure (II)

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement. Provided the patient and particularly his/ her arm is relaxed, he/ she may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be free from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to above 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stand when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the column well heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Re-checking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflection or the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure, falls and

Reappear at a still lower level. This "Silent Gap" may cause error in reading.)

9. Diabetes Mellitus

The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. When a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the Glycosuria the Board finds the candidates conforms to the standards of medical

fitness required they may pass the candidate fit subject to the Glycosuria 'being non-diabetic' and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will use its final opinion fit or unfit. The candidates will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain candidate for several days in hospital under strict supervision. Candidates with Diabetes Mellitus(if diagnosed by the Medical Board) should be declared permanent unfit.

10. A women candidate who as a result of test is found to be pregnant should be declared temporary unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed:—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on the account provided he/ she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of the Military Engineer Services, Central Engineering Service Group A, Central Engineering Service (Roads), Central Electrical Engineering Service Group 'A' and Border Roads Engineering Service Group 'A'. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1	2	3
(1)	Marked for total deafness in one ears other being normal.	Fit for non-technical job if the deafness is up to 30 decibels in higher frequency.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing Aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upon 30 decibels in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic membranes of Central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other Perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit. (ii) Since, all marginal/attic perforations are unsafe, they are temporarily unfit whether present in one or both ears. Post-surgery patient can be made fit only if both ears have hearing of 30 decibels or better. (iii) Central perforation both ears – Temporarily unfit.
(4)	Ears with mastoid cavity sub-normal hearing on one side/on both sides.	(b) (i)Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity—fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid Cavity is temporarily unfit whether present in one or both ears. Post-surgery, patient can be made fit only if both ears have hearing of 30 decibels or better.
(5)	Persistently discharging ear operated/un-operated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs
(6)	Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstance of individual cases. If deviated nasal septum is present with Symptoms Temporarily Unfit.

(7)	Chronic inflammatory/condition of tonsils and/or Larynix.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynix- Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then temporarily Unfit.
(8)	Benign or locally malignant tumours of E.N.T.	(i) Benign tumours also need treatment and this treatment has its own failure and complications, including death. Hence, all benign tumours are temporarily unfit and can only be fit after successful treatment/surgery. (ii) Malignant Tumours – Unfit
(9)	Otosclerosis.of hearing aid Fit.	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help help of hearing aid Fit.
(10)	Congenital defects of ear, nose or throat.	If non-interfering with functions fit. (i) Stuttering of severe degree-Unfit.

(11) Nasal Poly - Nasal Polyps also need treatment and this treatment has its own failure and complications. Hence, all Nasal Polyps are temporarily unfit and can only be made fit after successful treatment/surgery.

(b)that his/her speech is without impediment;

(c)that his/her teeth are in good order and he/she is provided with dentures where necessary for effective metication (well filled teeth) will be considered as sound;

(d)that the chest is well formed and his chest expansion is sufficient and that his/ her heart and lungs are sound;

(e)that there is no evidence of any abdominal diseases;

(f)that he/ she is not raptured;

(g)that he/ she does not suffer from hydrocele, varicose, veins or piles. To be declared 'Temporarily unfit' and fit only after successful surgery.

(h)that his/ her limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints. However, candidate may be considered fit for all services if condition is not degenerative and there are no associated secondary deformities

(i)that he/ she does not suffer from any invertebrate skin disease;

(j)that there is no congenital malformation or defect;

(k)that he/ she does not bear traces of acute chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l)that he/ she bears marks of efficient vaccination; and

(m)that he/ she is free from communicable disease.

(n)Grade-I Haemorrhoids should be declared 'Fit.

(o)Agenesis or absence of both testes is permanent unfit. In case of single impalpable testes – it is impossible on routine examination to differentiate between agenesis of testes and impalpable undescended testes. Undescended testes is temporarily unfit till after its surgical removal or repositioning in a visible/normal position. Agenesis may be declared fit but the onus of proof that it is a case of agenesis and not undescended testes lies with the candidate.

(p)All candidates having transplanted organs should be declared 'Unfit'.

(q)All candidates with malignancies detected at the time of entry into service should be declared 'Unfit'.

(r)Morbid obesity is a diseased state. It limits the ability of the persons to perform and is an independent risk factor for Index)various other diseases These candidates are 'Temporarily Unfit' and can become 'fit' if they achieve BMI(Body Mass Index)<35 without resorting to surgical or interventional therapies. This is because, such therapies have several long term complications of their own. Temporarily unfit in BMI>35. May be declared 'Fit' if BMI improves to <35 within stipulated time for appeal. Permanently unfit if BMI corrected by any surgery or interventional procedure.

(s)History and evidence of organ donation is not in itself a reason to declare a candidate unfit if he/she is in otherwise normal state of health.

12. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the concerned Engineering Services Examination.

The decision or the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

13. In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberration; the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist etc.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not, it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

14. The Candidates who desire to file an appeal against the decision of the Medical Board are required to deposit an appeal fee of Rs. 100 in such a manner as may be prescribed by the Government of India, Ministry of Communications, Department of Telecommunications in this behalf. This fee will be refundable only to those candidates who are declared fit by the Appellate Medical Board whereas in the case of others it will be forfeited. Along with, appeal the candidates must, submit a medical certificate by a registered doctor specifically mentioning that he/ she is aware of the candidate having been declared unfit by a Medical Board. The medical fitness certificate submitted by a candidate is only a prerequisite for appealing against the findings of the First Medical Board. Candidates must have a copy of this certificate when, they present themselves before the Medical Board. The appeals should be submitted within 7 working days from the date of communication(Email) in which the decision of the first Medical Board is conveyed to the candidate; otherwise request for medical examination by an appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board will be arranged only a candidate's own cost. No travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination of the Appellate Medical Board. Necessary action to arrange medical examination by the Appellate Medical Board will be taken by the Ministry of Communications, Department of Telecommunications on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee within the stipulated time.

15. The decision of the Appellate Medical Board will be final and no appeal shall be against the same.

MEDICAL BOARD'S REPORT

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner:

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance of the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy.

Government or the appointing authority as the case may be that he has no disease, constitutional affliction, or bodily infirmity, unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payment in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the ground for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board. Please note that detailed reasons for medical unfitness will not be put on public domain whereas the individual concerned will be informed the reasons. However, status of the medical examination as Fit/Unfit/Partially Unfit/Temporarily Unfit will be uploaded on the official website of the Ministry of Communications, Department of Telecommunications Services updates.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates

should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

It may be noted that a candidate when suffering from a curable disease, can be declared temporarily unfit by the first Medical Board only. The Medical re-examination shall be deemed to be part of the 1st Medical Examination and candidates may, if they desire, appeal against its decision. The appellate Medical Board has to come to a final decision and state clearly whether a candidate is fit or unfit, a candidate cannot be declared temporarily unfit on the basis of the appellate medical examination.

MEDICAL BOARD REPORT FORMAT
(To be filled in triplicate)
For ESE 2026
DoT may change format at its own discretion in accordance with notified medical regulations in ESE Rules)

Photograph with Roll No., Rank & discp. witten on the

back

Roll No……..

Engg Discp .....

Rank No. ……...

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the Statement required below in his/her own hand writing prior to his/her Medical Examination and must sign the declaration 'appended thereto'. Their attention is specially directed to the warning contained in the Para 08 below :—

1Name in full (in block letters) : _____ Sex Male/ Female

2.(a) State your age and birth place

Age Date of Birth Place of Birth

.....

2. (b) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the tribe race:.....

.....

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any fever, enlargement or suppuration of glands, spitting

of Blood asthma, heart diseases, lung disease, fainting attacks, rheumatism appendicitis:

.....

or

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment:

.....

(c) Whether underwent any eye Surgery (Radial Keratotomy/Lasik/Excimer etc.) at any time. If yes, details thereof:

.....

(d) (i) Whether PH candidate - Yes/No

(ii) Sub-category of disability - LV ☐ OA ☐ OL ☐ Hard Hearing/PD ☐ id Attack Victim ☐ Leprosy Cured ☐ Dwarfism ☐ Muscular Dystrophy ☐ Specific Learning Disability ☐ Mental Illness ☐

(P lease refer to Annexure-I of ESE Rules,**2026**)

4. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other causes?

.....

.....

5. Have you been allotted to any service/posts on the basis of previous years exams? If yes, give details thereof

.....

Have you joined the said service/post.....?

6. Furnish the following particulars concerning your family :

Father's age if living and state of health	Father's age at death and causes of death	No. of brothers living, their ages & state of health	No. of brothers dead, their ages & cause of death	Mother's age if living & state of health	Mother's age at death & cause of Death	No. of sisters living, their ages & state of health	No. of sisters dead, their ages & cause of death
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Present Address

.....

Mobile No. ……. …….. E-Mail I.D.

…….

Identification marks

……..

7. Details of medical examination conducted before, if any :-

(a) Place and Date of Medical Board. .

…….

. …….

(b) Service(s)/Post(s) for which examined and year of Examination
……

……

(c) Result of Medical Board Examination, if communicated or known
……

……

8. All the above answers are to the best of my knowledge & belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me or suppression of relevant material information. The furnishing of false information of suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. I am fully aware of the provisions of ESE- **2026** Rules. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature Signed in my presence

Signature of the Chairman
of the Board with

date and stamp of the Board

(b) Report of the Medical Board on (name of candidate)

…….. Physical Examination

1. **BMI(BMI>35 Temporarily Unfit)**

…….

Height (without shoes)

…….. **(M-152 cm & F-150cm)**

Temperature

…….

Girth of Chest:-

(i) (After full inspiration)

…….

(ii) (After full expiration)

…….

(iii) Expansion ((i) –(ii))

…….

(**Pl tick ☐ <5 c.m☐ >=5 c.m. both M&F candidates)<5 cm**

(Unfit)

(M= Male, F= Female)

2. Skin – any obvious disease

3 Eyes

.i Any disease ……...

ii. Night Blindness ……...

iii. Colour Vision ……...

a) Ishihara ……...

b) EGL 1.3 mm ……...

c) EGL 13 mm ……...

iv Field of vision ……...

v Binocular vision ……...

vi Visual acuity ……...

d) vii Fundus Examination ……...

Visual Acuity

Acuity of Vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses		
			Spherical	Cylindrical	Axis
Distant Vision					
R.E.					
L.E.					
Near Vision					
R.E.					
L.E.					
Hypermetropia					
(Manifest)					
R.E.					
L.E.					

In case of colour blindness, please state clearly whether the candidate is fit for services requiring High Grade Colour perception/Low Grade perception or totally colour blind as per Enclosure-I.

4. Ears: Inspection.....

Hearing: ..... Right Ear.....

Left Ear.....

5. Glands.....Thyroid.....

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory System: Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?

.....

If yes, explain fully.....

8. Circulatory system :

(a) Heart: Any organic lesions? Rate Standing.....

After hopping 25 times.....

Two minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure: Systolic.....

Diastolic.....

9. Abdomen :

Girth.....

.....

Tenderness.....

....

Hernia……..

(a) Palpable: Liver..... Spleen.....

Kidneys..... Tumors.....

(b) Haemorhoids…….....

Fistula.....

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities .....
.....

11. Loco-Motor System: Any abnormality.....

12. (A) Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc. Urine analysis :

(a) Physical Appearance.....

(b) Sp. Gravity.. .....

(c) Albumin.....

(d) Sugar.....

(e) Casts.....

(f) Cells.....

12. (B) Report of X-ray examination of chest .....

12(C) Details of *Gynae Examination (for female candidates only) ……

…….. Signature of Lady Doctor

13. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Service for which he is a candidate?

.....

.....

**NOTE : ***In the case of a female candidate, if it is found to be pregnant, she should be declared temporarily unfit until the confinement is over, *vide* Regulation 10.

14. Services for which the candidate has been found qualified for the efficient and continuous discharge of duties may please be indicated clearly by √ and services/posts for which he/she is considered unfit if any may also be indicated clearly by x:-

(i) CES Gr. A, CE&MES Gr. A, CWES Gr. A, CES (Roads) Gr. A, AEE(BRES), AEE(QS&C) Gr.A in MES
Surveyor Cadre and IDSE Gr. A.

(ii) CPES Gr. A, , INAS Gr. A, Indian Naval Material Management Service

(iii) AEE (Group A) in the corps of EME.

(iv) ITS Gr 'A', JTO(GCS Gr 'B').

(v) Survey of India.

(vi) AEE(GSI).

(vii) DAQAS

(viii) ISDS

(ix) IEDS

(x) IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication)

(xi) IRMS (Stores) Group 'A'

Is the candidate fit for field service ?

.....

NOTE : The Board should record their findings strictly in the following certificate

CERTIFICATE

Shri/Ms. .....Roll No. .....a candidate of ESE-**2026** who has appeared for his first medical examination/re-examination on (date) is found to be :

(i) Fit ……..…… } (Please ensure this

(ii) Unfit on account of..... } matches with findings at

(iii) Temporarily unfit on account of ..... } column 13)

(iv) Fit only for one of the following sub-categories of disability for which vacancies are identified for Persons with Disabilities(please tick relevant category and strike off others)

(a) One Arm (OA) affected sub-category only.

(b) One Leg (OL) affected sub-category only.

(c) Hard Hearing /Partially Deaf(PD) only.

(d) Lower Vision (LV) Sub-category only

(e) Specific Learning Disability (SLD)

(f) Mental Illness (MI)

Sign. of Member with stamp	Sign. of Member with stamp	Sign. of Chairman with stamp

Date :

Place :

Enclosure I

1. Technical Services or posts requiring Higher Grade Colour Perception(HGCP) :—

i. Indian Defence Service of Engineer (IDSE).
ii. Central Engineering Service (Roads).
iii. Central Power Engineering Service. (Gr. 'A')
iv. Assistant Executive Engineer (Group 'A') in the Corps of EME.
v. AEE(BRES) Group 'A' in Border Roads Organization.
vi. Survey of India
vii. AEE(QS&C) in MES Surveyor Cadre.
viii. Indian Enterprises Development Services.
ix. IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication), Gr 'A'

II Technical Services or posts requiring lower grade colour perception(LGCP) [Or Defective Higher Grade Colour Perception –DHGCP] :—

i Central Engineering Service.
ii. Central Electrical and Mechanical Engineering Service.
iii. Indian Naval Armament Service.
iv. Indian Naval Material Management Service
v. Central Water Engineering Service.
vi. Assistant Executive Engineer(GSI).
vii. Defence Aeronautical Quality Assurance Service
viii. Indian Skill Development Service
ix. Indian Radio Regulatory Service Group 'A'

III Services for which Colour Perception not required (or Defective Colour Perception Both Grades):-

i. ITS Gr. 'A'.
ii. JTO (GCS Gr. 'B')
iii. IRMS (Store) Group 'A'

Sign. Of Member Chairman/Medical Board With stamp	Sign. Of Member with stamp	Sig. of with stamp

APPENDIX-III

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES/POSTS TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE ON THE RESULTS OF THIS EXAMINATION.

1. INDIAN DEFENCE SERVICE OF ENGINEERS (IDSE)/ ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER (QS&C)
IN MILITARY ENGINEER SERVICE (MES) SURVEYOR CADRE

The selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. A probationer during his probationery period may be required to pass such departmental and language tests, as Government may prescribe. If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient or if the probationer fails to pass the prescribed tests during the period Government may discharge him. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work of conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further periods as Government may consider fit.

(a) Probationers will be required to undergo mandatory 40 weeks Induction Training Course during their probationary period of two years. The standard for Hindi Test should be 'PRAGYA' (equivalent to Matriculation standard).

(b) Any person appointed to the service, if so required, be liable to serve in connection with the Defence of india for period of not less than four years, including the period spent on training, if any.

(c) The selected candidates shall also be subject to Civilian in Defence Service (Field Liability) Rules, 1957 (as amended) Published under No SRO: 92, dated 09th Mar 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein

Admissibility of DA to newly recruited Group 'A' probationers of MES will be as per directives issued by MoD, Dept of Military Affairs/ D (Mov) Section ID No 568/2021-D (Mov) dt 24 Nov 2021

(b) The following are the rates of pay in IDSE Cadre as per revised 7th CPC Pay Scales:-

(a) Assistant Executive Engineer—BP Rs. 56,100-1,77,500 Level - 10.

(b) Executive Engineer— BP Rs. 67,700-2,08,700 Level - 11.

(c) Executive Engineer (NFSG)— BP Rs. 78,800-2,09,200 Level - 12.

(d) Superintending Engineer— BP Rs. 1,18,500-2,14,100 Level -13.

(e) Chief Engineer— BP Rs. 1,44,200-450-2,18,200 Level- 14.

(f) Additional Director General — PB Rs. 1,82,200-2,24,100 HAG Level- 15.

(g) Director General — PB Rs. 1,82,200-2,24,100 HAG Level- 15.

(d) The following are the rates of pay in AEE (QS&C) as per revised 7th CPC Pay Scales:-

(a) Assistant Executive Engineer – BP Rs 56,100-1,77,500 Level - 10.

(b) Executive Engineer - BP Rs 67,700-2,08,700 Level - 11.

(c) Executive Engineer (NFSG) – BP Rs 78,800-2,09,200 Level – 12.

(d) Superintending Engineer - BP Rs 1,18,500-2,14,100 Level -13.

(e) Chief Engineer – BP Rs 1,44,200-2,18,200 Level – 14.

(f) Additional Director General – PB Rs 1,82,200-2,24,100 HAG Level – 15.

2. CENTRAL ENGINEERING SERVICE (ROADS), GROUP 'A'

(a) The selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineer (Civil) on probation for two years. On the completion of the period of probation, if they are considered fit for permanent appointments, they will be confirmed as Assistant Executive Engineer (Civil) if permanent vacancies are available. The

Government may extend the period of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of the opinion that an Assistant Executive Engineer (Civil) is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension they are satisfied that an Assistant Executive Engineer (Civil) will not be fit for permanent appointment on the expiration of such periods of extension, they may discharge the Assistant Executive Engineer (Civil) or pass such orders as they think fit.

(b) Any person appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the scales of pay admissible :

Assistant Executive Engineer (Civil)	Level 10 in the Pay Matrix
Executive Engineer (Civil)	Level 11 in the Pay Matrix
Executive Engineer (Non- Functional Action Grade) (Civil)	Level 12 in the Pay Matrix Superintending
Engineer (Civil)	Level 13 in the Pay Matrix
Chief Engineer (Civil)	Level 14 in the Pay Matrix
Additional Director General	Level 15 in the Pay Matrix
Director General (Roads Development) and Matrix Special Secretary	Level 17 in the Pay

Note :—The pay of Government servant who held a permanent post other than a tenure post in substantive capacity prior to his appointment as a probation in the Central Engineering Services, Group 'A' Group 'B' will regulated subject to the provision of F.R.-22 B(1).

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in Central Engineering Service (Roads) Group 'A'.

Civil Engineering Posts :—

To assist the Senior Technical Officers at Hqrs. and in the Regional Offices etc. of the Roads Wing, Ministry of Road Transport and Highways in planning, preparing designs and estimates of roads/bridges work and scrutiny of proposals for such work received from the States.

3. <u>CENTRAL WATER ENGINEERING (GROUP 'A') SERVICE.</u>

(i) Persons recruited to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer in the Central Water Engineering (Group A) Service shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Government may, where necessary extend the said period of two years for a further period in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this behalf.

If on the expiry of the period of probation referred to above or any extension thereof as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if any time during such period of probation or extension they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit. During the period of probation the candidates may be required by the Government to undergo such courses or training and instruction and to pass such examination and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

(ii) Officer appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(iii) Any person appointed on the result of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person:-

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iv) The officers appointed to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer can look forward for promotion to various higher grades in the Service.

(v) The following are the admissible Pay Band and Grade Pay:

1. Assistant Director/Assistant Executive Engineer in CWC/ GFCC/CEA/ Asstt. Commissioner, DoWR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti.	Level 10 in the Pay Matrix
2. Deputy Director/Executive Engineer, CWC/ Matrix Deputy Commissioner, DoWR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti / Deputy Director/Executive Engineer, GFCC/Assistant Secretary, SSCAC/Deputy Director/ Executive Engineer, CEA.	Level 11 in the Pay
3. Non-functional Second Grade	Level 12 in the Pay Matrix (Restricted to 30% of the senior duty posts/i.e. posts in Level-11 and above in the Pay Matrix)
4. Director/Superintending Engineer, CWC/ FBP/Director, GFCC Director/Superintending Engineer, CEA	Sr. Jt. Commissioner, Level 13 in the Pay Matrix DoWR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti /SE,
5. Chief Engineer, CWC/Commissioner, DoWR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti /Member, SSCAC/ General Manager, FBP/Chief Engineer, CEA/Member GRMB / Member Secretary, GRMB/ Member, KRMB/Member Secretary , KRMB/Member, PPA and Chief Engineer(P&D), PPA/Member(Water Resources), CWMA / Secretary, CWMA.	Level 14 in the Pay Matrix. Level 14 in the Pay Matrix GFCC/ Secretary,
6. Member, CWC/Chairman, GFCC/Chairman, KRMB/Chairman,	Level 15 in the Pay Matrix GRMB.
7. Chairman, CWC	Level 17 in the Pay Matrix

(vi) Nature of duties and responsibilities attached to the posts of Central Water Engineering (Group A) Service;-

(a) At Headquarters:-

Central Water Commission (CWC) is primarily responsible for almost all aspects of Water Resources Development, Officers in the headquarters are directly associated with planning, design, appraisal and monitoring of different water resources projects in the country. CWC through its various specialized Directorates fulfil its obligation towards these aspects. The officers at various level in Design units are

associated with detailed studies in respect of design of various components of the water resources projects under different stage of implementation. There are specialized Directorates on Hydro-civil Design, Concrete and Masonry Dam Design, Earth and Rockfill Dam design, Barrage and Canal Design and Design of Gates on Hydraulic Structures. The activities relating to water resources assessment, design flood estimation and sediment analysis are carried out through Hydrological Studies Organizations of CWC. CWC has specialized units for Project Appraisal, Project Monitoring and Environmental Management. The Central Mechanical Organization of CWC is associated with Construction Equipment Planning and Contract management of almost all the major Water Resources development projects. The activities of CWC at its headquarters also include development of flood forecasting models through its P&D Organization and the planning and design of various flood management practices through its Flood Management Organisation.

(b) At field formation of CWC

The field organizations of CWC are directly involved with hydrological observation, project investigation, appraisal of medium irrigation projects, monitoring of identified projects and flood forecasting on almost all the major rivers in the country. These activities are carried out through a network of regional offices headed by the Chief Engineer and Circles/Directorates headed by Superintending Engineer/Director and executive Engineers. There are Sub-Divisions/Control Room headed by Assistant Executive Engineers which are directly involved with investigation of water resources development projects, hydrological observation and flood forecasting.

4. BORDER ROAD ENGINEERING SERVICE GROUP 'A'

(i) The selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineer on probation for a period of two years. On selection and issue of appointment letters by BRDB Secretariat, the candidate will be required to report to GREF Centre, Pune for induction training for a period as specified in the appointment letter. The probationer during the probation period may be required to pass such departmental tests (physical and written) as DGBR may prescribe from time to time. At any time during the period of probation or on conclusion thereof, if his work and conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(ii) The selected candidate shall be liable to serve in any part of India or outside including the field area in war and in peace. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down.

(iii) The following are scales of pay admissible to them.

(a) Civil Cadre

AEE (Civil)	Level 10 in the Pay Matrix
Executive Engineer (Civil)	Level 11 in the Pay Matrix
Superintending Engineer (Civil)	Level 13 in the Pay Matrix
Chief Engineer (Civil)	Level 14 in the Pay Matrix
Additional DGBR	Level 15 in the Pay Matrix

(b) E&M Cadre

AEE (E&M)	Level 10 in the Pay Matrix
Executive Engineer (E&M)	Level 11 in the Pay Matrix
Superintending Engineer (E&M)	Level 13 in the Pay Matrix
Chief Engineer (E&M)	Level 14 in the Pay Matrix

(iv) The officers appointed to the post of Assistant Executive Engineer can look forward to promotion to the higher grades of Executive Engineer (Civil) and (E&M), Superintending Engineer (Civil) and (E&M), Chief Engineer (Civil) and (E&M) and ADGBR (Civil) after fulfilling the prescribed conditions. The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(v) The officers appointed to the service are entitled special Compensatory Allowances and special Duty Allowance at prescribed rates when employed in certain specified area and free ration or allowance in lieu of ration; besides other usual allowances such as HRA etc. as admissible to the Central Government employees. They are also entitled to outfit allowance.

(vi) The Officers appointed to the Border Roads Engineering Service Group 'A' post in BRO would also be subject to certain provisions of Army Act, 1950 and Army Rules, 1954 for the purpose of discipline, being a uniformed force.

(vii) Training :—Probationers will be required to undergo departmental Young Officers course during their probationary period of two years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular service/post at such places and in such manner and pass such examination during this period which may include written and physical tests as prescribed by the DGBR from time to time.

(viii) Refund of the Cost of Training :- If for any reasons which in the opinion of the Government are not beyond the control of probationer, a probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other money paid to him during the period of his probation. For this purpose, probationers will be required to furnish a Bond, a copy of which will be enclosed along with their Offers of appointment. The probationers permitted to apply for examination for appointment to be conducted by UPSC, will not however, be required to refund the cost of training.

(ix) Leave:—Officers will be eligible for leave in accordance with leave rules in force from time to tome.

(x) Duties and Responsibilities:—Nature of duties and responsibilities attached to the posts existing in Border Roads Organisation will be as specified by the DGBR from time to time for various establishments functional under him.

(xi) The selected candidates, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any, provided that:—

(a) The candidate shall not be required to serve aforesaid after the expiry of ten years from the date of Appointment, and

(b) The candidate shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

5. CENTRAL POWER ENGINEERING SERVICE, GROUP 'A' .

(i) Candidates appointed to the posts of Assistant Director-I(Gr 'A')/Assistant Executive Engineer shall be on probation for a period of two years and if required for a further period not exceeding one year.

If on expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof, as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if at any time during such period of probation or extension, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation, the candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

Any person appointed, on the result of this competitive examination shall if so required, be liable in serve in any Defence Service or post connected with Defence of India for a period of not less than four years including the period spent in training, if any, provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) Scale of Pay

The scale of pay for post of Central Power Engineering Group "A" and Group "B" Service in the Central Electricity Authority is as follows :—

Electrical, Mechanical and Electronics and Telecommunication Engineering post in the Central Electricity Authority:-

Name of Post	Level in the Pay Matrix
Assistant Director Gr-I/AEE Group 'A'	Level 10 in the Pay Matrix (Rs.56,100-1,77,500)

(iii) Promotion to higher grades

The officers appointed to the post of Assistant Director (Engineering) (Grade-I)/Assistant Executive Engineer are eligible for promotion to higher grade viz. Deputy Director (Engineering)/Executive Engineer/Deputy Director (Engineering) (Non-functional Grade)/Director/Superintending Engineer and Chief Engineer/Principal Chief Engineer subject to availability of vacancies in the grade concerned, after fulfilling the conditions laid down in the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 2015.

(iv) Duties and Responsibilities

Nature of duties and responsibilities attached to the posts of Assistant Director (Engineering) (Grade-I)/Assistant Executive Engineer are as under :—

Planning for Power Development in the country for the optimal utilisation of resources. Collection, Analysis and Publication of data. Design engineering and monitoring, Renovation & modernization, Research and development of power plants including transmission and distribution system. Specifying technical standards, Safety regulations for operation and Maintenance of power projects plants, designs or projects etc.

6. DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE SERVICE (DAQAS)

The Defence Aeronautical Quality Assurance Service is an Organised Group 'A' Central Service comprising posts in the grades as mentioned at para(c). The service particulars of the Service are enumerated in the succeeding paragraphs.

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of 2 years provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Govt. from time to time. During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Govt. to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and test (including examination in Hindi) as Govt. may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation. On completion of the period of his probation

Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

(b)(1)Selected candidates shall if, so required, be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such person (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(2) Selected candidates shall be liable to serve anywhere in India or outside. They shall also be liable to serve in any other Ministry or Department of the Govt.

(3) Selected candidates shall be liable to field service (including service on land or travel by service aircraft or Naval ships, etc.) in respect of investigation, development, indigenization and quality assurance work or such other work to which they may be deputed.

(4) Selected candidates shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Competent Authority may decide from time to time. The officer detailed for training outside India or with a private firm or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training if, for any reason, during the training or within a period of three years

after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

(c) The following are Scales/Levels of Pay admissible :-

(i) Senior Scientific Officer Grade II(Junior Time Scale) – Level 10 in the Pay Matrix.
(ii) Senior Scientific Officer Grade I (Senior Time Scale, Functional) – Level 11 in the Pay Matrix.
(iii) Principal Scientific Officer (Non-Functional)/Senior Time-Scale(Non Function Second Grade) – Level 12 in the Pay Matrix.
(iv) Director (Junior Administrative Grade) Functional – Level 13 in the Pay Matrix.
(v) Addl. Director General (Senior Administrative Grade) - Level 14 in the Pay Matrix.
(vi) Director General (Higher Administrative Grade) – Level 15 in the Pay Matrix.

(d) The members of DAQAS are entitled to Non-Functional Upgradation (NFU) to be granted as per the scheme/instructions of the Govt. issued from time to time.

(e) Medical Standards of fitness for selected candidates shall be the same as for scientists and technologists serving in other similar scientific organizations under the Govt. Selected candidates for assignments involving limited field service shall undergo special medical checkup as may be prescribed, either at the time of selection or when they proceed on field service, as the case may be.

(f) Defence Aeronautical Quality Assurance Service through ESE consists of the posts or grades of Engineers (Mechanical/Electrical/ Electronics & Telecommunication).

7. INDIAN NAVAL ARMAMENT SERVICE

(a) Candidate selected for appointment to the service will be appointed as probationers for a period of two years which period may be extended at the discretion of competent authority. Failure to complete the probation to the satisfaction of the competent authority will render them liable to discharge from service.

(b) The appointment can be terminated at any time by giving the required period of notice (one month in the case of temporary appointment and three months in the case of permanent appointment by competent authority). The Government, however, reserves the right of terminating services of the appointees forthwith or before the expiry of the stipulated period of notice by making payment of a sum equivalent to pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

(c) They will be subject to term and conditions of the Service as applicable to civilian Government Servants paid from the Defence Services Estimates in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. They will be subjected to field Service Liability Rules, 1957 as amended from time to time.

(d) They will be liable for transfer anywhere in India or abroad. However, major locations, where, officers are likely to be posted, are Mumbai, Visakhapatnam, New Delhi (HQ), Kochi and at Goa. INAS officers are also required to go on foreign deputation as and when required for specialized training/assignment.

(e) Scale of pay and classification-Group- A Gazatted are given below:

(i) Junior Time Scale Grade (Assistant Manager/ Assistant Director of Naval Armaments) – Level 10 (Rs. 56100-177500).

(ii) Senior Time Scale Grade (Manager/Deputy Director of Naval Armaments) - Level 11 (Rs. 67700-208700).

(iii) Junior Administrative Grade (Non-Functional) (Deputy General Manager/Joint Director of Naval Armaments)- Level 12 (Rs. 78800-209200).

(iv) Junior Administrative Grade (Functional) (General Manager/Additional General Manager/Principal Director/Director of Naval Armaments) - Level 13 (123100-215900).

(v) Senior Administrative Grade (Chief General Manager/ Deputy Director General of Naval Armament) - Level 14 (Rs. 144200-218200).

(vi) Higher Administrative Grade (Director General of Naval Armament) - Level 15 (Rs. 182200-224100).

(f) Career Growth : The promotional avenue and the detailed terms and conditions are given below:

(i) Senior time Scale Grade (Manager/Deputy Director of Naval Armaments): Officers of INAS Cadre in the Junior Time Scale Grade (Assistant Manager/Assistant Director) with four years regular service in the grade are eligible for promotion to the Senior Time Scale Grade on the basis of selection on the recommendations of DPC provided that only, those officers who have passed the Departmental Examination after induction training will be considered for promotion.

(ii) Junior Administrative/Grade (Non-functional) Deputy General Manager/Joint Director of Naval Armaments
: Officers of INAS Cadre in the Senior Time Scale Grade who have completed five years of regular service in the Senior Time Scale Grade are eligible for appointment to the Junior Administrative Grade (Non-Functional).

(iii) Junior Administrative Grade (Functional) General Manager/Additional General Manager/Principal Director/Director of Naval Armaments: Officers of INAS Cadre in the Senior Time Scale Grade on completion of thirteen years of regular service in the Gp 'A' including four years' service rendered in STS Grade, are eligible for promotion to the Junior Administrative Grade (Functional).

(iv) Senior Administrative Grade (Chief General Manager/Addl Director General of Naval Armament) : Officers of INAS Cadre in the Junior Administrative Functional Grade with three years regular service in the Grade are eligible for promotion to the posts of Chief General Manager on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(v) Higher Administrative Grade (Director General of Naval Armament) : Officers of INAS Cadre in the Senior Administrative Grade with three years regular service in the grade are eligible for promotion to the post of Director General of Naval Armament on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(g) The requirements for promotion to next higher grade as laid down above are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(h) The officers are required to take various responsibilities attached with the growth of career like in-charge of a division, head of a particular establishment/organization in the Span of entire career.

NOTE : The pay of the Government servant who held a permanent post other than tenure post in a substantive capacity immediately prior to his appointment as a probationer may be regulated subject to the provision of F.R. 22B(1) and the Corresponding article in CSR applicable to probationer in the Indian Navy.

(i) Nature of duties and responsibilities attached to the post of Junior Time Scale Grade in the Naval Armament Organization of Indian Navy, Ministry of Defence:

(i) Production, planning and direction of work relating to repair, modification and maintenance of armaments, incorporating various mechanical, electronics and electrical devices and system production and productivity.

(ii) Provision of machinery, electronic and electrical equipment for repair, maintenance and overhaul.

(iii) Development work to establish import substitutes, preparation of indigenous design specifications. Providing of mechanical, electronics and electrical spares for armaments.

(iv) Providing of mechanical, electronics and electrical spares for armaments.

(v) Periodical calibration testing/examination of sub-assemblies and assemblies of mechanical electronics and electrical items of armaments (missiles, torpedoes, mines and guns) measuring instruments etc.

(vi) Providing logistic support in respect of armament stores to fleet and Naval Establishments.

(vii) Rendering of technical advice to the service in all matters relating to mechanical, electronic and electrical engineering in respect of armaments.

(viii) Functions of personnel management of large number of technical and non-technical work force.

(j) Additional Unique facilities

(i) The officers of this cadre (INAS) discharge the duty and responsibility in Naval Armament Organization which is one of the important wing of Indian Navy. Facilities available to Naval service officers like CSD canteen facilities for self & family, membership of officer's mess/club/institute/

swimming pool etc. are extended to INAS Officers also. The residential complex of INAS cadre officers is also under Naval Security Zone, where one can feel fully secured throughout service period.

(ii) Being the part of Indian Navy, the INAS cadre officers have the opportunity to participate in various adventure and sports activities.

8. POST OF INDIAN NAVAL MATERIAL MANAGEMENT SERVICE

(i) Candidates selected for appointment to these posts through ESE will be placed on probation for a period of two years. On satisfactory completion of the probation, they would be considered for continuance in their appointment. Government may either extend the period of probation of two years or discharge them from service if their work or conduct, in the opinion of Government has been unsatisfactory.

(ii) They will be subject to terms and conditions as applicable to Civilian Government Servants paid by the Defence Services Estimates in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

(iii) Officers appointed shall be liable to serve any-where in India and abroad.

(iv) Officers appointed shall be liable to undergo courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time.

(v) The candidates will be subjected to civilians in Defence Services (Field Liability) Rules, 1957 published under No. S.R.O. 92 dated 9th March, 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down therein.

(vi) The candidates start their service in the department as Indian Naval Material Management Service and in the course of their service are promoted to various grades in the Department subjected to availability of vacancies and fulfilment of the prescribed conditions. The channel of promotions and the scales of pay are as under :—

(a) Assistant Naval Store Officer-I – Level 10 (Rs. 56100-177500). (b) Naval-Store Officer - Level 11 (Rs. 67700-208700).

(c) Senior Naval Store Officer - Level 12 (Rs. 78800-209200). (d) Director - Level 13 (Rs. 123100-215900).

(e) Senior Director - Level 14 (Rs. 144200-218200).

(vii) Nature of duties and responsibilities attached to the post of Indian Naval Material Management Service, Ministry of Defence :—

i. Provisioning of all types of Stores.

ii. Inviting tender inquiry, preparation of comparative statements and placement of orders and monitoring their progress through Integrated Logistics Management System (ILMS).

iii. Ensure all Material Planning action through ILMS.

iv. Ensure proper Warehousing and inventory control of all the items stocked in the Depot through ILMS preservation Shipping and Transport, local purchase of items.

v. Arranging fueling/de-fueling storing and de-storing of ships.

vi. Issue receipt and accounting, preservation packing and stock taking of Store Houses under his control.

vii. Stock/inventory control and depot management.

viii. Disposal of surplus, scrap and silage oil.

9. <u>INDIAN TELECOMMUNICATIONS SERVICE GROUP 'A'</u>

Appointment will be made on probation for a period of 2 years. If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith. On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his

appointment or if his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

(a) Officer will be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass tests in Hindi before confirmation.

(b) Officers will also be required to pass professional and language test.

(c) Any person appointed on the results of the Competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person: —

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) The following are Level in the Pay Matrix admissible:—

(i) Junior Time Scale: Level 10 (Rs. 56100-177500)

(ii) Senior Time Scale: Level 11 (Rs. 67700-208700)

(iii) Junior Administrative Grade: Level 12 (Rs. 78800-209200)

(iv) Non- Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade (NFSG): Level 13 (Rs. 123100-215900)

(v) Senior Administrative Grade: Level 14 (Rs. 144200-218200)

(vi) Higher Administrative Grade: Level 15 (Rs. 182200-224100)

(vii) Higher Administrative Grade Plus Grade: Level 16 (Rs. 205400-224400)

(viii) Apex Scale (equivalent to Secretary of Govt. of India): Level 17 (Rs. 225000)

(ix) The officer shall also be eligible for consideration for the post of Members of the Digital Communications Commission which is equivalent to Secretary of Govt. of India.

Note: The pay of a Government Servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of FR-22B(I).

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the post in the Indian Telecommunications Service (Group A).

Junior Time Scale

JTS level officers will be posted in various units of department of telecommunications including those dealing with issue of licences, their administration and enforcement to meet the objectives of licensing and national security. They may be attached to offices responsible for Standardisation of Indian Telecommunication network, preparation of Generic requirements of Telecommunication equipment, spectrum utilisation like in Telecom Engineering Centre (TEC). They will participate in technology validations; various study group meetings of standardization bodies like ITU, IETF etc. JTS level officers will be posted in various units in DoT HQ to assist in Telecom Policy formulation, preparation of licensing conditions for telecom operations, USO fund disbursement activities, Functional units in DoT like Access Service, Data Service and Value Added Service, Vigilance, Security unit, New Technologies etc. and any other units carrying out the works relating to telecommunications and new as well as converged networks and services. While working in field units or any other unit of DoT, they may also be deployed to operate the Telecom network of licensed service providers in case of emergency like war or any other reason in public interest as decided by the Government. JTS level officers will normally report to STS level officers.

Senior Time Scale

STS level Officers will normally be posted under officers of JAG grade in various units of Department of Telecommunications including those dealing with issue of licences, registration of service providers, their

Administration and enforcement. They will also work in the field of Standardisation of Indian Telecommunication network, preparation of Generic requirements of Telecommunication equipment, utilization of spectrum like in Telecom Engineering Centre (TEC), technology validations and participate in the proceedings of various study groups of standardization bodies like ITU, IETF etc. While working in DoT HQ, they will be required to assist in Telecom Policy formulation, USO fund disbursement activities, Vigilance, including Security unit and any other units carrying out the works relating to telecommunications and new as well as converged networks and services. While working in Field units or any other unit of DoT, they may also be deployed to operate the Telecom network of licensed service providers in case of emergency like war or any other reason in public interest as decided by the Government.

Junior Administrative Grade

JAG officers have a supervisory and administrative role over the activities of JTS and STS level officers. They will normally report to SAG/HAG officers and carry out functions to support their activities in the fields of their responsibility. They will also be required to contribute immensely through their technical/administrative skills in discharging their duties especially in the areas of standardization, evaluation and introduction of technologies, investigation of malpractices and establishment and operations of networks as well as international technical coordination. JAG officers will be posted in various units of DoT to provide middle level administrative and managerial support to DDsG/ Sr. DDG in DoT/ Digital Communications Commission while handling the works of Telecom Policy formulation, preparation of licensing conditions for telecom and converged service providers including Access Service, Data Service and Value Added Service, Vigilance, International Relations, Public Grievances, Human Resources/Establishment matters, monitoring of PSUs/Autonomous bodies, telecom related national security matters etc. They will also be responsible for planning, execution, and O & M of systems/installations for Government use or the networks of licensed telecom operators in emergency situations or in public interest as decided by the Government.

Senior Administrative Grade and Higher Administrative Grade

Responsible for overall management and administration in DoT, Deputy Director General in Digital Communications Commission provides top level assistance to the Digital Communications Commission in policy formulation & overall administration. As heads of field units of DoT, HAG officers will be in charge of activities handled by the field units related to Service compliance, Security, Technology, Rural telecomm connectivity, public grievances etc. They will be responsible for planning, execution, and O & M of systems/installations for Government use or the networks of licensed telecom operators in emergency situations or in public interest as decided by the Government. Sr. DDG and DDsG in Telecom Engineering Centre are responsible for R & D in communication systems, Validation of various Telecom Technologies, preparation of Generic requirements of Telecommunication equipment. They will participate in technology validations and various study group meetings of standardization bodies like ITU, IETF etc. SAG/HAG officers will be posted as incharge of various units in DoT HQ to provide top level assistance to DoT/ Digital Communications Commission while handling the works of Telecom Policy formulation, preparation of licensing conditions for telecom and converged service providers including Access Service, Data Service and Value Added Service, Vigilance, international relations, Public Grievances, Human Resources/Establishment matters, monitoring of PSUs/ Autonomous bodies, telecom related national security matters etc.

Higher Administrative Grade +/ Advisor Grade

The officers in this grade shall be primarily responsible for formulating and administering various policies including Personnel policy and international relations in the field of telecommunications/converged networks, ensuring annual plan implementation by field units by working out the various requirements of field units and getting timely approvals. Advisors are responsible for assessment and inclusion of the new technologies into Indian telecom infrastructure as per overall socio-economic requirements of the country. Advisors are responsible for formulating security policies in coordination with security agencies to check possible misuse of telecom/converged networks by anti-national elements. They shall handle the work of administration and monitoring of PSUs and autonomous bodies under DoT and in the areas of technology, licensing, human resources/ establishment matters, operations, inter- ministerial coordination etc. As heads of field units of DoT, in charge of all activities handled by the field units related to Service compliance, Security, Technology, Rural telecomm connectivity, public grievances etc.

Apex Level

Officer at Apex level will be Director General Telecom. All the field units in Licensed service areas of DoT will report to DGT. He/ She shall be the overall in charge of all activities handled by the field units related to Service compliance, Security, Technology, Rural telecomm connectivity, public grievances etc.

Junior Telecom Officer (JTO) - (GCS Group B - Gazetted)

(i) The post of JTO will be Group-B, Gazetted carrying the pay scale of Level 7 (Rs 44900 – 142400)

(ii) Appointment will be made on probation for a period of Two years. This period also includes successful completion of six months Induction Training in the field of duties of the post as part of probation.

(iii) A Junior Telecom Officer who has not completed the age of forty years shall if so required, be liable to serve in the Territorial Army subject to the provisions of Section 6 A of the Territorial Army Act-1948(56 of 1948) and the rules made thereunder.

(iv) The candidates selected both against the direct recruitment quota vacancies and departmental promotion quota of vacancies shall have to successfully undergo training as per the training plan laid down by the Department.
Nature of duties and responsibilities attached to the post of JTO (GCS Group B-Gazetted).

Junior Telecom Officer will be posted in various units of Department of Telecommunications including DoTHQ, Telecom Engineering Centre, NTIPRIT and field units of DoT. JTO will normally report to Assistant Directors and above and carry out functions assigned to them from time to time.

10. SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE

1. Selected candidates will be appointed on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time. Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

On completion of period of probation or any extension thereof, as the case may be, if the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, for reasons to be recorded in writing may discharge or revert the officer to the post held by him prior to this appointment in the service, as the case may be.

During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to Undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

2. Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India and abroad.

3. Officers appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as Government may decide from time to time.

4. Any person appointed on the result of competitive examination shall if so required be liable to serve in any defence services or posts connected with defence of India for a period not less than 4 years including the period spent on training, if any, provided that such persons shall not be required:-
(i) to serve as foresaid after the expiry of 10 years from the date of appointment.
(ii) ordinarily to serve as aforesaid after attaining the age of 40 years.

5. The following are the scales of pay admissible:-

Junior Time Scale	Pay Band 3 Rs 15600-39100 + Grade Pay Rs 5400.
Senior Time Scale	Pay Band 3 Rs 15600-39100 + Grade Pay Rs 6600.
Junior Administrative Grade	Pay Band 3 Rs 15600-39100 + Grade Pay Rs 7600.
Selection Grade	Pay Band 4 Rs 37400-67000 + Grade Pay Rs 8700.
Senior Administrative Grade	Pay Band 4 Rs 37400-67000 + Grade Pay Rs 10000.
Surveyor General of India	HAG Rs 67000 (Annual increment @ 3%)-79000.

6. Nature of duties and responsibilities attached to the various posts.

Deputy Superintending Surveyor (JTS) – Required to carry-out Survey work in the fields of geodesy photogrammetry, cartography and digital mapping as an individual worker, as well as Section Officer/Camp Officer to supervise Sections/Camps. He will also assist Officer-in-Charge(Superintending Surveyor) in both-technical & administrative work of the unit.

Superintending Surveyor (STS) – Responsible for the organization and discipline of the Party, custody, maintenance and accurate accounting of stores, economical expenditure of funds at his disposal proper training of all his Officers and men in their duties and in the method of Survey best suited to the work execution and supervision of all technical work, field verification, fair mapping, photogrammetry and digital mapping etc.

Deputy Director (JAG) – Assist the functional Director in smooth and efficient functioning of the Directorate, responsible for scrutinizing, completion and monitoring of all technical, administrative and financial reports and returns, for arranging trade tests, training circles DPCs presiding over procurement boards, finalizing of tender and contract and all other matter delegated by the Director.

Director/Deputy Director Selection Grade (Selection Grade) – Responsible for all surveys and mapping, appointing and disciplinary authority for all Group 'c' staff, technical coordinating guidance, supervision and monitoring of Surveying & Mapping operations including advice to State Government, Central Project Authorities etc., financial management, budgeting monitoring and control of entire expenditure of the Directorate.

Additional Surveyor General (SAF) – Complete overall responsibility for the efficient performance of the Circles under his charge in respect of Technical scientific, Administrative, Human Resources Development, finance and accounts, finalizing the training, field, fair mapping, digital mapping and reprography programmes and printing work for all Circle3s under his charge, monitoring progress of technical work according to the prescribed norms and ensure requisite standard of accuracy at every stage, responsible for development/adoption of new technical methods of work, advice to State Governments, on all surveying matters falling in his Zone.

11. CENTRAL ENGINEERING SERVICE GROUP "A" AND CENTRAL ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING SERVICE GROUP "A"

(a) The selected candidates will be appointed on probation for two years. They would be required to pass the prescribed departmental examination during the period of probation. On satisfactory completion of their probation they could be considered for confirmation or continuance in their appointment. Government may extend the period of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of opinion that the officer is not fit for permanent employment/ retention or if at any time during such period of probation or extension, they are satisfied that the officer will not be fit for permanent appointment/ retention on the expiration of such period or extension they may discharge the officer or pass such order as they think fit.

(b) As things stand at present, all officers appointed in Central Engineering Service Group 'A' are eligible for promotion to the next higher grade viz., Executive Engineer after completion of four years services in the grade of Assistant Executive Engineer with successful completion of two Weeks mandatory training subject to availability of vacancies and on condition that they are otherwise found fit for such promotion.

(c) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if, so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person:

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after a training the age of forty years.

(d) The following are the rates of pay admissible:—

(i) JTS (A.E.E.)- Level 10 of Pay matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%)

(ii) S.T.S. (E.E.)- Level 11 of Pay matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%) Non-Functional Selection Grade - Level 12 of Pay Matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%)

(iii) Junior Administrative grade (S.E.) – Level 13 of Pay Matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%)

(iv) Senior Administrative Grade (C.E.) – Level 13 of Pay Matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%)

(v) Higher Administrative Grade

Additional D. G. Level 16 of Pay Matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%) Higher Administrative Grade plus (HAG+)

Special D.G. – Level 16 of Pay Matrix of 7th CPC (Annual Increment @ 3%) Director General – Level 17 of Pay Matrix of 7th CPC (Fixed)

Director General post is common to all the three disciplines i.e. Civil, Electrical & Mechanical and Architect.

NOTE :—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in Central Engineering Service (Group A) and Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Group A).

(i) **Central Engineering Service Group A.—**

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of various civil works (of Central Government) comprising residential buildings, office buildings, institutional and research centers, industrial buildings, hospitals and development schemes, aerodromes, highway and bridges etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Civil) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

(ii) **Central Electrical and Mechanical/Engineering Service Group 'A'.—**Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of electrical components of various civil works (of Central Government) comprising of electrical installations, electrical sub-stations and power houses, air-conditioning and refrigeration, runway lighting of aerodromes, operation of mechanical workshops, procurement and upkeep of construction machinery etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Electrical) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

12. INDIAN SKILL DEVELOPMENT SERVICE

A) Probation

1) Every officer appointed to the service either by direct recruitment or by promotion to the service either by direct recruitment through to the direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that any decision that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Further that any decision for extension of period of probation shall be taken within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

2) On completion of the period of any extension thereof, the officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and we confirmed in due course against the available substantive vacancy.

3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Central Government without any reason being assigned may:-

(a) If he was appointed by direct recruitment, discharge him from service in that post.

(b) If he was appointed by promotion, revert him to the post held by him immediately before such promotion.

4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses, training and instructions and pass such examinations and test as the Central Government may consider necessary as a condition to the satisfactory completion of probation.

5) Subject to sub-rules (a) to (4), the other matter relating to the probation of the members of the salaries shall be governed by the instructions issued by the Central Government from time to time.

B) Seniority

The inter-se seniority of the officers in the junior time scale shall be determined in accordance with the provision contained in the department of personal & training OM No. 22011/7/86-Estt. dated 3rd July, 1986 as amended from time to time.

C) Scale of Pay

(i) **Junior Time Scale Pay Matrix Level- 10 (Rs.56,100-1,77,500).**
(ii) **Senior Time Scale Pay Matrix Level -11 (Rs. 67,700-2,08,700).**
(iii) **Senior Time Scale(NFSG) Pay Matrix Level -12 (Rs. 78,800-2,09,200).**
(iv) **Junior Administrative Grade Pay Matrix Level -13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)**
(v) **Senior Administrative Grade Pay Matrix Level -14 (Rs. 1,44,200-2,18,200).**

D) Refund of the cost of Training:- If for any reasons which in the opinion of the Government are not beyond the control of the probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other money paid to him during the period of his probation. For this purpose probationers will be required to furnish a Bond, a copy of which will be enclosed along with their offers of appointment. The probationers permitted to apply for examination for appointment for Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of the training.

E) Leave :- Officers will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

F) Medical Attendance:- Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

G) Provident Fund and Pensions:- Candidates recruited in the service will be governed by the New Pension Schemes of Central Government.

H) Liability for service in any part of India and other conditions of service: - The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

Disqualification: - No Person –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:
Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. INDIAN RADIO REGULATORY SERVICE GROUP 'A', DEPTARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS:-

a) Probation/Confirmation: - The selected candidates will be appointed on probation for two years. On completion of the period of the probation or any extension thereof, officers, if considered fit for the permanent appointment, be confirmed in the Service in terms of the orders of the Government issued from time to time.

During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Central Government to undergo such courses of training and instructions or to pass such examinations and tests as prescribed by the Central Government from time to time, as a condition for satisfactory completion of probation.

Scale of Pay:-

i)	**Junior Time Scale**	**:**	**Level- 10 of Pay Matrix (Rs.56100-177500)**
ii)	**Senior Time Scale**	**:**	**Level -11 of Pay Matrix (Rs. 67700-208700)**
iii)	**Senior Time Scale (Non-functional Selection Grade)**	**:**	**Level -12 of Pay Matrix (Rs. 78800- 209200)**
iv)	**Junior Administrative Grade**	**:**	**Level -13 of Pay Matrix (Rs. 123100-215900)**
v)	**Senior Administrative Grade**	**:**	**Level -14 of Pay Matrix (Rs. 144200-218200)**
vi)	**Higher Administrative Grade**	**:**	**Level -15 of Pay Matrix (Rs. 182200-224100)**

Posting: - Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad. Liability to serve Defence Services or a post connected with the Defence:- Any officers appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence or a post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any;.

Nature of duties and Responsibilities :-

(a) Wireless monitoring, Inspection of Wireless Stations, Conduct of Certificate of Proficiency (CoP) examinations, Resolutions of radio interference cases, etc.

(b) Spectrum Engineering and Licensing of Wireless Stations; and

(c) Spectrum Planning and Coordination including International Coordination.

Power to relax: - Where are the Government if of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with.

14. INDIAN ENTERPRISES DEVELOPMENT SERVICE.

A) Probation

1) Every officer appointed to the service either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale

(Assistant Director Grade I) and Feeder Grade (Assistant Director Grade II) shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy against which the officer was recommended for recruitment by the Commission.

3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may without any reason being assigned, -

(a) If he was appointed by direct recruitment, discharge him from service in that post.\
(b) If he was appointed by promotion, revert him to the post held by him immediately before such promotion.

4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses of training and instructions and pass such examinations and test as the Government may consider necessary as a condition to the satisfactory completion of probation.

5) Subject to sub-rules (1) to (4), the other matter relating to the probation of the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government from time to time.

B) Seniority

The inter-se seniority of the officers in the junior time scale shall be determined in accordance with the provision contained in the department of personal & training OM No. 22011/7/86-Estt. dated 3rd July, 1986 as amended from time to time.

C) Liability for services in any part of India and other conditions of service

(1) The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.
(2) The conditions of service of the members of the Service, in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to the officer of the Central Civil Service in general

D) Scale of Pay

(i)	Assistant Director Grade-II Feeder Grade (Group B)	Pay Matrix Level- 7 (Rs.44,900-1,42,400).
(ii)	Assistant Director Grade-I Junior Time Scale	Pay Matrix Level- 10 (Rs.56,100-1,77,500)
(iii)	Deputy Director Senior Time Scale	Pay Matrix Level -11 (Rs. 67,700-2,08,700)
(iv)	Joint Director Senior Time Scale	Pay Matrix Level -12 (Rs. 78,800-2,09,200)
(v)	Director	

	Junior Administrative Grade	Pay Matrix Level -13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)
(vi)	Additional Development Commissioner Senior Administrative Grade	Pay Matrix Level -14 (Rs. 1,44,200-2,18,200).

E) Disqualification :-

No Person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules

F) Power to relax- where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.

15. Geological Survey of India Engineering Services Group A.

a) Probation – Candidates recruited to this service will be on probation for a period of two years including training. The probation period is likely to be extended if the performance of the candidate during the training and working post is not found to be satisfactory by the competent authority. On successful completion of period of probation, the candidate, if considered fit for permanent appointment, will be confirmed as Assistant Executive Engineer.

b) Termination – The appointment of a probationer can be terminated by three months' notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however, required in case of dismissal or removal as disciplinary measure, and compulsory retirement due to mental or physical incapacity.

If in the opinion of the Government the work or conduct of the probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to be come efficient, the Government may terminate the services and discharge him forthwith.

If for any reason(s) (which in the opinion of the Government are not beyond the control of the probationer) a probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other money paid to him during the period of probation. For this purpose, probationers will be required to furnish a bond, a copy of which will be enclosed along with their offers of appointment. The probationers permitted to apply for examination for appointment to Civil Services Examination, will not however, be required to refund the cost of the training.

c) Scales of Pay-

1	Assistant Executive Engineer (Junior Time Scale)	-	Level 10 in the pay matrix (Rs 56,100/- - 1,77,500/-)
2.	Executive Engineer (Senior Time Scale)	-	Level 11 in the pay matrix (Rs 67,700/- - 2,08,700/-)
3.	Executive Engineering (NFJAG) (Senior Time Scale- Non-functional second grade)	-	Level 12 in the pay matrix (Rs 78,800/- - 2,09,200/-)
4.	Superintending Engineer (Junior Administrative Grade Grade-II)	-	Level 13 in the pay matrix (Rs 1,23,100/- - 2,15,900/-)
5.	Chief Engineer	-	Level 14 in the pay matrix (Rs 1,44,200/- - 2,18,200/-)

Officers of the service will be eligible for leave in accordance with the leave rules in force.

Officers will be eligible for medical attendance and treatment as per rule.

Officers of the service will be governed by the New Pension Schemes of Central Government.

d) Posting – The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

Duties and Responsibilities

Nature of duties and responsibilities attached to the post of Assistant Executive Engineer in GSI are as under:-

1. After completion of training period he shall be posted to any regional office of GSI. At present there are six regional offices with headquarters at Kolkata, Nagpur, Jaipur, Hyderabad, Lucknow and Shillong. However, in no case, he shall be posted in his home region.

2. Immediately after posting in region, he shall be posted to drilling camp for field exposure and to get acquainted with various activities of the drilling unit, under the officer-in-charge of the drill unit for a period as considered fit by the competent authority (not more than three months in any case). After acquainting with various activities of drill unit, he shall be declared as officer-in-charge of any drill unit operating in the region.

3. As an officer in-charge of drill unit, he shall be responsible for successful execution of drilling operation in field, as well as repair and maintenance of machineries, monitoring of rolling fund for field operation and establishment of camp.

16. BRIEF Particulars relating to IRMS (Civil), IRMS (Mechanical), IRMS (Electrical), IRMS(Signal &Telecommunication) and IRMS(Stores)

(a) Probation - Candidates recruited to these services will be on probation for a period of two years during which they will undergo training for 02 years. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended. Even if the work during the period of probation in the working is found not to be satisfactory, the total period of probation will be extended as considered.

(b) Training - All the probationers will be required to undergo training for a period of 02 years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular Service/post at such places and in such manner and pass such examination during this period as the Government may determine from time to time.

(C) TERMINATION OF APPOINTMENT –

(i) The appointment of probationers can be terminated by three months' notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however, required in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity. The Government, however, reserve the right to terminate the services forthwith.

(ii) If in the opinion of the Government, the work or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient. Government may discharge him forthwith.

(iii) Failure to pass the departmental examinations may result in termination of services. Failure to pass the examination in Hindi or an approved standard within the period of probation shall be liable to termination of services.

(d) Confirmation - On the satisfactory completion of the period of probation and on passing all the prescribed department and Hindi examinations, the probationer will be confirmed in the Junior Scale of the Service if they are considered fit for appointment in all respects.

(e) Scale of pay - Indian Railway Management Service (Civil, Mechanical, Electrical, S&T and Stores):—

Sl. No	Grade	Level/Pay scale
1	Junior Scale	Level-10 (Rs.56,100-1,77,500)
2	Senior Scale	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700)
3	Junior Administrative Grade	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200)
4	Non-Functional Senior Grade	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)
5	Senior Administrative Grade	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)

A probationer will start on the minimum of Junior Scale and will be permitted to count the period spent on probation towards leave, pension and increments in time scale. Dearness and other allowances will be admissible in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. Failure to pass the departmental and other examinations during the period of probation may result in stoppage or postponement of increments.

(f) Refund of the Cost of Training - If for any reason, which, in the opinion of the Government, are not beyond the control of the probationers, a probationer, wishes to withdraw from training or probation he shall be liable to refund any moneys paid to him, including the pay and allowances, travelling expenses to join appointment and all expenses that shall or may have been incurred by the Central Government for the Probationary Training. For this purpose Probationers will be required to execute a bond, a copy of which will be enclosed along with their offers of appointment. The Probationers permitted to apply for appointment to Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of training.

(g) Leave - Officers of the Service will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

(h) Medical attendance - Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

(i) Passes and Privilege Ticket Order - Officers will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(j) Provident Fund and Pension - Candidates recruited to the Service will be governed by the New Pension Scheme of the Central Government and rules as in force from time to time.

(k) Candidates recruited to the Service/post are liable to serve in any Railway or Project in or out of India.

(l) Liability to serve in Defence Service:—The probationer appointed shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such person:—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment; (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

Annexure-I

A List of Services/Posts identified suitable for Persons with Benchmark Disability Category along with the physical requirements and functional classifications*.

Sl. No.	Name of Services	Functional Classification	Physical Requirements
Category I-Civil Engineering			
1.	Central Engineering Service	OA or OL or Hard Hearing	As per MOSJ & E instructions
2.	Indian Defence Service of Engineers (Civil Engg.)	PD or OA	B,S,ST,W,SE,H&RW
3.	Central Water Engineering Service Gr 'A'	OA, OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims, Dwarfism, HH, SLD, OA&PD, OL&PD	S,ST,BN,W,SE,MF,C,R,W&RW
4.	Central Engineering Service (Roads) Gr. A	OA or OL or PD/Hard Hearing	B,S,ST,W,SE,H,RW,D,&W
5.	AEE (Civil) in Border Roads Organization	OA	B,S,ST,W,SE,H&RW, C, KC
6.	AEE (QS&C) in Military Engineer Service(MES) Surveyor Cadre	PD or OA	B,S,ST,W,SE,H&RW
7.	Survey of India Group 'A' Service	PD	F,PP,L,KC,B,S,ST,W,SE & RW
8.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions
9.	IRMS (Civil)	LD-OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H

		victims	
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
10.	IRMS (Stores) Civil Engg.	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
Category II-Mechanical Engineering			
1.	Central Water Engineering Service Gr 'A'	OA or OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims, Dwarfism, Hard Hearing, Specific Learning Disability, OA&PD, OL&PD.	S,ST,BN,W,SE,MF,C,R,W&RW
2.	Central Power Engg. Service Gr. A (Mech. Engg. Posts)	OL	ST,S,SE,MF,BN,KC, H. C
3.	Indian Naval Armament Service	OL	S,SE,H&RW
4.	Indian Naval Material Management Service	OL	S,SE,H&RW
5.	Geological Survey of India Engineering Service Gr 'A'	a)OL b) HH	S, ST, MF,SE, BN, KC, H,C
6.	Indian Defence Service of Engineers (Mech. Engg.)	PD or OA	B,S,ST,B,W,SE,H&RW
7.	Assistant Executive Engineer Group 'A' (Electrical &Mechanical) (Mechanical Engineering Post) in Border Roads Engineering Service Gr. 'A'	OA	B,S,ST,W,SE,H&RW, C, KC
8.	Central Electrical & Mechanical Engineering Service	OL or HH	As per MOSJ&E instructions
9.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions
10	IRMS (Mechanical)	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H
11	IRMS (Stores) Mechanical Engg.	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
12	Indian Enterprises Development Service Grade I&II	(a) Locomotor Disability (OA, OL) including leprosy cured, dwarfism, acid attacked victims, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological/ limbs dsyfucntion; (b) Hard of Hearing; (c) Multiple Disabilities involving (a) & (b)	S, ST, BN, W,SE,MF,C,RW, KC, CL PP, JU, H

		above	
13.	Assistant Executive Engr. in the corps of EME	PD	F,PP,L,KC,B,S,ST,W,SE&RW
Category III-Electrical Engineering			
1.	Central Elect. & Mech. Engg. Service (Elect. Engg.)	OL or Hard Hearing	As per MOSJ&E instructions
2.	Central Power Engg. Service Gr. A (Elect. Engg. Posts)	OL, Hard Hearing	S,ST,BN,SE,W,MF,PP,L,KC, C, RW
3.	Indian Defence Service of Engineers (Elect. Engg.)	PD or OA	B,S,ST,W,SE,H&RW
4.	Indian Naval Material Management Service	OL	S,SE,H&RW
5.	Indian Naval Armament Service	OL	S,SE,H&RW
6.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions
7.	Indian Enterprises Development Service Grade I&II	(a) Locomotor disability (OA, OL) including leprosy cured, dwarfism, acid attacked victims, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological/ limbs dsyfucntion; (b) Hard of Hearing; (c) Multiple disabilities involving (a) & (b) above.	S, ST, BN, W,SE,MF,C,RW, KC, CL PP, JU, H
8.	IRMS (Electrical)	LD - OA, OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
9.	IRMS (Stores) Electrical Engg.	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
10	AEE Gr 'A'(Elect. Engg.) in Corps of EME, Min of Defence.	PD or OA	S,ST,B,W,SE
Category IV-Electronics & Telecommunication Engineering			
1.	Indian Naval Armament Service	OL	S,SE,H&RW
2.	Indian Naval Material Management Service	OL	S,SE,H&RW
3.	Indian Telecom Service, Group A	**LV**, OL or OA or MW	F,S,ST,W,SE,H&RW
4.	Junior Telecom Officer Group B in ITS	**LV**,OL or OA or MW	S,ST,W,SE,H&RW, BN,L,PP,C,MF, OA, OL,OAL
5.	Central Power Engineering Service Gr. A (Elec. & Telecom)	OL, Hard Hearing	S,ST,BN,SE,W,MF,PP,L,KC,C&RW
6.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions
7.	Indian Radio Regulatory Service Gr 'A'	OA or OL	S,H&RW/Speaking
8.	Indian Enterprises Development Service Grade I&II	(a) Locomotor disability (OA, OL)	S, ST, BN, W,SE,MF,C,RW, KC, CL PP, JU, H

		including leprosy cured, dwarfism, acid attacked victims, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological/ limbs dsyfucntion; (b) Hard of Hearing; © Multiple disabilities involving (a) & (b) above.	
9.	IRMS (Signal & Telecommunication)	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H
10.	IRMS (Stores) Signal &Telecommunication Engg.	OA or OL or Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, R, W & RW
11	AEE Gr 'A'(E&T. Engg.) in Corps of EME, Min of Defence.	PD or OA	S,ST,B,W,SE

*The list is subject to revision.

The abbreviations used (indicated as below) are as per the specification in Ministry of Social Justice and Empowerment's Notification No. 16-15/2010-DDIII dated 29.07.2013

OA=One Arm affected, OL=One Leg affected, HI=hearing Impaired, PD=partially Deaf, MW=Muscular Weakness S=Sitting, BN=Bending, SE=Seeing, RW=Reading & Writing, C=Communication, F/MF =Manipulation by Fingers, PP=Pulling & Pushing, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, ST=Standing, W=Walking, H=Hearing, JU=Jumping, H(Acceptable with Hearing Aids=Should be able to hear up to 25 decibels, OH=Orthopaedically Handicapped, LD=Locomotor Disability, CP=Cerebral Palsy, SLD=Specific Learning Disability, MI=Mental Illness, OAL=One Arm One Leg, CL=Climbing

^ - The post of JTO is identified suitable to be filled up from the sub-category of Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury(SI) with associated limb dysfunction, under Locomotor Disability.

NOTE (I): To avoid inconvenience later PH candidates should ensure that their sub-category of disabilities is identified for providing reservation.

NOTE (ii) : Also please note that Temporary Certificate of Disability does not confer upon the candidates, the benefit of being considered against the vacancies reserved under PH quota.

NOTE (iii) : Please ensure submission of Certificate of Disability in the prescribed format as detailed at Annexure III.

Annexure-II

Other additional instructions to the candidates for medical examination are as under:-

(i) Medical Examination Schedules/Venue and the final medical status (Fit/Unfit/partially Unfit/Temporarily Unfit) will be uploaded on the official website of the Ministry of Communications, Department of Telecommunications. No separate written communication will be sent to the candidates regarding these uploads.

(ii) The candidates will have to carry three sets of Form for Medical Board Report- **2026** to be downloaded from the Ministry of Communications, Department of Telecommunications official website i.e. >>News and Recruitment>>Engineering Services Updates.

(iii) The candidates should carry Government issued Photo ID card and three passport size photographs with them. Candidates recommended against Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) vacancies should carry their Certificate of Disability in original as per the format prescribed along with additional photocopy of the same.

Annexure-III Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) [See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with benchmark disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum._____

_____son/wife/daughter of Shri_____Date of Birth (DD/MM/YY)

_____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her ___ (part of body) as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - VI

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities) [See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with benchmark disability.

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum._____

_____son/wife/daughter of Shri_____

Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street

Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson’s disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is as

follows : - In figures percent

In words: -……percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ e.g.Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form – VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

(See rule 18(1))

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum_____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY)_ __ _____ ____ Age ____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____disability. His/her extent of percentage physical mpairment/ disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown

against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson’s disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after ____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs # - eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned

{Countersignature and seal

of the Chief Medical Officer/Medical

Superintendent/ Head of Government

Hospital, in case the Certificate is issued

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

by a medical authority who is not a

Government servant (with seal)}

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Appendix-IV

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write.

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs .....(name of the candidate with benchmark disability), a person with ……(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability),

S/o/D/o ……..……..……..……., a resident of …….(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature Chief Medical Officer/Civil Surgeon/
Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.

Note : Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopedic specialist/PMR).

Appendix-V

Letter of Undertaking for Using Own Scribe
(To be filled by the candidates online to the Commission)

I ……., a candidate with …… (name of the disability) appearing for the …… (name of the examination) …….bearing Roll No. ……...at …….. (name of the centre) in the District …….. (name of the State). My qualification is …….. I do hereby state that..... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination. I do hereby undertake that his qualification is.....In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place :

Date :

Appendix-VI

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs…… (name of the candidate), S/o / D/o ……., a resident of …… (Vill/PO/PS/District/State), aged……yrs, a person with

…….. (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto …… (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/PMR Specialist	Clinical psychologist/ Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer.....Chairperson				

Name of Government Hospital / Health Care Centre with seal

Place :

Date :

Appendix-VII

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I……..……..…… , a candidate with ……..…… (nature of disability/condition) appearing for the ……..…….. (name of the examination) bearing Roll No.....at …… (name of the centre) in the District..... , ……. (name of the state). My educational qualification is ……25

2. I do hereby state that .....(name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is .....In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place :

Date :

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.01 11:40:19 +05'30'